25

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2021-22)

पच्चीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

पच्चीसवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2021-22)

10.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

10.03.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

विषय-वस्तु		
		पृष्ठ
समिति की संरचना		
प्राक्कथन		
	प्रतिवेदन	
	भाग - एक	
एक.	**प्रस्तावना**	
दो.	**अनुदानों की मांगों (2020-21) पर समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**	
तीन.	**2021-22 के लिए अनुदानों की मांगें**	
चार.	**तीन श्रेणियों के अंतर्गत बजट विश्लेषण**	
पांच.	**विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन**	
	एक. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	
	दो. सामुदायिक रेडियो	
छह.	**प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख महत्व वाले क्षेत्र**	
	क. सूचना क्षेत्र	
	एक. भारत@75	
	दो. फैक्ट चेक यूनिट	
	ख. फिल्म क्षेत्र	
	(एक) फिल्मांकन में आसानी : फिल्म सुविधा कार्यालय	
	(दो) फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय	
	(तीन) विदेशों के साथ फिल्म का सह-निर्माण	
	(ग) प्रसारण क्षेत्र	
	प्रसार भारती	
	(एक) प्रसार भारती द्वारा सृजित और उपयोग आईईबीआर	

	(दो) प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास	
	(तीन) दूरदर्शन	
	(क) दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल	
	(ख) दूरदर्शन किसान चैनल	
	(चार) आकाशवाणी और एफएम	
	(पांच) प्रसार भारती में मानव संसाधन	
	(छह) प्रसार भारती द्वारा राजस्व सृजन के लिए सामग्री मुद्रीकरण और अन्य स्रोत	
	(सात) डिजिटल स्थलीय प्रसारण (डीटीटी)	
सात.	**केन्द्र का स्थापना व्यय**	
	(क) ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी) [पूर्व में डीएवीपी, डीएफपी और एस एंड डीडी]	
आठ.	**स्वायत्त निकायों और सरकारी उपक्रमों सहित अन्य केन्द्रीय व्यय**	
	(क) आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानक योजना के अनुसार स्तरोन्नयन	
नौ.	**विविध**	
	एक. 'चलचित्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्थिति दो. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संशोधित अधिदेश के बाद विकास	
	भाग - दो	
	टिप्पिणयां/सिफारिशें	
	अनुबंध	
एक	वित्तीय वर्ष 2020-21 से केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों में उन योजनाओं का ब्यौरा जिन्हें प्रचालन करने से रोक दिया गया।	
दो	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तीन क्षेत्रों नामतः फिल्म क्षेत्र, सूचना क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती सहित) का ब्यौरा	
तीन	(क) वर्ष 2020-21 के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य	

	(ख) 2020-21 के दौरान बाइंड स्कीम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि	
चार	2020-21 के दौरान बाइंड स्कीम के अंतर्गत प्रसार भारती के प्रस्ताव	
पांच	वर्ष 2020-21 के लिए दूरदर्शन के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य	
छह	क्षेत्रीय चैनलों सहित दूरदर्शन के चैनलों का ब्यौरा	
सात	2020-21 के दौरान डीडी किसान चैनल के अंतर्गत बनाए गए इन-हाउस कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम और किए गए पहलों का ब्यौरा	
आठ	आकाशवाणी के लिए वर्ष 2021-21 के अनुमानित लक्ष्य	
नौ	ट्राई द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को डीटीटी पर दी गई सिफारिशों का ब्यौरा	
	परिशिष्ट*	
	समिति की 11 फरवरी, 2021 को हुई अठारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
	समिति की ..... को हुई ..... बैठक का कार्यवाही सारांश	

***साइकलोस्टाइल प्रति के साथ संलग्न नहीं।**

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदंबरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
15. श्री जैदेव गल्ला
16. श्री संजय सेठ
17. श्री चन्दन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति तामिझाची
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
21. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफ़र इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1 श्री वाई. एम. कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश - निदेशक
3. श्री रिंकी सिंह - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों (2021-22) विषय पर समिति का यह पचीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का गठन 13 सितंबर, 2020 को हुआ। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 10 फरवरी, 2021 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 11.02.2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 08.03.2021 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियें द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
8 मार्च, 2021
17 फाल्गुन, 1942 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग- एक

एक. <u>प्रस्तावना</u>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को तीन कार्यकारी विभागों अर्थात सूचना विभाग, प्रसारण विभाग और फिल्म विभाग में बांटा गया है। मंत्रालय 18 मीडिया इकाइयों/संबंधित एवं अधीन कार्यालयों, स्वायत्त अंगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय अपनी विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से लोगों तक सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के संप्रेषण के लिए एक पटल के रूप में कार्य करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए नोडल एजेंसी भी है। यह देश में प्रसारण और फिल्म क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को मजबूत करने में मदद करता है। मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय बदलते तकनीकी प्रतिमान के अनुकूल होने का प्रयास करता है। इसे वर्तमान और साथ ही भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय से नीतिगत बदलावों को लाकर हासिल किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 09.11.2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में कार्य आबंटन नियमावली, 1961 में संशोधन किया है तथा इस मंत्रालय के कार्य आबंटन में निम्नलिखित मदों को जोड़ा गया है:-

"**<u>Vक. डिजीटल/ऑनलाइन मीडिया</u>**

22क. ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न्यूज और करंट अफेयर्स।"

दो. अनुदानों की मांगों (2020-21) पर संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन को 13 मार्च, 2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया/लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। आठवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सत्रहवां प्रतिवेदन 8 फरवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 26 सिफारिशों में से 18 सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। समिति ने 02 सिफारिशों को दोहराया था। छह उत्तर अंतरिम प्रकृति के थे। सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर प्रतीक्षारत है।

तीन. 2021-22 के लिए अनुदानों की मांगे

3. मांग संख्या 60 में प्रसार भारती सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके सम्बंधित एवं अधीन कार्यालयों और स्वायत्त/अनुदान प्राप्त निकायों के व्यय शामिल है। चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समग्र बजटीय आबंटन और उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत	संशोधित प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत
2018-19	4088.98	4088.98	4003.28	97.90	97.90
2019-20	4375.21	4064.76	4032.36	92.16	99.20
2020-21	4375.21	3650.25	2545.73 (*)	58.19	69.74
2021-22	4071.23	-	-	-	-

(*) दिनांक *14.01.2021* तक वास्तविक व्यय

4. उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान स्तर पर मंत्रालय के लिए 4071.23 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के बजट अनुमान अर्थात 4375.21 करोड़ रुपये से लगभग 6.95 % कम है। वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान 3650.25 करोड़ रुपये था और वास्तविक उपयोग 2545.73 करोड़ रुपये (जनवरी, 2021 तक) था जो संशोधित अनुमान के संबंध में 69.74% और बजट अनुमान आवंटन के संबंध में 58.19% था। वर्ष 2020-21 के दौरान कम उपयोग को देखते हुए, समिति ने यह जानना चाहा कि क्या वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले संशोधित अनुमान का उपयोग कर लिया जाएगा या नहीं। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया है कि "16.02.2021 तक संशोधित अनुमान में से 2785.36 करोड़ रुपये अर्थात 76.31 प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है और वे वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले संपूर्ण संशोधित अनुमान का पूरा उपयोग कर सकेंगे।"

5. मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 2020-21 के पहले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय और वास्तविक प्रदर्शन प्रभावित हुआ। स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और मंत्रालय पूरी तरह आश्वस्त है कि वह विभिन्न शीर्षों के तहत निर्धारित अपने वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

6. 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान न्यूनतम प्रगति वाली स्कीमों का ब्यौरा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

वर्ष	**न्यूनतम प्रगति वाली स्कीम**	**न्यूनतम प्रगति वाली स्कीम का उपयोग % (सं.प्रा. के संदर्भ में)**
2018-19	1. आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उन्नयन	0%

	)आईआईएमसी)	
	2. पायरेसी-रोधी पहलें)मुख्य सचिवालय(	0%
2019-20	फिल्मी सामग्री का विकासपरक संचार और प्रसार	88.08%
2020-21 (14.01.2021 तक)	1. फिल्मी सामग्री का विकासपरक संचार और प्रसार	53.61%
	2. चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम	0%

7. योजनाओं की न्यूनतम प्रगति, विशेष रूप से शून्य प्रतिशत उपयोग वाली योजनाओं के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

''पायरेसी-रोधी पहलें) मुख्य सचिवालय('' नामक स्कीम में वर्ष 18-2017से 19-2018के दौरान कोई राशि व्यय नहीं की गई हैं क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया था। इस स्कीम को 'फिल्मी सामग्री का विकासपरक संचार और प्रसार' नामक स्कीम में आमेलित कर दिया गया है।

'आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उन्नयन)आईआईएमसी(' में नई दिल्ली में अतिथि गृह, छात्रावास भवन और अकादमिक ब्लॉक का निर्माण नियमित अनुवर्ती कार्यों और प्रयासों के बावजूद रिज प्रबंधन बोर्ड और दिल्ली के अन्य नागरिक प्राधिकरणों से अनुमति न मिल पाने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। यह अनुमानित था कि वित्त वर्ष 19-2018के दौरान मंजूरी मिल सकती थी। तदनुसार, 3 करोड़ रु .का प्रावधान बजट अनुमान स्तर पर किया गया जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 20लाख रु .कर दिया गया और अंतिम अनुदान स्तर पर सभी निधियों को अभ्यर्पित कर दिया गया।

भारत सरकार ने श्रव्य-दृश्य सेवाओं और मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र का चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम)सीएसएसएस(के रूप में विकास करने के लिए दिनांक 28.02.2018को वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.09.2020को चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम)सीएसएसएस (के लिए मसौदा एसएफसी प्रस्ताव को नीति आयोग और व्यय विभाग से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया था। नीति आयोग ने इस मंत्रालय के एसएफसी प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, व्यय विभाग ने यह कहते हुए एसएफसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है कि ''इस वर्ष (21-2020)के लिए स्कीम/उप-स्कीम के लिए किसी नए प्रस्ताव, चाहे वह प्रशासनिक मंत्रालय में निहित शक्तियों के अधीन हो जिसमें एसएफसी प्रस्ताव शामिल है को शुरू नहीं किया जाएगा।'' स्कीम को व्यय विभाग की स्वीकृति 20.11.2020 को मिल गयी है। टिप्पण को वित्त संबंधी स्थाई समिति के समक्ष स्कीम पर सहमति और अनुमोदन देने के लिए रखा जायेगा। इस कारण से 21-2020 में इस स्कीम में कोई कार्य नहीं किया जा सका। यद्यपि, 20212-2 में कार्य शुरू किया जायगा।"

8. व्यय पर प्रति माह 5% की सीमा लगाने के सरकार के निर्देश के आलोक में, समिति ने मंत्रालय के निष्पादन पर इसके प्रभाव को जानना चाहा। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया है कि "कोविड-19 और परिणामी लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(13)/बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के तहत व्यय नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के तहत, मंत्रालयों को व्यय को विनियमित करने और तिमाही व्यय सीमा तय करने के लिए क, ख और ग श्रेणी में रखा गया था। इस मंत्रालय को 5% के मासिक व्यय के साथ तिमाही- I (अप्रैल से जून, 2020) में बजट अनुमान 2020-21 के 15% की व्यय सीमा की अनुमति देते हुए 'ग' श्रेणी में रखा गया था। इन दिशानिर्देशों को बाद में दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए भी जारी रखा गया था। क्योंकि 5% सीमा

पर्याप्त नहीं थी, इस मंत्रालय के अनुरोध पर, पहली और दूसरी तिमाही के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा में छूट दी गई थी। तीसरी और चौथी तिमाही में, बजट-पूर्व चर्चा के अनुसार, संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए अंतिम रूप से दी गई व्यय सीमा की हद तक वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय सीमा में छूट प्रदान की गई थी।"

चार. <u>तीन श्रेणियों के अंतर्गत बजट विश्लेषण</u>

9. मंत्रालय का व्यय निम्नलिखित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है:-

(क) केंद्र के स्थापना व्यय (इनमें मुख्य सचिवालय और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना व्यय शामिल होते हैं)

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें; और

(ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों के व्यय सहित अन्य केंद्रीय व्यय (इनमें मंत्रालय के छह स्वायत्त निकायों नामतः बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई); भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई); सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई); भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी); भारतीय प्रेस परिषद और प्रसार भारती को सहायता-अनुदान शामिल हैं)।

10. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) के लिए विस्तृत विवरण तीन श्रेणियों अर्थात केंद्र का स्थापना व्यय, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें और अन्य केंद्रीय व्यय [केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित] से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

वर्ष	केंद्र का स्थापना व्यय				केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें				केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित अन्य केंद्रीय व्यय				कुल			
	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	सं.अ. के संबंध में %	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	सं.अ. के संबंध में %	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	सं.अ. के संबंध में %	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	सं.अ. के संबंध में %
2018-19	454.90	478.29	455.00	95.13	735.05	712.66	656.78	**92.16**	2899.03	2898.03	2891.50	**99.77**	4088.98	4088.98	4003.28	**97.90**
2019-20	495.45	460.64	449.73	**97.63**	900.00	625.39	607.43	**97.13**	2979.76	2978.73	2975.20	**99.88**	4375.21	4064.76	4032.36	**99.20**
2020-21 (*)	554.80	441.82	345.03	**77.87**	740.00	346.73	278.16	**79.76**	3080.41	2861.70	1922.54	**67.18**	4375.21	3650.25	2545.73	**69.74**
2021-22	**563.77**	--	--	--	**632.05**	--	--	--	**2875.41**	--	--	--	**4071.23**	--	--	--
(*) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए व्यय 14.01.2021 तक का है ।																

11. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए, बजट अनुमान स्तर पर मंत्रालय के लिए 4071.23 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 563.77 करोड़ रुपये 'केंद्र के स्थापना व्यय' के लिए हैं, 632.05 करोड़ रुपये 'केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों' के लिए हैं और 2875.41 करोड़ रुपये 'अन्य केंद्रीय व्यय' (स्वायत्त निकायों) के लिए हैं। इसके अलावा यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के तहत कुल व्यय 80% से कम था। "केंद्र के स्थापना व्यय" के तहत बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमश: 554.80 रुपये और 441.82 करोड़ रुपये थे, जहां वास्तविक व्यय 345.03 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान का 77.87% था। "केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं" के तहत बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमश: 740.00 करोड़ रुपये और 346.73 करोड़ रुपये थे, जहां वास्तविक व्यय 278.15 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान का 79.76% था। "अन्य केंद्रीय व्यय [केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित]" के तहत बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमशः 3080.41 करोड़ रुपये और 2861.70 करोड़ रुपये थे, जहां वास्तविक व्यय 1922.54 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान का 67.18% था।

पांच. <u>विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन</u>

12. मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसरण में वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 से अपनी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का युक्तीकरण किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 से अब 14 स्कीमों को कम करके 5 स्कीम कर दिया गया है। पूर्ण रूप से प्रशासनिक और नियमित गतिविधियों वाली स्कीमों को "स्थापना व्यय" की श्रेणी में डाल दिया गया है जबकि स्वायत्त निकायों की स्थापना गतिविधि के संचालन के लिए आशयित स्कीमों को "अन्य केंद्रीय व्यय" की श्रेणी में डाल दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में संचालित होने वाली योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध- एक पर दिया गया है।

13. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के संबंध में बजटीय आवंटन और उपयोग (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय) तथा वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपये में)

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें					
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान के संबंध में प्रतिशत**	**संशोधित अनुमान के संबंध में प्रतिशत**
2018-19	735.05	712.66	656.78	89.35	92.16
2019-20	900.00	625.39	607.43	67.49	97.13
2020-21	740.00	346.73	278.16 (*)	37.37	79.76
2021-22	632.05	-	-	-	-

(*) दिनांक *14.01.2021* तक वास्तविक व्यय

14. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों (सीएसएस) के लिए यह देखा जा सकता है कि जनवरी, 2021 तक वास्तविक व्यय बजट अनुमान का 37.37 प्रतिशत और संशोधित अनुमान का 79.76 प्रतिशत है। यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित राशि 632.05 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में करीब 108 करोड़ रुपये कम है। 2021-22 के दौरान सीएसएस के तहत आनेवाली परियोजनाओं/योजनाओं जो कम आवंटन के कारण प्रभावित हुई है, का ब्यौरा मांगे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि कम आबंटन से स्कीमों का भौतिक प्रदर्शन प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इसके आलावा व्यय के आधार पर, अनुपूरक अनुदान के स्तर पर या संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधि की मांग करने का उपाय मौजूद है।

15. वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत पांच घटकों/क्षेत्रों का बजटीय आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:-

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	**घटक/क्षेत्र**	**स्कीम**	**बजट अनुमान 2020-21**	**संशोधित अनुमान 2020-21**	**वास्तविक व्यय 2020-21 (*)**
1.	(i) सूचना क्षेत्र	(i) विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	220.00	103.40	86.22
2.	(ii) फिल्म क्षेत्र	(ii) फिल्मी सामग्री का विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीडीएफसी)	115.50	63.51	34.05
		(iii) चैम्पियन सेवा क्षेत्र	30.00	3.80	0.00
3.	(iii) प्रसारण क्षेत्र	(iv) प्रसारण अवसंरचना विकास (प्रसार भारती)	370.00	173.90	156.62

		(v) सामुदायिक रेडियो का सहायता	4.50	2.12	1.27
(*) दिनांक *14.01.2021* तक वास्तविक व्यय					

16. वर्ष 21-2020 ,20-2019और 22-2021के लिए निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के उद्देश्यों के साथ-साथ बजटीय आबंटनों और उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:

* **वित्त वर्ष 21-2020के लिए वास्तविक व्यय के सभी आंकड़ें दिनांक 14.01.2021की स्थिति के अनुसार हैं।** **(करोड़ रूपये में)**					
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)					
वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत	संशोधित प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत
2019-20	200.00	187.63	184.20	92.10	98.17
2020-21*	220.00	103.40	86.22	39.19	83.38
2021-22	188.00	-	-	-	-

(करोड़ रूपये में)

फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)					
वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत	संशोधित प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत
2019-20	53.87	63.39	56.46	104.80	89.07
2020-21*	115.50	63.51	34.05	29.48	53.61
2021-22	122.62	-	-	-	-

(करोड़ रूपये में)

चैम्पियन सेवा क्षेत्र					
वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत	संशोधित प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत
2019-20	0.00	0.50	0.00	-	0.00
2020-21*	30.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2021-22	1.59	-	-	-	-

(करोड़ रूपये में)

प्रसारण अवसंरचना विकास (प्रसार भारती)					
वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत	संशोधित प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत
2019-20	473.00	235.40	235.40	49.77	100.00
2020-21*	370.00	173.90	156.62	42.33	90.06
2021-22	316.00	-	-	-	-

(करोड़ रूपये में)

सामुदायिक रेडियो को सहायता					
वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत	संशोधित प्राक्कलन के संबंध में प्रतिशत
2019-20	3.80	3.80	3.29	86.58	86.58
2020-21*	4.50	2.12	1.27	28.22	59.91
2021-22	3.84	-	-	-	-

* वित्त वर्ष 21-2020के लिए वास्तविक व्यय के सभी आंकड़ें दिनांक 14.01.2021की स्थिति के अनुसार हैं।

17. पांचो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के कारण निम्नानुसार हैं:-

i) फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार)डीसीडीएफसी (स्कीम - कोविड-19महामारी के कारण फिल्मों के निर्माण से संबंधित गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। व्यय की गति विभिन्न फिल्म समारोहों की समयसीमा पर निर्भर करती है। इस वर्ष, सभी प्रमुख फिल्म समारोह जैसे केन्स फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आदि, कोविड 19-महामारी के प्रकोप के कारण वर्चुअल/हाईब्रडि प्रारूप में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, भारत का 51 वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जनवरी 2021की दूसरी छमाही में गोवा में हाईब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था। फीचर फिल्म "बंगबंधु "की शूटिंग स्थगित करनी पड़ी और जनवरी, 2021से शुरू हुई। इन सभी के कारण व्यय कम हुआ क्योंकि इस वर्ष पूरे विश्व में कोई भौतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। राष्ट्रीय फिल्म्स हेरिटेज मिशन में फिल्मों के डिजिटलीकरण और फिल्मी सामग्री तथा वाल्टों के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया गया था। ये कार्य प्रगति पर हैं।

ii) प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास)बीआईएनडी(: महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 21-2020के पहले 6महीनों के दौरान बीआईएनडी के कार्यान्वयन में कुछ कमी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश प्रसारण उपकरण और सेवाएँ देश में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए इनका आयात किया जाना है, खरीद में देरी हुई। इससे चल रही परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति प्रभावित हुई। वर्ष के दौरान स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है।

iii) **विकास संचार और सूचना प्रसार)डीसीआईडी(:** डीसीआईडी स्कीम)सूचना (का कार्यान्वयन प्रगति पर है। इसने जनवरी 2021तक %83निधियों का उपयोग कर लिया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण निधि का उपयोग

करने की उम्मीद है।

iv) **भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन करना :**कोविड- 19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अधिकांश गतिविधियों को भौतिक रूप से आयोजित नहीं किया जा सका। केवल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें और अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकें वर्चुअल माध्यमों से आयोजित की जा सकी। कोविड- 19प्रतिबंधों के कारण कार्यशालाओं और राष्ट्रीय समारोहों जैसी भौतिक गतिविधियों के लिए आबंटित धन का उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन जैसी विभिन्न नियोजित गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जा सकीं।

v) **चैम्पियन सेवा क्षेत्र स्कीम (सीएसएसएस):** सीएसएसएस स्कीम के घटकों को दिनांक 01.08.2020 को नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। एसएपसी नोट का मसौदा वित्त मंत्रालय और नीति आयोग को परिचालित किया गया था। नीति आयोग ने एसएफसी प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 20.11.2020 को स्कीम के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया। स्कीम के अनुमोदन के लिए स्थायी वित्त समिति के समक्ष सहमति के लिए नोट प्रस्तुत किया जाना है।

18. यह पूछे जाने पर कि योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए/ उठाए जाने हैं, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने और योजना व्यय में सुधार करने के उद्देश्य सेमंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में आवधिक समीक्षा, सभी प्रमुख स्कीमों का मध्यावधि मूल्यांकन और व्यय एवं कार्यान्वयन की नियमित निगरानी शामिल हैं। संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए वर्ष 2019-20 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना स्कीमों का व्यापक युक्तिकरण और उनकी पुनर्संरचना की गई है, जिसे वर्ष 2020-21 में लागू किया गया है। इस कदम ने कार्यान्वयन के विविध चरणों में योजनाओं की बेहतर और प्रभावी

निगरानी सुनिश्चित की है। इस उपाय के अंतर्गत निधि के उपयोग की सूक्ष्मता के साथ निगरानी, निधियों का समयबद्ध तरीके से जारी होना, कार्यकलापों की संख्या में वृद्धि, कार्य-कलापों का समयबद्ध तरीके से पूरा होना, कार्य-कलाप निष्पादित करने के हलए एजेंसियों की लघु सूची बनाया जाना तथा ई-ऑफिस, जीईएम, ई-टेंडरिंग आदि का स्वीकार किया जाना शामिल हैं। मैसर्स केपीएमजी के माध्यम से अपनी स्कीमों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय की सभी मौजूदा पांच स्कीमों को जारी रखा जाएगा। इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सभी ईएफसी / आईएफसी तैयार किए जा रहे हैं। मैसर्स केपीएमजी के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट महत्वपूर्ण सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि मैसर्स केपीएमजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की स्थिति तैयार की जा रही है।

19. मेसर्स केपीएमजी की रिपोर्ट के संबंध में आगे जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण सचिव ने बताया कि :-

> "केपीएमजी ने बताया कि मोटे तौर पर जो योजनाएं शुरू की जा रही हैं उन्हें जारी रखे जाने की आवश्यकता है। हमें मंत्रालय के सुझाव और टिप्पणियां भेजने के लिए 15 दिन के समय की आवश्यकता है अथवा हम रिपोर्ट को अभी प्रस्तुत कर 15 दिनों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।"

एक. <u>चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना</u>

20. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजनाएं (सीएसएस) वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना को भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्रव्य दृश्य सेवाओं का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों में से एक के लिए, 'चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम' के लिए, चालू वर्ष (2021-22) के लिए बजट अनुमान स्तर पर आबंटन मात्र 1.59 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, संशोधित अनुमान आबंटन 3.8 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 'शून्य' था। यह देखते हुए कि

वास्तविक व्यय शून्य था, समिति ने केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत उन परियोजनाओं/योजनाओं के विवरण के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की जो 2021-22 के दौरान कम आवंटन के कारण प्रभावित होंगी। इस पर मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए कार्य योजना पर कैबिनेट नोट को मंजूरी दी और इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं और 2021-22 के दौरान कम आवंटन के कारण प्रभावित होने वाली योजनाएं क्रम संख्या 1, 2 और 4 पर दी गई हैं:

क्रम सं.	**घटक**
1.	विदेशों के साथ श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के लिए प्रोत्साहन
2.	भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना
3.	जागरूकता पैदा करना और रंगमंच का घनत्व बढ़ाना
4.	ग्लोबल मीडिया एवं एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन

21. यह पूछे जाने पर कि 1.59करोड़ रुपये के साथ वर्ष 22-2021के दौरान किन परियोजनाओं /स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा मंत्रालय ने बताया कि देश में सिनेमा स्क्रीन की कमी के कारण भारत में फिल्म उद्योग गंभीर रूप से बाधित है। इसलिए, फिल्म उद्योग की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भारत के टियर 2-और टियर 3-शहरों में स्क्रीन की संख्या का घनत्व बढ़ाने की आवश्यकता है। सिनेमाघरों को स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के बीच कार्यशाला आयोजित करने के लिए "जागरूकता पैदा करना और थिएटर घनत्व बढ़ाना "घटक के लिए1 करोड़ रुपये की निधि उपयोग किया जाएगा।

दो. <u>सामुदायिक रेडियो को सहायता</u>

22. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में बजटीय विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रूपये में)

सामुदायिक रेडियो स्टेशन					
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान के संबंध में %**	**संशोधित अनुमान के संबंध में %**
2018-19	**4.00**	**2.60**	**1.26**	**31.50**	**48.46**
2019-20	**3.80**	**3.80**	**3.29**	**86.58**	**86.58**
2020-21	**4.50**	**2.12**	**1.36 (16.02.2021 तक)**	**30.22**	**64.15**
2021-22	**3.60**	**-**	**-**	**-**	**-**
(16.02.2021 की स्थिति तक)					

23. वर्तमान में, देश में 317सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं। मंत्रालय द्वारा बताए इन 317सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के विश्लेषण से उन भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें वे प्रसारण कर रहे हैं:

22.02.2021 की स्थिति के अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशन			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**भाषाएं**	**चैनलों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	तेलुगू	7
2.	तेलंगाना	तेलुगू	11
3.	असम	कामरूपी	4
4.	अरुणाचल प्रदेश	निशि	1
5.	बिहार	भोजपुरी /हिंदी	9
6.	छत्तीसगढ	पंजाबी/हिंदी	4
7.	पंजाब	पंजाबी/हिंदी	6
8.	छत्तीसगढ	छत्तीसगढी	7
9.	दिल्ली	हिंदी	6
10.	गुजरात	गुजराती	10

11.	हरियाणा	हिंदी/हरियाणवी	20
12.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ी/महासू	4
13.	जम्मू एवं कश्मीर	डोगरी	2
14.	झारखंड	भोजपुरी/हिंदी	3
15.	कर्नाटक	कन्नड	22
16.	केरल	मलयालम	12
17.	ओडिशा	उडिया	19
18.	पुदुच्चेरि	तमिल	3
19.	तमिलनाडु	तमिल	38
20.	महाराष्ट्र	मराठी	30
21.	मणिपुर	मणिपुरी	4
22.	मध्य प्रदेश	हिंदी	24
23.	राजस्थान	मेवाडी	15
24.	सिक्किम	नेपाली	1
25.	त्रिपुरा	कोकबोरोक	1
26.	उत्तर प्रदेश	हिंदी	48
27.	पश्चिम बंगाल	बंगाली	6
कुल	**27**	**27**	**317**

24. यह नोट करते हुए कि 2021-22 के लिए जिन क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है उनमें से एक तटीय क्षेत्रों, दूरदराज के जिलों और आपदा प्रवण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देना है, समिति ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के विस्तार के लिए मंत्रालय की योजना के बारे में पूछा। उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि मीडिया डार्क क्षेत्रों की पहचान करते हुए सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सभी महत्वाकांक्षी जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का विस्तार करने के लिए नीति आयोग के साथ विभिन्न बैठकें की गईं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए संभावित संगठनों की पहचान करने के लिए महत्वाकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखे गए थे। तटीय

क्षेत्रों और आपदा-प्रवण क्षेत्रों के लिए, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे गए थे। एलडब्ल्यूई और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या का विस्तार करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में विशेष जोर, जैसे कि जागरूकता में वृद्धि करते हुए हितधारकों की भागीदारी आदि पर, दिया जाएगा।

छह. <u>प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख महत्व वाले क्षेत्र</u>

25. मंत्रालय का बजट तीन क्षेत्रों यथा फिल्म क्षेत्र, सूचना क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती सहित) में वितरित है। प्रत्येक क्षेत्र का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख महत्व वाले क्षेत्रों का विवरण, क्षेत्रवार, नीचे दिया गया है:-

<u>सूचना क्षेत्र के लिए महत्व वाले क्षेत्र</u>

- India@75 - स्वतंत्रता दिवस 2022 से 75 सप्ताह पहले पर फोकस करते हुए वर्ष 2021 से 2022 में भारत की स्वतंत्रा के 75 वर्ष का आयोजन
- सरकार की नीतियो और कार्यकर्मों के प्रसार के लिए एकीकृत मीडिया योजनाएं
- प्रिंट मीडिया, टीवी/रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संचार का व्यापक आधार बनाना
- डिजीटल/सोशल मीडिया के उपयोग में वृद्धि
- झूठी खबरों से निपटने के लिए फैक्ट चैक यूनिट का सुदृढ़ीकरण और विस्तार
- भारत में समाचार पत्र रजिस्ट्राकर के कार्यालय का ऑटोमेशन
- मीडिया / नागरिकों के लिए फीडबैक तंत्र
- आईआईएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण

<u>फिल्म क्षेत्र के लिए महत्व वाले क्षेत्र</u>

- भारत में फिल्म क्षेत्र का संवर्धन और चैम्पियन क्षेत्र स्कीम के छत्रक के

अंतर्गत भारत को विश्व में फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं के लिए शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थल बनाना।

- फिल्मों की शूटिंग को सुकर बनाने के लिए एकल विंडा मंजूरी
- चार फिल्म मीडिया यूनिटों नामतः चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया, फिल्म प्रभाग, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागाहर और फिल्म फेस्टिवल विभाग के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय संबंधी सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन
- वर्ष 2021-22 में ग्लोबल मीडिया और मनोरंजन शिखर-सम्मेलन का आयोजन
- इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अर्थात् केन्स, बर्लिन, टोरंटो आदि में भागीदारी और भारतीय पवेलियन की स्थापना
- विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ सूक्ष्म समन्वय से विदेशों में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करना
- इटानगर, अरूणाचल प्रदेश में फिल्म संस्थान में निर्माण कार्य पूरा करना
- राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन के माध्यम से फिल्मी सामग्री का डिजिटाइजेशन
- भारत बांग्लादेश सह-निर्माण 'बंगाबंधु' को पूरा करना और प्रसारित करना
- प्रसिद्ध फिल्म-निर्माण सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन

<u>प्रसारण क्षेत्र के लिए महत्व वाले क्षेत्र</u>

क. प्रसार भारती

- एफएम विस्तार
    - वामपंथ वादी और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष फोकस के साथ देश में रेडियो कवरेज को बढ़ाना
- डीटीएच विस्तार-
    - डीडी फ्री डिशन की चैनल क्षमता को बढ़ाते हुए जम्मू एवं कश्मीर जैसे कार्यनीतिक स्थानों में दूरदर्शन चैनलों की पहुंच बढ़ाना
    - सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्सों का निःशुल्क वितरण
- डिजीटल विकास -
    - सभी मीडिया पर प्रसार भारती की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए इसकी डिजीटल मौजूदगी को बढ़ाना। स्वतंत्रता पूर्व से समकालीन

सामग्री तक के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के पुरालेखीय फूटेजों का शोधन और डिजिटाइजेशन तथा इन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।

- ऑटोमेशन और आधुनिकीकरण -
    - गुणवत्ता में सुधार और मौद्रिकरण अवसरों को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के उपयोग के साथ-साथ प्रसारण सुविधाओं का ऑटोमेशन और तकनीकी सुविधाओं का आधुनिकीकरण।
- सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, आवर्धन और प्रतिस्थापन
- डीडी के सभी क्षेत्रीय चैनलों को 24x7 बनाया जाना
- एआईआर के नेटवर्क का डिजिटाइजेशन
- डीडी इंडिया और आकाशवाणी के माध्यम से वैश्विक आउटरीच को बढ़ाना

ख. सामुदायिक रेडियो

- तटवर्ती क्षेत्रों ,दूरस्थ क्षेत्रों और आपदा प्रवण क्षेत्रों पर फोकस के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देना।

क. <u>सूचना क्षेत्र</u>

एक. भारत@75

26. सूचना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक मुख्य क्षेत्र "भारत @ 75" है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए विशिष्ट घोषणाएं की हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा। उत्सवों के हिस्से के रूप में, मंत्रालय विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2022 से पहले 75 सप्ताह और फिर स्वतंत्रता दिवस 2022 से 2023 तक साल भर चलने वाले उत्सव के दौरान प्रमुख आकर्षणों में दूरदर्शन पर स्वतंत्रता संग्राम के 75 एपिसोड ,विशेष टीवी और रेडियो श्रृंखला *"भारत तब और अब"* दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, पूरे देश में मोबाइल रेल प्रदर्शनी विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करती, सभी शामिल होंगे।

27. प्रसार भारती ने कार्यक्रम "अनसंग हीरोज" बनाने के लिए कार्यक्रम को मनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मांगी है। "भारत @ 75" के तहत योजना

के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा कि प्रसार भारती ने देश के सभी क्षेत्रों में भारत की स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों / लड़ाई / आंदोलनों पर धारावाहिक के 75 एपिसोड के निर्माण की योजना बनाई है। यहां विचार 'स्वराज' के लिए भारत की खोज के एक ऑडियो-विजुअल इतिहास को पुन: पेश करने का है। तस्वीरों, फिल्मों, मौखिक इतिहास, व्यक्तिगत संस्मरण, आत्मकथाएँ, जीवनी, बहुभाषी क्षेत्रीय साहित्य का प्रतिरूप ज्यादातर अस्पष्ट और सार्वजनिक चेतना से पूरी तरह अनुपस्थित हैं। इस तरह के मुद्दों, आइकन, घटनाओं, संगठनों के ऑडियो-विज़ुअल प्रतिनिधित्व 'स्वराज की खोज' के इस व्यापक ढांचे में निर्मित किए जाएंगे। भारत में 'स्वराज' की खोज और स्थापना के बड़े प्रवचन में स्क्रीन पर लिखे गए ऐतिहासिक आख्यान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को नए परिप्रेक्ष्य के साथ समझने में मदद मिलेगी। उपरोक्त 75 एपिसोड के अलावा, प्रसार भारती ने इन दशकों में स्वतंत्रा उपरांत भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर 75 एपिसोड की योजना भी बनाई है, जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, जो एक नए भारत के परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

दो. <u>फैक्ट चेक यूनिट</u>

28 फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए, दिसंबर 2019 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) स्थापित की गई थी। इस तरह के एफसीयू को पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सूचना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक मुख्य क्षेत्र झूटी खबर का मुकाबला करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) को मजबूत और विस्तारित करना है। इस इकाई के तहत बजटीय आवंटन के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा है कि फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) के लिए कोई अलग आवंटन नहीं है। एफसीयू में काम करने वाले अधिकारियों को काम पर रखने का खर्च पीआईबी मुख्यालय के समग्र कार्यालय व्यय से किया जाता है।

29. मंत्रालय ने 11.02.2021 को साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया है कि 8 फरवरी, 2021 को 9103 मामले थे, जिनमें से 8263 का सामना/उत्तर दिया गया और 323 'फेक न्यूज' का भंडाफोड़ किया गया। 26 अप्रैल, 2020 और 18 फरवरी, 2021 के

बीच, फैक्ट चेक यूनिट को व्हाट्सएप / ई-मेल पर 49,625 प्रश्न मिले हैं और इनमें से 16,992 के कार्रवाई योग्य मामलों का उत्तर दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने इस अवधि के दौरान 505 मामलों का सामना किया है।

30. फेक न्यूज़ 'का मुकाबला करने में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि फैक्ट चेक यूनिट को अपने व्हाट्सएप, ईमेल और वेब पोर्टल के माध्यम से लोगों की शिकायतें मिलती हैं। एक प्रासंगिक शिकायत प्राप्त करने पर, टीम उन सभी डेटा तक पहुँचती है जो तथ्यों के लिए प्रारंभिक खोज के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। खोज क्षेत्र में मंत्रालयों की वेबसाइटें, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) प्रेस विज्ञप्तियों, मंत्रालयों/मंत्रियों के सोशल मीडिया खाते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों के साथ संबद्ध पीआईबी अधिकारियों से जहां भी आवश्यक हो परामर्श किया जाता है, संबंधित मंत्रालयों से भी तथ्यों की जांच की जाती है। तकनीकी सत्यापन में रिवर्स इमेज सर्च, वीडियो सर्च आदि शामिल हैं, जिसमें नकली छवि या वीडियो के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। सत्यापन के बाद, मामले की योग्यता के आधार पर, एक प्रतिक्रिया शिकायतकर्ता को भेजी जाती है या फैक्ट चेक यूनिट के सोशल मीडिया खातों पर डाल दी जाती है।

31. जब फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने कहा कि चूंकि हाल ही में फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की गई है, सिस्टम अभी भी विकसित हो रहा है। इसके अलावा, सत्यापित किए गए तथ्यों से पहले विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से तथ्यों को क्रास चेक करने में समय लगता है। देशी भाषाओं में समाचार एक चुनौती बना हुआ है जिसे संबोधित किया जा रहा है। फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) को मजबूत और विस्तारित करने की योजनाओं के बारे में मंत्रालय ने कहा कि यह क्षेत्रीय स्तरों पर किया जा रहा है।

<u>ख. फिल्म क्षेत्र</u>

(एक) फिल्मांकन में आसानी - फिल्म सुविधा कार्यालय

32. वर्ष 2021-22 के लिए फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक, भारत में फिल्म क्षेत्र को बढ़ावा देना है और भारत को चैंपियन सेक्टर योजना की छतरी के नीचे दुनिया भर के फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा शूटिंग

गंतव्य बनाने के साथ-साथ फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए एकल खिड़की मंजूरी है। अप्रैल 2018 से घरेलू फिल्म निर्माताओं के लिए विस्तारित विदेशी फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए आवश्यक अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2018 में फिल्म सुविधा कार्यालय की वेबसाइट शुरू की गई थी। एमआईबी विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भारत में फिल्मांकन के लिए आसानी हेतु एकल फिल्म तंत्र प्राप्त किया जा सके। भारत में शूटिंग के लिए विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए मौजूदा प्रोत्साहन के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत में इस तरह के कोई प्रोत्साहन मौजूद नहीं हैं। हालांकि, मंत्रालय विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग के लिए और विदेशों के साथ फिल्मों के सह-निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में है।

33. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जनवरी 2019 से अब तक 39 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं (फ़ीचर फिल्म्स, टीवी/ वेब शो और सीरीज़ और रियलिटी टीवी/वेब शो और सीरीज़) ने भारत में फ़िल्म की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जब ऑनलाइन सुविधा शुरू हुई। इसके अलावा, 56 घरेलू अनुप्रयोगों (फ़ीचर फिल्म्स, टीवी शो और सीरीज़ और रियलिटी टीवी शो और सीरीज़) की सुविधा अप्रैल 2019 से शुरू की गई है, जब सिंगल विंडो इकोसिस्टम ने भारतीय निर्माताओं से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू किया।

34. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों/विभागों, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रेल मंत्रालय और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ एकीकरण किया गया है और देश में फिल्मांकन को आसान बनाने की दिशा में विभिन्न केंद्रीय सरकार मंत्रालयों और राज्य सरकाओं के साथ फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा की गई पहलें निम्नलिखित हैं: -

क) नोडल अधिकारियों के माध्यम से एक फिल्मांकन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

ख) एफएफओ पोर्टल प्रारंभ करना और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना

ग) एफएफओ वेब पोर्टल पर समर्पित राज्य पृष्ठों का निर्माण

घ) फिल्म बाजार 2017, 2018, 2019 और 2020 पर फिल्म कार्यालय द्वारा राज्य के स्थानों को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना

ङ) आमने-सामने बैठकों के माध्यम से फिल्म प्रकोष्ठों और फिल्म नीति के गठन का कार्य और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (एमएफएफएस) पुरस्कार का आयोजन

च) कोविड के दौरान फिल्मांकन हेतु एसओपी तैयार करना।

<u>(दो) फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय</u>

35. वर्ष 2021-22 के लिए फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत एक मुख्य क्षेत्र चार फिल्म मीडिया इकाइयों अर्थात चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई), फिल्म्स डिवीजन (एफडी), नेशनल फिल्म्स आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) और डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स फेस्टिवल (डीएफएफ) का नेशनल फिल्म्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएफडीसी) के साथ विलय करना है और इस विलय से फिल्म निर्माण सामग्री के प्रचार, निर्माण और संरक्षण के जनादेश को पूरा करने में दक्षता के साथ तालमेल सुनिश्चित करने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने 23.12.2020 को इन चार फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है और वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट घोषणाओं के तहत, यह कहा गया है कि विलय प्रक्रिया अगले दो वर्षों में पूरी होगी।

36. जब इन इकाइयों के विलय की योजना और कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय की तैयारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि 23,12.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार फिल्म मीडिया इकाइयों, एफडी, सीएफएसआई ,डीएफएफ और एनएफएआई को एनएफडीसी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओएए) का विस्तार करके एनएफडीसी के साथ विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। जो अब उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को करेगा। इसके आगे, कैबिनेट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक कार्यान्वयन समिति के गठन की सुविधा और संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए लेनदेन सलाहकार और/या कानूनी सलाहकार की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। कार्यान्वयन समिति प्रस्ताव के संचालन के सभी पहलुओं को देखेगी।

37. प्रत्येक मीडिया इकाई के तहत निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में, मंत्रालय ने कहा है कि विलय की चल रही प्रक्रिया के किसी भी प्रभाव के बिना सभी मौजूदा गतिविधियों का कार्य प्रदर्शन किया जाएगा।

(तीन) विदेशों के साथ फिल्मों का सह- निर्माण

38. वर्ष 2019-20 के दौरान, बांग्लादेश और रूस के साथ सह-निर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन कार्यों पर फीचर फिल्म के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2020 के दौरान, इंडो बांग्लादेश कॉपोडक्शन फिल्म बंगबंधु की प्री-प्रोडक्शन गतिविधियां की गईं और जनवरी 2021 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फरवरी, 2020 में भारत और पुर्तगाल के बीच एक ऑडियो विजुअल कॉपोडक्शन समझौता भी हुआ।

39. वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय द्वारा की गई विशिष्ट घोषणाओं में से एक है 'बांग्लादेश के साथ दोस्ती को मजबूत बनाना' है। इस संबंध में, उन्होंने सूचित किया है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों पर एक फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी और दिसंबर 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन कार्यों पर फीचर फिल्म बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान शीर्षक फीचर फिल्म के लिए एनएफडीसी और फिल्म विकास निगम, बांग्लादेश को कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया, इसे भारत गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बीच ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन समझौते के तहत प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित किया जाना है।

40. फिल्म बनाने और स्क्रीनिंग में देरी के आलोक में, समिति ने इसकी प्रासंगिकता जाननी चाही। इसके लिए, सचिव, एमआईबी, ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत प्रस्तुत किया:-

> "प्रासंगिकता अभी भी जारी है, महोदय, क्योंकि उत्सव बांग्लादेश में भी नहीं हो सकता था। दिसंबर 2020 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी । चर्चा के दौरान यह बताया गया कि कुछ समय बाद जब कोविड नहीं होगा, तब वे पूर्ण पैमाने पर उत्सव मनाएंगे। आशा है तब तक हम इस फिल्म को तैयार कर लेंगे।"

ग. <u>प्रसारण क्षेत्र</u>

<u>प्रसार भारती</u>

41. प्रसार भारती के तहत बीई, आरई और एई हेतु विवरण इस प्रकार है: -

(करोड़ रुपये में)

प्रसारण क्षेत्र - प्रसार भारती					
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**एई**	**बीई के संबंध में एई%**	**आरई के संबंध में एई%**
2018-19	3136.26	3147.30	3101.26	98.88	98.54
2019-20	3362.36	3124.76	3124.76	92.93	100.00
2020-21	3259.36	2899.00	2175.34*	60.85	66.41
2021-22	2956.11	-	-	-	-

* वास्तविक व्यय 2020-21, 16.02.2021 तक है।

(एक) <u>प्रसार भारती द्वारा सृजित और उपयोग आईईबीआर</u>

42. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसार भारती द्वारा सृजित निवल आईईबीआर के साथ निवल राजस्व अनुमानों की उपयोगिता और उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	**निवल राजस्व अनुमान**	**प्रसार भारती द्वारा सृजित निवल आईईबीआर (सवधि जमा पर ब्यज सहित)**	**आईईबीआर की उपयोगिता (निवल)**
2018-19	1596.00	1581.53	1401.83
2019-20	1649.06	1364.53	1318.04
2020-21	1410.00	759.80*	715.53#
2021-22	-	1480.00 (लक्ष्य	1311.47

प्रस्तावित			

* आईईबीआर नवंबर, 2020 तक # आईईबीआर का उपयोग दिसम्बर 2020 तक

43. वर्ष 19-2018से प्रसार भारती द्वारा सृजित निवल आईईबीआर में निरंतर कमी का कारण पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

(क) डीडी और आकाशवाणी के विज्ञापन राजस्व पर गंभीर प्रभाव डालने वाले सरकारी खर्चों में अत्यधिक कमी।

(ख) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 27 मंत्रालयों से विज्ञापन राजस्व प्राप्त किया गया था जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इन मंत्रालयों की संख्या कम होकर 10 हो गयी है।

(ग) पीबी के साथ सक्रिय मंत्रालयों का मीडिया बजट वित्त वर्ष 2018-19 के सापेक्ष 70% तक कम हो गया है।

(घ) सरकारी मीडिया ने कोविड-19 के दौरान पारंपरिक मीडिया से सोशल मीडिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों के अनुरोध पर, डीडी पर 356 करोड़ रुपये से अधिक और आकाशवाणी पर 130 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21) के बराबर मौद्रिक मूल्य वाले सार्वजनिक जागरूकता के कई मीडिया अभियानों को लोक-कल्याणार्थ (नि:शुल्क) प्रवर्तित किया गया।

44. दूरदर्शन और आकाशवाणी में विज्ञापन राजस्व पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान कोविड 19-महामारी में सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ-साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा भी डीडी और आकाशवाणी पर विज्ञापन पर व्यय में काफी कमी के कारण राजस्व में गिरावट दर्ज की गई है। यह प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा गया है:

(एक) सरकार और कॉर्पोरेट ग्राहकों का मीडिया बजट काफी हद तक कम हो गया जिसके कारण प्रसार भारती के राजस्व सृजन पर प्रभाव पड़ा।

(दो) प्रसार भारती नेटवर्क पर कुछ महीनों के लिए नए सामग्री का निर्माण नहीं किया जा सका, जिससे विज्ञापन राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(तीन) ओटीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से पारंपरिक लिनियर व्यूइंग से नोन-लिनियर व्यूइंग की ओर एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ जिससे राजस्व सृजन भी प्रभावित हुआ है।

45. मंत्रालय की योजना उपरोक्त प्रभाव को कम करने के लिए डीडी और एआईआर पर अभिनव सामग्री प्रोग्रामिंग करना है ताकि युवा दर्शक, जो विश्व की जनसंख्या का 65% हैं, आकर्षित हो सके।

46. वर्ष 22-2021के दौरान 1480करोड़ रुपये के आईईबीआर सृजन की योजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि इन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों में शामिल हैं) -क (अभिनव कंटेंट प्रोग्रामिंग बढ़ाना) ,ख (लोक-कल्याणार्थ)निःशुल्क (अभियानों को सीमित करना) ,ग (नए ग्राहकों में पिचिंग के लिए संविदात्मक माध्यमिक प्रबंधन बिक्री कर्मचारियों को हायर करना) ,घ (डीडी फ्री-डिश की चैनल क्षमता में वृद्धि) ,ङ (डिजिटल/अभिलेखागार से राजस्व में वृद्धि।

47. आईईबीआर में सुधार और आईईबीआर का इष्टतम उपयोग करने के लिए किए गए उपायों में प्रचालनों और प्रतिष्ठानों का युक्तिकरण करना शामिल है। इस युक्तीकरण के परिणामस्वरूप, उप-शीर्ष ओई (कैजुअल के लिए भुगतान) कैजुअल की बुकिंग, सुरक्षा प्रबंधन, बिजली आपूर्ति आदि के तहत व्यय को पिछले कुछ वर्षों में कम किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निरर्थक व्यय से बचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

.48 प्रसार भारती द्वारा सृजित अप्रयुक्त आईईबीआर पर की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि भविष्य की देनदारियों और आकस्मिकताओं सहित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए प्रसार भारती के अप्रयुक्त आईईबीआर को धनराशि निवेश नियम, 2007 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किया जा रहा है।

49. प्रसार भारती के लिए राजस्व सृजन के प्रश्न पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"मोटे तौर पर अब तक राजस्व के चार स्ट्रीम्स रहें हैं। पहला प्लेटफार्मों पर है जो डीडी फ्री डिश और हमारे एयर टावर्स हैं। इसलिए, यह राजस्व स्ट्रीम को बढ़ा रही है। इस वर्ष राजस्व के हिसाब से डीडी फ्री डिश का करीब 600 करोड़ रुपए का योगदान रहेगा। यह स्ट्रीम तेजी से बढ़ रही है। राजस्व का दूसरा स्रोत सरकारी विभागों और मंत्रालयों से प्राप्त विज्ञापन है। पिछले दो-तीन साल में इसमें काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। पहले इससे हमें लगभग 300 करोड़ रुपये मिलते थे। तीसरी स्ट्रीम निजी क्षेत्र से प्राप्त वाणिज्यिक विज्ञापन का है, जो सालाना करीब 100 करोड़ रुपए का रहा है। यह नई सामग्री परियोजनाओं के साथ वृद्धि करेगा जिसकी हम शुरुआत कर रहें हैं। चौथा स्ट्रीम डिजिटल और अभिलेखागार है। वर्तमान में डिजिटल साल दर साल करीब 100 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। लेकिन इस समय राजस्व में इसका हिस्सा केवल कुछ करोड़ ही है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में यह और बढ़ेगा। इसलिए, मोटे तौर पर ये अब तक के राजस्व स्ट्रीम्स हैं।"

(दो) <u>प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)</u>

50. वित्तीय वर्ष 20-2019से, प्रसार भारती की स्कीम के संबंध में तीन स्कीमों का विलय कर दिया गया है और इस स्कीम के सापेक्ष 'प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास)<u>बीआईएनडी(</u>' नामक एक एकल पंक्ति बजट प्रविष्टि बनाई गई है। वर्ष -2019 20से पहले, सहायता-अनुदान का उपयोग प्रसार भारती, किसान चैनल और अरूण प्रभा चैनल के लिए पृथक रूप से किया जाता था। वर्तमान में, प्रसार भारती के तहत केवल एक योजना 'प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास)बीआईएनडी(' है जिसमें निम्नलिखित घटक हैं:-

1. ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटाइजेशन सहित), आवर्धन और प्रतिस्थापन
2. सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, आवर्धन और प्रतिस्थापन
3. स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन
4. एफएम विस्तार/प्रतिस्थापन
5. दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार

6. संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज का सुदृढ़ीकरण
7. हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)
8. टीवी चैनलों का विस्तार
9. वैकल्पिक मंच पर प्रसारण
10. स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध कार्यों सहित सिविल अवसंरचना का विस्तार
11. ई-गवर्नेंस
12. स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) सहित कंटेंट विकास

51. वर्ष 2020-21 के लिए बीआईएनडी के अंतर्गत, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के साथ-साथ लक्ष्यों की उपलब्धि का ब्यौरा अनुबंध- तीन पर दिया गया है।

52. वर्ष 2021-22 हेतु इस योजना के अंतर्गत 316 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए मंत्रालय की योजना अनुबंध-चार पर दी गई है।

.53 वर्ष 21-2020 ,20-2019 ,19-2018और 22-2021के लिए प्रसार भारती के अंतर्गत प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास) बीआईएनडी (के संबंध में बजट प्राक्कलन ,संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपये में)

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास					
वर्ष	**बजट प्राक्कलन**	**संशोधित प्राक्कलन**	**वास्तविक व्यय**	**बजट प्राक्कलन के संबंध में वास्तविक व्यय %**	**संशोधित प्राक्कलन के संबंध में वास्तविक व्यय %**
2018-19	315.70	326.74	280.70	88.91	85.91
2019-20	473.00	235.40	235.40	49.77	100.00
2020-21	370.00	173.90	156.62*	42.33	90.06
2021-22	316.00	-	-	-	-

* *वर्ष 21-2020के लिए वास्तविक व्यय दिनांक 16.02. 2021तक की स्थिति के अनुसार हैं।*

.54 मंत्रालय ने बताया कि महामारी की स्थिति ,जिससे पूरे विश्व में कार्मिकों और सामग्री की आवाजाही प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई ,के कारण 'प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास)बीआईएनडी(' के कार्यान्वयन में समग्र कमी हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश प्रसारण उपकरण और सेवाएँ देश में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए इनका आयात किया जाना है, खरीद में देरी हुई। इससे चल रही परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति प्रभावित हुई और बजट अनुमान 21-2020में आबंटित निधियों के कम उपयोग का प्रमुख कारण यही रहा। उन्होंने यह भी बताया कि संशोधित अनुमान आबंटन के संबंध में निधि के उपयोग में कोई कमी नहीं है तथा प्रतिबद्ध देनदारियों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की गई है। इस वर्ष कम आवंटन के कारण प्रभावित होने वाली प्रसार भारती के तहत परियोजनाओं का ब्यौरा देने के लिए पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि कम आबंटन के कारण योजना के कार्यान्वयन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। चल रही स्पिल-ओवर परियोजनाएं वर्ष 22-2021में पूरी हो जाएगी।

55. जब उपकरण और सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने बताया कि महामारी के कारण, खरीद प्रक्रिया में देरी हुई। वेंडर, निविदाओं में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। जिन मामलों में ऑर्डर दे दिए गए थे, उनमें निरीक्षण में देरी हुई। कुछ संस्थापनों में देरी हुई क्योंकि ओईएम व्यक्ति यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत का दौरा करने में सक्षम नहीं थे। ऑनसाइट निरीक्षण के संबंध में उत्पन्न समस्या के लिए ऑन-लाइन संस्थापना/निरीक्षण का सहारा लिया गया।

56. देश में उपलब्ध नहीं होने वाले प्रसारण उपकरणों और सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि अधिकांश प्रमुख प्रसारण उपकरण अर्थात एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर, एफएम ट्रांसमीटर, डिप्लेक्सर, एंटीना आरएफ केबल, मिजरिंग उपकरण, प्रोग्राम प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्रांसमीटर, कैमकॉर्डर, एनएलई, प्रोडक्शन स्विचर, रूटिंग स्विचर, डीएफएस, पीडीए, मिजरिंग उपकरण, एचपीए, एनकोडर, आईआरडी,

अपकन्वर्टर एवं डाउनकन्वर्टर, मॉड्युलेटर आदि भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें विदेशी वेंडरों से आयात करने की आवश्यकता होती है। उपकरणों का निर्माण भारतीय बाजार में आवश्यकता पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में निजी ब्रॉडकास्टर प्रचालन में शामिल हुए हैं लेकिन विकास में वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, भारतीय फर्म मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता के मामले में विदेशी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। भारतीय निर्माता श्रव्य प्रसारण उपकरणों जैसे प्रोग्राम उपकरण रैक, मिजरिंग उपकरण और अन्य सहायक उपकरण की आपूर्ति कर रहे हैं।

57. ऐसे प्रसारण उपकरण और सेवाएं, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, के स्वदेशी निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने मेक इन इंडिया उपकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निविदा दस्तावेज में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। यह आने वाले वर्षों में मेक इन इंडिया विनिर्माण में मदद करेगा और प्रसारण उपकरण विनिर्माण में देश आत्मनिर्भर को बनाएगा।

(तीन) <u>दूरदर्शन</u>

58. दूरदर्शन के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का बजटीय ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के संबंध में %	संशोधित अनुमान के संबंध में %
2018-19	190.70	206.72	114.53	60.05	55.40
2019-20	280.56	211.58	187.33	66.77	88.53
2020-21	238.00	149.91	87.39*	36.71*	58.29*
2021-22	176.00	-	-	-	-

*पिछले वर्ष की अनुप्रयुक्त निधियों सहित *व्यय जनवरी 2021 तक

59. मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में दूरदर्शन के 36 उपग्रह चैनल संचालित हैं। ये चैनल दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म "डीडी फ्री डिश" पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 31.01.2021 तक, देश में 909 निजी उपग्रह टीवी चैनल हैं। डीडी के सब्सक्राइबर बेस से संबंधित आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया है कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 25/02/2021 को बहु-प्रणाली संचालकों (एमएसओ) के माध्यम से केबल टीवी सब्सक्राइबर की कुल संख्या 72,022,244 हैं। इसके अलावा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 25.02.2021 तक देश में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सब्सक्राइबरों की संख्या 98,457,526 है। एफआईआईसीआई और ईवाई इंडिया की मार्च, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में ~38 मिलियन डीडी फ्री-डिश सब्सक्राइबर होने का अनुमान हैं।

60. वर्ष 2021-22 के लिए दूरदर्शन के तहत निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य अनुबंध-पांच पर दिया गया है।

61. दूरदर्शन के तहत निर्धारित संशोधित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया है कि संशोधित अनुमान (2020-21) में आबंटन 61.93 करोड़ रुपये है और जनवरी, 2021 तक व्यय 37.66 करोड़ रुपये है। आबंटित संशोधित अनुमान का पूर्ण उपयोग किए जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि दूरदर्शन ने परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। हालाँकि, महामारी की स्थिति और अन्य कारणों से वर्ष 2020-21 के लिए लक्षित कुछ परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका और ये वर्ष 2021-22 में स्पिल-ओवर हो गईं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, नियमित निगरानी आदि के माध्यम से इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन स्पिल्ड ओवर परियोजनाओं के संशोधित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

घटक	वर्ष 2021-22 में स्पिल-ओवर की जाने वाली परियोजनाएं	संशोधित लक्ष्य
ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटाइजेशन सहित), आवर्धन और प्रतिस्थापन	1 स्थान पर टॉवर सुदृढ़ीकरण	सितम्बर, 2021
सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, आवर्धन और प्रतिस्थापन	7 स्थानों पर अपलिंक पीडीए का प्रतिस्थापन	मार्च, 2022
डीटीएच का विस्तार	देश के दूरस्थ, आदिवासी और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए 1,20,000 डीटीएच सेट की खरीद	मार्च, 2022
	डीटीएच प्लेटफॉर्म का 120 टीवी चैनलों तक विस्तार	जून, 2021
हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)	डीडी न्यूज और सीपीसी दिल्ली के मौजूदा स्टूडियो के एचडी उन्नयन के लिए शेष उपकरण की खरीद।	जून, 2021
	डीडी- भारती और डीडी-इंडिया चैनल के लिए स्वचालित प्लेआउट सुविधाएं	दिसम्बर, 2021
टीवी चैनलों का विस्तार	रायपुर, रांची और देहरादून में निर्माणोपरांत सुविधाएं	सितम्बर, 2021
स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध कार्यों सहित सिविल अवसंरचना का विस्तार	अमृतसर में टॉवर को पूरा करने के लिए शेष कार्य, ट्रांसमीटरों को स्थानांतरित करना और अन्य संबद्ध कार्य	अगस्त, 2021
संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज का सुदृढ़ीकरण	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यों क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों पटनीटोप, ग्रीन रिज, हिंबोटिंगला और राजौरी (2) में एचपीटी की स्थापना करना	जून, 2021

62. दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि यह एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में समय समय पर योजनाएं बनती और कार्यान्वित होती रही हैं। दूरदर्शन का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। आधुनिकीकरण की स्कीम में एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ, डिजिटाइजेशन; अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष नई तकनीकों को अपनाना; पुराने/अप्रचलित उपकरण का प्रतिस्थापन और स्तरोन्नयन आदि शामिल हैं। प्रसार भारती की स्कीम "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास" के 3 वर्ष (2017-20) के लिए विस्तार, जिसे बाद में और विस्तारित करके वर्ष 2020-21 कर दिया गया, के भाग के रूप में, किसान चैनल के आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू और पूरा किया गया: सीपीसी, दिल्ली में मल्टीचैनल स्वचालित प्लेबैक सुविधा, एचडीटीवी फॉर्मेट (एचडीटीवी स्टूडियो) में मल्टी कैमरा स्टूडियो निर्माण सुविधा, एचडीटीवी फॉर्मेट में कोलाबोरेटिब नोन-लिनियर निर्माण-उपरांत सुविधा और नए अर्थ स्टेशन की स्थापना। 18 क्षेत्रीय केंद्रों और सीपीसी, दिल्ली में एचडी कैमकॉर्डर और एचडी रिकॉर्डर/डेक, लाइट वेट कैमरा सपोर्ट सिस्टम, बैक-पैक, डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर, एचडी एनएलई, एचडीटीवी जूम लेंस और मॉनिटर प्रदान करके तकनीकी सुविधाओं में वृद्धि करना। 8 चैनलों, जो एक अंतरिम उपाय के रूप में कंटेंट को तब तक प्रसारित कर रहे हैं जब तक कि उनकी स्थानीय क्षमता को बढ़ाकर 24x7 प्लेआउट नहीं किया जाता, सहित सभी 36 दूरदर्शन चैनल अपने संबंधित सेटेलाइट स्लॉट पर 24x7 प्रसारित किए जा रहे हैं।

(क) <u>दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल</u>

63. वर्ष 2021-22 के लिए प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख महत्व वाले क्षेत्रों में से एक यह है कि दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों को 24x7 बनाया जाए। 36 डीडी चैनलों में से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा

करने के लिए संबंधित राज्यों की राजधानी स्टेशनों से 28 डीडी क्षेत्रीय भाषा चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं। अनुबंध-छ: में क्षेत्रीय भाषा चैनलों का विवरण दिया गया है।

64. छत्तीसगढ़ी, हो, संथाली आदि जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक चैनल होने की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने इसके अंतर्गत प्रस्तुत साक्ष्यों के दौरान कहा:

> "छत्तीसगढ़ और झारखंड की उन स्थानीय भाषाओं के संबंध में, जिसका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, सरकार की नीति स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की है। हमें पता नहीं कि श्रोताओं की संख्या क्या होगी लेकिन....xxx.....xxx....., कम से कम, आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी और संथाली में प्रसारण शुरू कर सकता है और हम टीवी में बुलेटिन के रूप में भी ऐसा कर सकते हैं।"

65. विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने और कार्यक्रम करने पर अपने ग्रेड प्राप्त कलाकारों के लिए पारिश्रमिक में संशोधन कर उसे बढाए जाने के विषय में प्रसार भारती की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने जवाब दिया कि ग्रेड प्राप्त कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि की कोई तत्काल योजना नहीं है, तथापि, प्रसार भारती, स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए और स्थानीय एवं क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को अवसर प्रदान करने के लिए अपने आकाशवाणी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए भाषाई, सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कंटेंट का निर्माण करने के लिए स्थानीय प्रोग्रामिंग को लगातार बढ़ावा दे रहा है। स्थानीय प्रतिभा को "एंड्रायड" और "आईओएस" प्लेटफ़ॉर्म पर "न्यूजऑनएयर" मोबाइल ऐप पर विभिन्न आकाशवाणी चैनलों की उपलब्धता के माध्यम से राष्ट्रीय/उप-महाद्वीपीय दृश्यता भी प्राप्त होती है। पिछले वर्ष 2020 में, सबसे लोकप्रिय लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग वाली न्यूजऑनएयर ऐप, जिसमें 200 से अधिक स्ट्रीम शामिल है, पर 300 मिलियन से अधिक व्यूज दर्ज करते हुए 2.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं जुड़े हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों पर कला, संस्कृति, विरासत, इतिहास

के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया जाता है। क्षेत्रीय चैनल संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प स्थानीय अनुभूति तथा स्थान के कला एवं संस्कृति के विभिन्न अन्य आयामों को प्रदान के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए स्थानीय कलाकारों को शामिल करते हैं। प्रसार भारती ऑन-लाइन ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर रहा है और इसने ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली भी शुरू की है।

66. डीडी चैनल की ओर और अधिक दर्शकों और सब्सक्राइबरों को आकर्षित करने के लिए प्रसार भारती / डीडी की कार्यनीति के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि:

(क) दूरदर्शन दर्शकों की जरूरत और पसंद के अनुसार अपने चैनलों के कंटेंट के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है।

(ख) नई तकनीक के आगमन के साथ, दूरदर्शन विभिन्न कदम उठा रहा है:

i. दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों को स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन में परिवर्तित किया जा रहा है।

ii. हाल के दिनों में दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर दूरदर्शन चैनलों के सब्सक्राइबरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

iii. दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज की शुरूआत की गई हैं।

iv. प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए स्टूडियो में वीडियो वॉल का आरम्भ किया गया है।

v. पिछले वर्ष के दौरान, डीटीएच प्लेटफॉर्म पर दूरदर्शन के डीडी रेट्रो, डीडी अरुणप्रभा और ग्यारह 24x7 राज्य विशिष्ट चैनल आरम्भ किए गए थे। इससे, दूरदर्शन नेटवर्क की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है।

vi. नए कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

(i) डीडी नेशनल पर रामायण एक ही दिन में अर्थात् 16 अप्रैल, रात्रि 9 बजे 77 मिलियन इम्प्रेशन के साथ विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया।

(ii) डीडी नेशनल रामायण और अन्य क्लासिक शो के पुन: प्रसारण के पहले सप्ताह के दौरान अप्रैल 2020 (सप्ताह 15'20) के मध्य में कुल 2733 मिलियन इम्प्रेशन के साथ नंबर 1 चैनल बन गया।

(iii) रामायण और अन्य क्लासिक शो के पुन: प्रसारण के पहले चार हफ्तों में, डीडी नेशनल ने हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों की कुल दर्शक संख्या का 63% कवर किया।

(iv) डीडी भारती पर महाभारत के प्रसारण से मार्च-अप्रैल 2020 (सप्ताह 13'20) में चैनल पर दर्शकों की संख्या बढ़कर 146 मिलियन तक हो गई।

(v) दूरदर्शन के डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और 31 क्षेत्रीय समाचार यूनिटों ने महामारी की अवधि के दौरान कोविड-19 पर अपने दर्शकों को प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इंटरएक्टिव लाइव फोन-इन कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया ताकि दर्शक डॉक्टरों के पैनल से सीधे सवाल पूछ सकें। क्षेत्र से संबंधित अच्छी खबरों का प्रसार, कल्याणकारी स्कीमों का प्रभाव और लोगों के जीवन पर उनका प्रभाव, झूठी खबरों से निपटान अन्य ऐसे क्षेत्र थे जिन पर फोकस किया गया। डीडी न्यूज मुख्य रूप से एक हिंदी समाचार चैनल और डीडी इंडिया के एक अंग्रेजी समाचार चैनल बनने के साथ, समाचार देखने वाले दर्शकों के बीच दूरदर्शन की पहुंच में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता की नियमित रूप से दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है और प्रसारित किए जाने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को फीडबैक के अनुसार संशोधित किया जाता हैं।

(घ) दूरदर्शन नियमित रूप से पत्र, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों से फीडबैक प्राप्त करता है। इसने साप्ताहिक बीएआरसी डाटा को भी सब्सक्राईब किया है जो दर्शकों के आउटरीच के बारे में एक स्पष्ट वर्णन प्रदान करता है। प्राप्त फीडबैक विभिन्न दर्शकों की बदलती जरूरतों और पसंद के अनुसार कार्यक्रमों के निर्माण में मदद करता है।

(ङ) दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों के अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया हैंडल हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से दर्शकों के फीडबैक और बीएआरसी से प्राप्त आंकड़ों को जनता के बीच दूरदर्शन कार्यक्रमों की लोकप्रियता के बारे में फीडबैक के रूप में माना जाता है और ये दूरदर्शन को कंटेंट निर्माण के बारे में कार्यनीति बनाने में मदद करता है।

(च(दूरदर्शन चैनलों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों का प्रसारण दूरदर्शन प्रसारण कोड / विज्ञापन के लिए कमर्शियल कोड और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 ,के तहत निर्दिष्ट कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के अनुसार किया जाता है। दूरदर्शन नेटवर्क के किसी भी चैनल पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों का दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा पूर्वावलोकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे क्रमशः दूरदर्शन के कार्यक्रम और कमर्शियल कोड के अनुरूप हैं।

(छ) विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों के कार्यक्रम और समाचार अधिकारी नियमित रूप से प्रसिद्ध हस्तियों और स्थानीय कलाकारों के साथ बातचीत करते हैं और कार्यक्रम के निर्माण के बारे में फीडबैक एकत्र करते हैं।

67. दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों में कंटेंट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मंत्रालय ने बताया कि प्रसार भारती अपने विभिन्न डीडी चैनलों के लिए नए कंटेंट प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कंटेंट प्राप्त करने के लिए प्रसार भारती में एक समर्पित कंटेंट सोर्सिंग अनुभाग बनाया गया है। प्रसार भारती ने "डीएपी)प्रत्यक्ष असाइनमेंट प्रक्रिया (के तहत कार्यक्रमों की कमीशनिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश" भी अधिसूचित किये हैं और शेल्फ कंटेंट के अधिग्रहण के लिए अपनी नीतियों को संशोधित किया है। इन विभिन्न तरीकों के माध्यम से नए कंटेंट का प्रवेश कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति की निर्भरता से बचने में मदद करेगा।

68. डीडी नेशनल तथा डीडी रेट्रो के बीच सामग्री की पुनरावृत्ति के प्रश्न के उत्तर में साक्ष्य के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बताया कि: -

> "वर्तमान में डीडी नेशनल पर कार्य दिवसों के दौरान हमारे पास अभिलेखागार से ली गई पुरानी सामग्री होती है। सप्ताहांत पर, हम नई सामग्री का प्रीमियर करते हैं। एक बार इस नई परियोजना के शुरू हो जाने के बाद यह डीडी नेशनल पर जाएगा, जबकि डीडी रेट्रो विशेष रूप से अभिलेखीय सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेगा।"

(ख) <u>दूरदर्शन किसान चैनल</u>

69. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए डीडी किसान चैनल के संबंध में बजटीय विवरण और निधि के कम उपयोग के कारण संबंधी विवरण इस पकार है:

(करोड़ रूपये में)

डीडी किसान चैनल						
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**कम उपयोग के कारण**

				के संबंध में प्रतिशत	**के संबंध में प्रतिशत**	
2018-19	45.20	25.86	19.31	42.72%	74.67%	• कार्यक्रम "महिला किसान" के लिए कुछ भुगतानों को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्यक्रम जारी रहे। • फ़िल्म नीति की व्याख्या से उत्पन्न मुद्दों के कारण फिल्मों के लिए रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जा सका। • टीआरपी से संबंधित मुद्दों के कारण एसएफसी के कुछ भुगतान नहीं किए जा सके
2019-20	29.72	17.55	16.43	55.28%	93.62%	मध्यस्थता /न्यायालयी मामलों के परिणामों, जिसके लिए बजट प्रावधान किया गया था,

						में देरी।
2020-21	43.45	18.94	5.27	12.13%	27.82%	
2021-22	47.80					

70. निर्माण किए गए इन हाउस कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम तथा डीडी किसान चैनल के अंतर्गत 2020-21 के दौरान उठाए गए कदमों का विवरण अनुबंध-सात पर दिया गया है।

71. वर्ष 2020-21 के लिए डीडी किसान चैनल के तहत लक्ष्य न प्राप्त करने के कारणों के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण अप्रैल से मई 2020 तक, इन-हाउस कार्यक्रमों में से कुछ का निर्माण नहीं किया जा सका। हालाँकि, बाद में किसान मुद्दों पर अनेक नए कार्यक्रमों का निर्माण किया गया। नए एसएफसी कार्यक्रम जिन्हें मार्च, 2020 से प्रसारित करने की योजना बनाई गई थी, उन्हें कोविड प्रतिबंधों के कारण अगस्त, 2020 तक स्थगित कर दिया गया था।

72. यह पूछे जाने पर कि क्या किसान चैनल देखने वाले किसानों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया गया था अथवा क्या किसानों द्वारा सुझाव देने के लिए कोई फीडबैक तंत्र उपलब्ध है, मंत्रालय ने बताया कि कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया है। दर्शकों के आकलन के लिए बीएआरसी के डाटा का उपयोग किया जा रहा है। फीडबैक तंत्र मुख्य रूप से टोल फ्री लाइनों और सोशल मीडिया प्रतिक्रिया के रूप में है।

(चार) <u>आकाशवाणी और एफएम</u>

73. देश भर के 485आकाशवाणी केंद्रों से 506एफएम ट्रांसमीटर और 129मीडियम वेव)एमडब्ल्यू) एआईआर ट्रांसमीटर विभिन्न आकाशवाणी चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। चैनलों में प्राथमिक चैनल, स्थानीय रेडियो स्टेशन)एलआरआस), एफएम इंद्रधनुष, एफएम गोल्ड और विविध भारती चैनल शामिल हैं। देश की 181बोलियों में प्रसारण के अलावा आठवीं अनुसूची उल्लिखित 22भाषाओं में और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाता है।

74. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए आकाशवाणी के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**
				के संबंध में %	**के संबंध में %**
2018-19	125.00	120.02	108.05	86.44%	90.03%
2019-20	192.44	105.78	101.69	52.84%	96.13%
2020-21	132.00	52.33	48.11	36.45%	91.94%
2021-22	140.00				
* पिछले वर्षों के लिए खर्च न की गई राशि सहित * जनवरी 2021 तक का व्यय					

75. यह नोट करते हुए कि वास्तविक उपयोग 48.11 करोड रुपए का था, जो वर्ष 2020-21 के लिए 132.00 करोड रुपए के बजटीय आवंटन के सापेक्ष 36.5% था, समिति ने अल्प उपयोग के कारण के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2020-21 के सं.अ. के संदर्भ में वित्तीय लक्ष्यों का अल्प उपयोग नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 2020-21 के संदर्भ में वित्तीय और भौतिक रूप

से कमी देखी गई है। आवंटित ब.अ. के संदर्भ में निधियों के अल्प उपयोग का प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी थी।

.76वर्ष 22-2021के लिए आकाशवाणी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य अनुबंध आठ पर दिए गए हैं।

77. यह पूछे जाने पर कि देश में अनेक महत्वपूर्ण भाषाओं में आकाशवाणी के प्रसारण का विस्तार करने की योजनाओं के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि आकाशवाणी 181 बोलियों में प्रसारण के अलावा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में और अंग्रेजी में भी प्रसारण करता है। इसके अलावा, प्रसार भारती में वर्तमान में संबंधित राज्यों में राजधानी में स्थित स्टेशनों से प्रसारण करने वाले डीडी के 28 क्षेत्रीय चैनल हैं। वर्तमान में, देश में अनेक प्रमुख भाषाओं में डीडी/आकाशवाणी के विस्तार की कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

78. जब आकाशवाणी के नेटवर्क के डिजिटलीकरण की स्थिति और तीव्र कार्यान्वयन पर नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो, मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> "ग्यारहवी योजना में आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण को मंजूरी दी गई है, जिसे आगे बारहवीं योजना तक विस्तारित किया गया है। आकाशवाणी ने अपने 36 उच्च शक्ति डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से डिजिटल ट्रांसमिशन शुरू किया है, यह देश की 70% आबादी के लिए उपलब्ध है। आकाशवाणी ने एसडब्ल्यू ट्रांसमीटरों से डिजिटल सिग्नल भी विकीर्ण किया है, जो डिजिटल रिसीवर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आकाशवाणी भविष्य में एसडब्ल्यू और एफएम मोड में अपने नेटवर्क के डिजिटलीकरण की योजना बना रहा है। इसने डिजिटल मोड में काम करने के लिए 6 डिजिटल तैयार एमडब्ल्यू ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, आकाशवाणी ने अपने 127 स्टूडियो को डिजिटल बनाया है। सभी कनेक्टिविटी उपकरण (अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग और स्टूडियो ट्रांसमीटर) लिंक को डिजिटल बना दिया गया है।"

79. जब पूछा गया कि आकाशवाणी एफएम के विभिन्न चैनलों को कार्यक्रम पुनरावृत्ति और अतिव्यापीकरण से बचने के लिए कैसे आयोजित और व्यवस्थित किया गया है , मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया: -

"प्रसार भारती लक्षित श्रोतागण की आवश्यकता के लिए लगातार प्रोग्रामिंग की नक़ल से बचने के लिए और अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के विभिन्न चैनलों के फिक्स्ड पॉइंट चार्ट (एफपीसी) की लगातार समीक्षा कर रहा है। चैनल प्रोग्रामिंग को आवश्यकतानुसार बदल दिया जाता है।

विभिन्न आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सेवाओं को चुना जाता है ताकि कवरेज क्षेत्र में श्रोताओं को सेवाओं का दोहराव न हो। इसके अलावा, प्रसार भारती आकाशवाणी के तहत अपने एफएम नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। प्रसार भारती का यह लगातार प्रयास है कि वे अन्य नए मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी सामग्री डालें।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ले जाने वाले आकाशवाणी के प्राथमिक चैनल मुख्य रूप से देश के 91% क्षेत्र को कवर करने वाले मीडियम वेव के माध्यम से उपलब्ध हैं। बेहतर सुनने के अनुभव के लिए इन मीडियम वेव सर्विसेज में विभिन्न स्थानों पर एफएम का समर्थन है। इसके अलावा, प्रसार भारती के पास देश भर में आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटरों का विशाल नेटवर्क है; और यह कवर नहीं किये गए और सीमा क्षेत्रों में आगे औए विस्तार की प्रक्रिया में है।

आकाशवाणी चैनलों को विभिन्न खंडों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक में एक अलग सामग्री और विशिस विशिष्ठता है और लक्षित दर्शकों के अनुरूप अलग-अलग फिक्स्ड प्वाइंट चार्ट (एफपीसीएस) पर आधारित प्रोग्रामिंग है। ये मोटे तौर पर (i) प्राथमिक चैनल (मुख्य रूप से एमडब्ल्यू पर) - लोक सेवा प्रसारण सामग्री (ii) स्थानीय रेडियो स्टेशनों (एफएम में) पर केंद्रित हैं, जो सार्वजनिक सेवा प्रसारण और वाणिज्यिक मनोरंजन का मिश्रण हैं, जिसमें स्थानीय संस्कृति,

भाषाओं/बोलियों और स्थानीय प्रतिभा,पर विशेष जोर है (i) विविध भारती सेवा (वीबीएस) (एफएम में) - फिल्म संगीत और संबंधित उप-शैलियों की सामग्री पर आधारित वाणिज्यिक मनोरंजन (iv) एफएम रेनबो चैनलों में शहर विशिष्ट फोकस के साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारण और सूचना का मिश्रण है। उपरोक्त के अलावा, जहाँ आकाशवाणी कई एफएम आवृत्तियों का संचालन करता है या डिजिटल रेडियो डीआरएम सेवाओं का संचालन कर रहा है, तीसरी एफएम आवृत्ति/डिजिटल-सेवा विशेष सामग्री जैसे समाचार और करंट अफेयर्स, लाइव स्पोर्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक आदि के लिए समर्पित है।"

80. संबंधित मुद्दे पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती ने साक्ष्य में जोड़ते हुए निम्नानुसार बताया:-

"उनके पास विविध भारती है, जो पहले से ही समान हिंदी फिल्म गाने प्रसारित कर रहा है और हमारे पास एफएम गोल्ड है जो उन्हीं हिंदी फिल्मी गीतों को प्रसारित करता है । आकाशवाणी समाचार टीम की एक चुनौती थी, उनके पास कोई एफएम चैनल नहीं था, जहां समाचार प्रोग्रामिंग स्थानीय रूप से सुनी जाती है। इसलिए हमने उन्हें तीन आवृतियों में अंतर करने के लिए कहा । विविध भारती हिंदी फिल्म मनोरंजन पर केंद्रित है, एफएम रेनबो स्थानीय प्रोग्रामिंग पर केंद्रित है जो शहर विशिष्ट है, और एफएम गोल्ड में समाचार और वर्तमान मामलों और अन्य लाइव कार्यक्रमों का संयोजन है।"

(पांच) <u>प्रसार भारती में मानव संसाधन</u>

81. आकाशवाणी के संबंध में समूहवार रिक्ति विवरण इस प्रकार है:

समूह	स्वीकृत पद	कर्मचारी संख्या	रिक्ति
क	2002	800	12024

ख	12056	7128	4928
ग	12071	6115	5956
कुल	26129	14043	12086

82. दूरदर्शन के संबंध में समूहवार रिक्ति विवरण इस प्रकार है:

समूह	**स्वीकृत पद**	**कर्मचारी संख्या**	**रिक्ति**
क	1116	494	622
ख	4183	2112	2071
ग	16401	8847	7554
कुल	21700*	11453	10247*
* वार्षिक प्रत्यक्ष भर्ती योजना (एडीआरपी) 2002 से 2038 पद समाप्त कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय वार्षिक प्रत्यक्ष भर्ती योजना (एडीआरपी) 2008-09।			

83. जब आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में रिक्ति को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने सूचित किया है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए, प्रसार भारती भर्ती बोर्ड का गठन 01.07.2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12,02.2020 के अनुसार किया गया है। शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए बैकलॉग रिक्ति को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही बोर्ड द्वारा शुरू की जा चुकी है और यह संभवतः 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। पदोन्नति से संबंधित रिक्तियों के संबंध में डीपीसीएस को डीओपीटी के निर्देश के अनुसार नियमित रूप से बुलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रसार भारती ने एक बाहरी एजेंसी से मैनपावर ऑडिट आयोजित किया है, इसके अलावा, मैनपावर ऑडिट की रिपोर्ट को प्रसार भारती द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भर्ती शुरू की जाएगी।

84. जब कार्रवाई के साथ मेसर्स अन्र्स्ट एंड यंग एलएलपी की मैनपावर ऑडिट रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो, मंत्रालय ने बताया कि जनशक्ति ऑडिट दिनांक 29.09.2020 की अंतिम रिपोर्ट को सीईओ प्रसार भारती ने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट की स्वीकृति से 13.10.2020 को ई एंड वाई को अवगत कराया गया है। इसके अलावा, जनशक्ति ऑडिट रिपोर्ट के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या मेसर्स अन्र्स्ट एंड यंग एलएलपी की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने के लिए कोई समयरेखा तय की गई है, मंत्रालय ने कहा कि चूंकि सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रकृति में गतिशील है, इसलिए कोई समयरेखा तय नहीं की गई है।

85. अन्र्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट प्रस्तुति और स्थिति के बारे में सीईओ प्रसार भारती ने निमन्वत बताया:

> "इसे अगस्त- सितम्बर, 2020 में प्रस्तुत किया गया था ... xxx ... उन्होंने एक संस्करण प्रस्तुत किया, जिसकी बोर्ड ने जांच की। फिर, हमने कुछ अंतर पाए। इसके बाद, बोर्ड ने सीईओ को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया कि रिपोर्ट सभी विश्लेषणों के संदर्भ में पूर्ण हो। इसमें कुछ और सप्ताह लग गए, फिर, आखिरकार रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। हमने वह रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है ... xxx ... xxx ... xxx ... लगभग 50 से 60 कार्रवाई योग्य सिफारिशें हैं। हमने पहले ही कुछ शुरू कर दिए हैं क्योंकि वे परिचालन निर्णय हैं। कुछ सिफारिशों के लिए नियमों और अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता होगी। जिन्हें मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा। हम व्यापक विश्लेषण करेंगे कि हम किन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और किन को करने की आवशयकता है।

86. श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने 24.01.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 8 अलग-अलग विषयों पर 26 सिफारिशें दीं, जिसमें शामिल हैं (i) शासन और संगठन, (ii) वित्त पोषण(iii) मानव संसाधन, (iv) सामग्री, (v)

प्रौद्योगिकी (vi) संग्रह, (vii) सोशल मीडिया और (vil) ग्लोबल आउटरीच| सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों की स्थिति के संबंध में , मंत्रालय ने कहा है कि जांच की गई है, और मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए गए हैं|

(छह) <u>प्रसार भारती द्वारा राजस्व सृजन के लिए सामग्री मुद्रीकरण और अन्य स्रोत</u>

87. कार्यक्रमों के अभिलेखागार के मुद्रीकरण के माध्यम से राजस्व सृजन के लिए, मंत्रालय/ प्रसार भारती द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा है कि प्रसार भारती ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अन्य डीडी चैनलों की प्रोग्रामिंग का मुद्रीकरण किया है। राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के लाइव टेलीकास्ट भी यूट्यूब मंच पर लाइव-स्ट्रीम किए जाते हैं। प्रसार भारती ने ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से विमुद्रीकरण द्वारा भी राजस्व अर्जित किया है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभिलेखीय सामग्री की बिक्री और मीडिया पूर्वावलोकन द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	**ब्यौरा**	**2018-19 (रु. में)**	**2019-20 (रु. में)**	**2020-21 (रु. में) (आज की तिथि तक)**
I	ऑनलाइन बिक्री	562188	511150	279880
Ii	ऑफलाइन बिक्री	466416	255021	46938
Iii	मीडिया पूर्वावलोकन (ए/वी फुटेज)	268167	30042189	3449974
Iv	मीडिया पूर्वावलोकन (ध्वनि रिकॉर्डिंग)	165200	53738333	8260
v	सोशल मीडिया (यूट्यूब)	51051	479066	1203206

	कुल	1513022	85025759	4988258

88. डीडी और आकाशवाणी चैनलों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में अभिलेखीय सामग्री का उपयोग करने के अलावा, प्रसार भारती इन सामग्रियों को डिजिटल रूप से यूट्यूब पर रखकर भी कमाई कर रहा है। इस समृद्ध खजाने को अपने दर्शकों को दिखा कर। यूट्यूब पर अभिलेखीय सामग्रियों के अपलोड और अर्जित आय का विवरण इस प्रकार है:-

पीबी आर्काइव डिजिटल चैनल (यूट्यूब)					
वित्त वर्ष	**वीडियो की संख्या**	**सब्सक्राइबर की संख्या (क्रमिक)**	**वॉच टाइम (घंटे)**	**व्यूज (लाख में)**	**राजस्व (रुपये में)**
2018-19	609	49700	821400	8.2	51051
2019-20	1406	232200	200000	22.5	479066
2020-21 (अब तक)	2082	486000	350000	35	1203206

89. दूरदर्शन और आकाशवाणी की ओओटी प्लेटफार्मों पर जाने की योजना के बारे में, मंत्रालय ने कहा कि प्रसार भारती ने अपने विभिन्न आकाशवाणी चैनलों को "एंड्रॉइड" और "आईओएस" मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूज ऑन एयर एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, डिजिटल दर्शकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न डीडी "यूट्यूब" चैनल भी बनाए गए हैं। प्रसार भारती अपने चैनलों की व्यापक डिजिटल पहुंच के लिए इन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए चर्चा कर रहा है।

90. रिक्त/निष्क्रिय/अधिशेष अवसंरचना के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा है कि रिक्त/निष्क्रिय/अधिशेष अवसंरचना किराये के आधार पर डीडी टावरों और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता,

जैसी विभिन्न संस्थाओं को प्रदान की जा रही है। इसमें निजी एफएम रेडियो के साथ एआईआर टावरों को साझा करना शामिल है। प्रसार भारती द्वारा इस तरह के संसाधनों का विस्तार करने के लिए अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**वित्त वर्ष**	**अर्जित राजस्व (रु करोड़ में)**
1	2016-17	44.57
2	2017-18	81.44
3	2018-19	85.21
4	2019-20	71.94
5	2020-21	65.57 (दिसंबर, 2020 तक)

91. जब पूछा गया कि क्या दूरदर्शन के पास यात्रा वृतांत बनाने की कोई योजना है, मंत्रालय ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान अनुदान से दूरदर्शन के लिए यात्रा वृतांत बनाने की कोई योजना नहीं है।

92. जब पूछा गया कि क्या दूरदर्शन के पास राष्ट्रीय आयोजनों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस कवरेज के अधिकार हैं ताकि कमाई की जा सके और अर्जित राजस्व के ब्योरे को मंत्रालय ने निमन्वत प्रस्तुत किया:

क) हां, दूरदर्शन के पास राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को कवर करने का अधिकार है।

ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारक के आदेश के तहत, जहां तक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आयोजनों का मुद्रीकरण संबंधित है, दूरदर्शन दर्शकों के अनुभव की खातिर विज्ञापनों के बिना निर्बाध प्रसारण प्रदान करता है।

ग) वाणिज्यिक, यदि कोई हो, घटनाओं से पहले और बाद में रखा जाता है और मुद्रीकरण आम तौर पर समग्र राजस्व के संबंध में महत्वहीन होता है।

93. लाइव कवरेज के मुद्दे और उसी के साथ मुद्रीकरण के बारे में जोड़ते हुए, सीईओ, प्रसार भारती ने साक्ष्य के दौरान निमन्न प्रस्तुत किया:

"अतः, सीधा प्रसारण वह एक क्षेत्र है, जहां हमने विशेष किया है। दूसरा डिजिटल विकास है। हम डिजिटल व्यूअरशिप और रेवेन्यू पर लगभग 100 प्रतिशत पर बढ़ रहे हैं। इसलिए, वहां विकास की बहुत गुंजाइश है। इसलिए, इसका संयोजन हमें अलग करेगा ...xxx... सांस्कृतिक आयोजन जैसे आयोजनों में हम निश्चित रूप से राजस्व सृजित करने पर गौर करेंगे। वाणिज्यिक मनोरंजन के संदर्भ में, यह हमेशा एक चुनौती होगी क्योंकि निजी ब्रॉडकास्टर्स जिस तरह की सामग्री का निवेश करते हैं, उसमें हम कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए, समाचार और करंट अफेयर्स वह क्षेत्र होगा जहां हम खुद को अलग कर सकते हैं। सामान्य प्रतिक्रिया यह है कि जिस तरह से निजी उद्योग समाचार कर रहे हैं, उसकी तुलना में डीडी पर समाचार बहुत ही गंभीर और पर्याप्त है। अभी हम राष्ट्रीय महत्व कि कवरेज मुफ्त में देते हैं। हम उन्हें चार्ज नहीं कर रहे हैं। अन्य आयोजनों के लिए जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि, हम उन्हें चार्ज करने पर गौर कर सकते हैं।"

94. वास्तविक और बौद्धिक संपदा के मुद्रीकरण के मुद्दे पर जोड़ते हुए, सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्न के रूप में प्रस्तुत किया:-

"2019 में भी, यह सुझाव दिया गया था और आपने सैम पित्रोदा समिति का उल्लेख किया था। सैम पित्रोदा ने यह भी सुझाव दिया था कि पूरी तरह से प्रसार भारती के लिए, मेरा मतलब है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, बौद्धिक सम्पदा और वास्तविक सम्पदा के संदर्भ में, पुराने गीतों और रिकॉर्ड के संदर्भ में, मुद्रीकृत हो सकते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हम इसका ध्यान रखेंगे।"

(सात) <u>डिजिटल स्थलीय प्रसारण (डीटीटी)</u>

95. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के लगभग 55 देशों ने पहले ही डिजिटल स्थलीय प्रवेश (डीटीटी) सेवाओं और कई अन्य

डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में हैं, उनके द्वारा निर्धारित किए गए रोडमैप के अनुसार, डिजिटल स्थलीय प्रसारण (डीटीटी) एक ऐसी तकनीक है जिसमें भूमि आधारित स्थलीय टेलीविजन स्टेशन टेलीविजन सामग्री डिजिटल फॉर्मेट में रेडियो संकेतों को प्रसारित करते हैं। डीटीटी प्रौद्योगिकियां टीवी स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को सक्षम बनाती हैं और सेवा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करती हैं। एक डीटीटी ट्रांसमीटर, मल्टीप्लेक्सर्स के उपयोग के माध्यम से एक ही चैनल बैंडविड्थ के भीतर अनेक प्रसारण सेवाएं जैसे टीवी चैनल, मोबाइल टीवी, रेडियो और अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान कर सकता है। ट्राई ने 'भारत में डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मामलों' पर दिनांक 31.01.2017 को सिफारिशें जारी की थीं।

96. डीटीटी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गई ट्राई की सिफारिशों का ब्यौरा अनुबंध-नौ पर दिया गया है।

97. डीटीटी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गई ट्राई की सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2017को आयोजित बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीआरएआई की अनुशंसाओं की जाँच की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, भारत में डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग में निजी संस्थाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए महानिदेशक, दूरदर्शन की अध्यक्षता में दिनांक 8 अक्टूबर, 2018 को एक समन्वय समिति का गठन किया गया। महानिदेशक, दूरदर्शन की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी। इस मंत्रालय में टीआरएआई की अनुशंसाओं की जांच की जा रही है और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड)बीईसीआईएल (से संभावित निजी प्लेयरों के साथ परामर्श करने का अनुरोध किया गया है।

98. टीआरएआई ने डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी) के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित रोडमैप प्रस्तुत किया है जिसे दिसम्बर 2023 तक पूरे माइग्रेशन और

एनालॉग स्विच ऑफ के साथ देश में तीन चरणों में निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार कार्यान्वित किया जा सकता है:-

चरण	**समय-सीमा**
चरण-I (महानगर)	31 दिसम्बर, 2019
चरण-II (जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	31 दिसम्बर, 2021
चरण -III (शेष भारत)	31 दिसम्बर, 2023

99. ट्राई ने यह भी कहा कि एनालॉग स्विच ऑफ से पहले एनालॉग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन के लिए सिमुलकास्ट अवधि के रूप में तीन महीने का न्यूनतम ओवरलैप प्रदान किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक मिशन मोड परियोजना के रूप में डीटीटी के कार्यान्वयन के संचालन के लिए एक सहायक परिवेश के सृजन और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है।

100. वर्तमान में 23 डीटीटी (19 स्थानों पर) कार्यशील हैं। चार महानगर अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दो डीटीटी ट्रांसमीटर हैं। पहला ट्रांसमीटर एसडी में 5 डीडी चैनलों और 03 रेडियो चैनलों को प्रसारित कर रहा है तथा दूसरा ट्रांसमीटर 03 डीडी चैनल्स (एसडी में 02 डीडी चैनल्स को और एचडी में 01 डीडी नेशनल चैनल) को प्रसारित कर रहा है। अन्य 15 शहरों में, एक डीटीटी ट्रांसमीटर चालू है जो एसडी में 5 डीडी चैनलों और 03 रेडियो चैनलों को प्रसारित करता है। उपरोक्त डीडी चैनल सेटेलाइट और डीटीटी मोड दोनों में सिमुलकास्ट हैं। बीएआरसी द्वारा भारतीय दर्शकों की गणना केवल सेटेलाइट दर्शकों तक ही सीमित है। इस समय बीएआरसी इंडिया द्वारा डीटीटी पर दर्शकों की संख्या के लिए कोई गणना नहीं की जा रही है।

101. डीटीटी सेवाओं के कार्यान्वयन का व्यय सरकार द्वारा पूंजीगत योजनाओं के तहत केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीएआईएनडी) स्कीम" के तहत स्वीकृत किया जाता है। दूरदर्शन स्कीम- 3 वर्ष (2017-20) के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)- के तहत डीटीटी से संबंधित परियोजनाओं की संस्वीकृत लागत 22.02 करोड़ रुपये है। जनवरी, 2021 तक इसके सापेक्ष व्यय 18.03 करोड़ रुपये है।

102. एनालॉग टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में डीटीटी सेवाओं के कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:

i. बेहतर गुणवत्ता वाले टीवी रिसेप्शन - चित्र और ध्वनि की परिष्कृत गुणवत्ता के साथ।
ii. आवृत्ति का कुशल उपयोग - एक डीटीटी ट्रांसमीटर कई टीवी चैनलों (नवीनतम संपीड़न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके) का प्रसारण कर सकता है।
iii. गतिशील परिवेश जैसे कि गतिमान वाहनों में टीवी चैनलों के रिसेप्शन की बेहतर गुणवत्ता।
iv. टीवी चैनलों को डोंगल या एकीकृत ट्यूनर चिपसेट में प्लग-इन की मदद से फिक्स्ड टीवी सेट, मोबाइल फोन और हैंडहेल्ड डिवाइस पर भी प्राप्त किया जा सकता है।
v. एक एकल चैनल बैंडविड्थ (7 या 8 मेगाहर्ट्ज) एसडी, एचडीटीवी, यूएचटीवी, मोबाइल टीवी, रेडियो सेवाओं आदि को प्रसारित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

103. डीटीटी के कार्यान्वयन में सामने आने वाली बाधाओं तथा उन्हें दूर करने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि विस्तार के लिए मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, प्रसार भारती ने 5जी ब्रॉडकास्ट जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए "डायरेक्ट टू मोबाइल" (डीटीएम) रोडमैप विकसित करने

के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। डेमो को शीघ्र ही नियत किया गया है। हालांकि परीक्षण / प्रायोगिक प्रसारण के लिए डब्ल्यूपीसी लाइसेंस प्रतीक्षित है। इसके बाद पीओसी के एक वर्ष में पूरा होने की संभावना है। पीओसी के परिणाम के अनुसार, डीटीएम के लिए रोडमैप आगे डायरेक्ट टू मोबाइल सार्वजनिक प्रसारण के लिए अनिवार्य प्रावधानों का आधार बन सकता है। आगे का विस्तार आने वाले वर्षों में आवश्यक यूएचएफ स्पेक्ट्रम की उपलब्धता / आबंटन और निधियों के आबंटन पर निर्भर करेगा।"

104. डीटीटी के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिदेश पर आगे की जानकारी देते हुए साक्ष्य के दौरान सूचना और प्रसारण सचिव ने बताया:-

> "व्यय विभाग में कुछ साल पहले एक समीक्षा की गई थी जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि जब तक बिजनेस केस बन नहीं जाता और वह व्यवहार्य नहीं हो जाता तब तक डिजिटल टेरेस्ट्रियल में और निवेश न करें...xxx...xxxx... तब से प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हुई है। 5 जी प्रसारण के साथ एक उभरता हुआ मानक है जहां आप सीधे मोबाइल फोन पर प्रसारण कर सकते हैं। हमने उसके आसपास टेस्ट करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू साइन किया है। एक बार फील्ड ट्रायल और टेस्टिंग हो जाने के बाद उसके आधार पर हम बिजनेस केस विकसित करेंगे। यदि वह व्यवहार्य होगा, तभी हमें डिजिटल टेरेस्ट्रियल में निवेश करने की मंजूरी मिलेगी। इस प्रकार, अभी तक ऐसा कोई अधिदेश नहीं है।"

सात. <u>केंद्र का स्थापना व्यय</u>

एक. <u>ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) [पूर्व में डीएवीपी, डीएफपी तथा एस एंड डीडी]</u>

105. ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) की स्थापना 8 दिसंबर, 2017 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), फील्ड प्रचार निदेशालय (डीएफपी)

और गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडी) को समेकित करते हुए की गई थी। ब्यूरो का लक्ष्य मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) / स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री संचार समाधान प्रदान करना है। यह मीडिया कार्यनीति पर सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। 23 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) और 148 फील्ड आउटरीच ब्यूरो (एफओबी) के साथ, बीओसी विकास की गतिविधियों में ग्रामीण और शहरी, दोनों की जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के कार्य में लगी हुई है। यह ब्यूरो द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों अर्थात् प्रिंट मीडिया विज्ञापन, श्रव्य-दृश्य अभियान, प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रसार, आउटडोर अभियान और न्यू मीडिया आदि का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है। बीओसी, लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख सूत्रधार के रूप में सरकार की ब्रांडिंग और प्रिंट, श्रव्य-दृश्य, आउटडोर, डिजिटल मीडिया के माध्यम से संदेशों का प्रसार का अधिदेश मिला है। नीति संबंधी दिशा-निर्देशों को सूचना प्रसार की पहुंच को अधिकतम करने के लिए उभरते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप अनकूलित किया गया है। बीओसी का विज्ञापन और दृश्य संचार प्रभाग (पूर्ववर्ती डीएवीपी) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों की विभिन्न स्कीमों और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए बीओसी का नोडल प्रभाग है।

106. मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी और एसएंडडी के समेकन से, विशेष आउटरीच और लोक घटकों को एक साथ मिलाकर एकीकृत तरीके से कार्यक्रमों का उत्तरोत्तर आयोजन किया जाता है। इन एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रमों (आईसीओपी) का लक्ष्य व्यवहारिक परिवर्तन को सुनिश्चित करते हुए और विकास प्रक्रिया में स्टेक के सृजन करते हुए बेहतर रूप से प्रभाव डालना है। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (भूतपूर्व डीएवीपी, डीएफपी एवं एसएंडडी) का स्थापना व्यय निम्नानुसार है:-

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी)							
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**एफजी**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक व्यय का %**	**संशोधित अनुमान के संबंध में वास्तविक व्यय का %**	**एफजी के संबंध में %***
2018-19	174.29	174.29	167.50	159.64	91.60	91.60	95.31
2019-20	181.74	161.64	160.90	158.82	87.39	98.26	98.71
2020-21	186.47	155.50	-----	138.29	74.16	88.93	-----
2021-22	188.53	-----	-----	-----	-----	-----	-----

107. निधियों के उपयोग के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, क्रमशः 95.31% और 98.71% निधियों का उपयोग किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भी निधि का उपयोग वर्तमान में थोड़ा कम है। दिनांक 31.03.2021 तक निधि का पूरा उपयोग किया जाएगा।

108. यह पूछे जाने पर कि क्या 2019-20/2020-21 के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच के ऐसे एजेंसियों से बकाया दावे हैं जिन्होंने इसके साथ विज्ञापन किए हैं, मंत्रालय ने बताया कि एजेंसियों से बकाया दावे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष 2019-20 के लिए बकाया	**वर्ष 2020-21 के लिए बकाया**
36.37	67.22

109. बीओसी लंबित निधियों की वसूली के लिए किए प्रयासों के विषय में बताया गया कि शीघ्र निर्मुक्ति के लिए ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के साथ संपर्क करता है। बीओसी ग्राहक मंत्रालयों/विभागों को अपनी बकाया राशि के भुगतान के लिए नियमित रूप से निधि जारी करने के लिए पत्राचार करता है। लंबित भुगतानों के मामले को भी संबंधित ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों के साथ महानिदेशक, बीओसी द्वारा नियमित रूप से उठाया जाता है और बिल भुगतान की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी संबंधित ग्राहक मंत्रालयों/विभागों द्वारा बकाया राशि के निपटान के लिए अपने समकक्षों को अनेक पत्र लिखे गए हैं।

आठ. <u>स्वायत्त निकायों तथा सरकारी उपक्रमों सहित अन्य केंद्रीय व्यय</u>

एक. <u>आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानक योजना के अनुसार स्तरोन्नयन</u>

110. इस योजना के संबंध में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रूपये में)

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)					
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक व्यय %**	**संशोधित अनुमान के संबंध में वास्तविक व्यय %**
2018-19	20.39	18.89	15.01	73.61	79.45
2019-20	26.49	25.69	24.33	91.85	94.71
2020-21	61.30	41.41	16.95	27.65	40.93
2021-22	65.00	-	-	-	-

111. आईआईएमसी के अंतर्गत निधि के घटे हुए उपयोग के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि 28.19करोड़ रुपये के जारी अनुदान के सापेक्ष 31जनवरी, 2021 तक 23.56करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। संशोधित प्राक्कलन के सापेक्ष निधियों का उपयोग %56है। तथापि, आईआईएमसी के अंतर्गत सामने आई कठिनाइयों के संदर्भ में मंत्रालय ने बताया कि कोविड - 19के कारण कार्य बल की कमी रही और इससे वित्तीय वर्ष 21-2020के पहले 6महीनों के दौरान जम्मू के क्षेत्रीय परिसर साथ ही आईआईएमसी के आइजोल परिसर में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ; अब इस काम में तेजी आई है।

112. आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक उन्नयन' स्कीम की वर्तमान स्थिति के विषय में मंत्रालय ने बताया कि इस स्कीम में आईआईएमसी की अवसंरचना का विस्तार करते हुए आईआईएमसी, नई दिल्ली में सुविधाओं के स्तरोन्नयन की परिकल्पना की गई है। हालाँकि, पर्यावरणीय कारणों से भवन निर्माण से संबंधित कुछ आपत्तियों के कारण यह विस्तार नहीं हो सका। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईएमसी को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा दिनांक 22.10.2019 अपनी रिपोर्ट संख्या 28 में लगाई गई शर्तों के अध्यधीन आईआईएमसी, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी है। प्रस्तावित नए निर्माण की सिफारिश करते हुए सीईसी ने आईआईएमसी को भूमि कवरेज को कम करने की सलाह दी। तदनुसार, योजना को संशोधित किया गया है। क्योंकि पहले प्रस्तुत योजना को संशोधित किया गया है, आईआईएमसी को अब विभिन्न प्राधिकरणों से नए सिरे से अनुमोदन लेने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ और समय लग सकता है।

113. पिछले तीन वर्षों में विलंबित हुए आईआईएमसी की परियोजनाओं/परिसरों की सूची निम्नवत है:

1. कोट्टायम में आईआईएमसी के दक्षिणी क्षेत्रीय परिसर का निर्माण - सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वर्ष 2019 में पूरा किया गया और यह कार्यशील है।

2. आइजोल में आईआईएमसी के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का निर्माण -मुख्य भवन मई ,2019 के दौरान पूरा हो गया था लेकिन एमजेडयू द्वारा क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड का पुनर्निर्माण नहीं करने की वजह से इसे कार्यशील नहीं किया जा सका। अब कार्य को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आरम्भ किया गया है)कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित (और मार्च 2021 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है तथा संस्थान को नए शैक्षणिक सत्र अर्थात् अप्रैल 2021 से कार्यशील किया जा सकता है।
3. जम्मू में आईआईएमसी के उत्तरी क्षेत्रीय परिसर का निर्माण -जम्मू में आईआईएमसी का नया परिसर मार्च ,2021 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी में देरी हुई और अक्टूबर ,2021 के अंत तक पूरा किया जाना है।
4. अमरावती में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर का निर्माण -इस मामले को मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नौ. <u>विविध</u>

एक. <u>'चलचित्र)संशोधन (विधेयक,2019 ' की स्थिति</u>

114. 12.02.2019 को चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य सभा में पेश किया गया। इसके बाद, विधेयक को राज्य सभा द्वारा जांच हेतु 22.02.2019 को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति, लोक सभा को भेजा गया। इसके पश्चात, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति (2019-20) ने 16 मार्च, 2020 को राज्य सभा और लोक सभा में चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019 पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विधेयक की स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि समिति की कुछेक प्रमुख सिफारिशें/टिप्पणियां कारावास की न्यूनतम अवधि और न्यूनतम जुर्माना निर्धारित करने, जुर्माने की अधिकतम सीमा बढ़ाने, "जानबूझकर" शब्द को परिभाषित करने, और 'उचित

प्रयोग' प्रावधान को शामिल करने के बारे में है। सूचना प्रौद्यगिकी संबंधी स्थाई समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों की मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है ताकि 12.02.2019 को राज्य सभा में पेश किए गए चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019 के खंडों में आवश्यक संशोधन किया जा सके। इस मामले में निर्णय के पश्चात, मंत्रालय चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में आवश्यक प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने में तेजी लाएगा ताकि संशोधित विधान को संसद में विचार किए जाने और पारित किए जाने हेतु उपलब्ध कराया जा सके।

115. उपरोक्त विधेयक की स्थिति के संबंध में आगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्यों के दौरान निम्नवत बताया:-

> "इस स्तर पर, मैं केवल यह उल्लेख कर सकता हूं कि माननीय समिति ने जो सुझाव और सिफारिशें दी थी कि चलचित्र अधिनियम में संशोधन पायरेसी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमने उस सिफारिश को गंभीरता से लिया है।"

दो. <u>सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संशोधित जनादेश के बाद विकास</u>

116. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25.02.2021 को समिति को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), नियम, 2021 के बारे में अवगत कराया और बताया कि विज्ञान की उन्नति के साथ नई प्रौद्योगिकियों ने प्रिंट मीडिया के साथ-साथ डिजिटल मीडिया में अपार वृद्धि का अवसर प्रदान किया है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल समाचार पोर्टल जो कि अब स्थापित हैं, अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि, समस्या यह थी कि इन नए क्षेत्रों के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रेस के पास पीसीआई है और टीवी का अपना स्व-नियमन है और फिल्मों में सीबीएफसी है, इन नए प्लेटफार्मों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इन दोनों प्लेटफार्मों सहित सभी क्षेत्रों की मांग थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी मीडिया श्रेणियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके। इस

प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत समान अवसर के लिए इस संस्थागत तंत्र को उपलब्ध कराने के लिए कुछ नियम तैयार किए जा रहे हैं।

117. मंत्रालय ने बताया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के साथ-साथ विशेषज्ञों और मीडिया, फिल्म निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, व्यापार संगठनों/निकायों आदि द्वारा ऐसी समानता और तंत्र लाने की मांग की गई थी। इसके अलावा, वयस्क, हिंसक और ऐसी अन्य सामग्री को लेकर माता-पिता और अभिभावकों से गंभीर शिकायतें आई हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हैं। नागरिकों को उनके शिकायत निवारण के लिए सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है। संस्थागत व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को यह पता नहीं होता कि वे ओटीटी या डिजिटल समाचारों पर सामग्री से संबंधित अपनी समस्याएं या शिकायतें अथवा सुझाव कहां पर दर्ज कराएं। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई मामले आये हैं, और हाल ही में एक जनहित याचिका की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि सरकार को इस मामले पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

118. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया है। उन्होंने 10-11 अक्टूबर, 2019 को मुंबई में; 11 नवंबर, 2019 को चेन्नई में; और 2 मार्च, 2020 को दिल्ली में ओटीटी प्लेयर्स के साथ विचार-विमर्श किया जिसे माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा आयोजित किया गया था। सरकार ने सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के विनियामक मॉडलों का भी अध्ययन किया है और यह पाया है कि उनमें से अधिकांश के पास या तो डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है या फिर स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

119. नियमों की मुख्य विशेषताओं के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि नियम आचार संहिता की विशेषता के साथ एक समान अवसर हेतु एक सॉफ्ट टच प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित करते हैं जिसमें डिजिटल मीडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तथा समाचार प्रकाशकों के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचा शामिल है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म सामग्री को आयु आधारित पांच श्रेणियों- यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+, और ए (वयस्क) में स्व-वर्गीकृत किया जायेगा और प्लेटफार्मों को यू/ए 13+ या उससे अधिक के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए माता-पिता की सहमति, और "ए" के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए विश्वसनीय रूप से आयु सत्यापन तंत्र की आवश्यकता होगी। डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों' और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करने की आवश्यकता होगी ताकि ऑफ़लाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया के मध्य समान अवसर प्रदान किया जा सके।

120. शिकायत निवारण तंत्र के बारे में उन्होंने बताया है कि नियमों के तहत तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है जिसमें स्व-नियमन स्तर के दो स्तर, स्तर- प्रथम पब्लिशर के रूप में और स्तर- द्वितीय स्व-नियामक निकाय है, और तीसरा स्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन निगरानी तंत्र है। नियमों में आचार संहिता से संबंधित जन शिकायतों को प्राप्त करने, उसकी प्रक्रिया और समयबद्ध निपटान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। स्व-नियामक निकाय का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या संबंधित क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और वह पब्लिशर को परामर्श जारी कर सकता है। मंत्रालय के अनुसार, यह तंत्र न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित है, यद्यपि, प्लेटफॉर्म्स को स्वयं एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए।

121. नियमों के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया है कि संस्थागत तंत्र (एक) चैंपियन श्रव्य-दृश्य सेवा क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा; (दो) नागरिकों को सामग्री के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त करेगा, उनकी शिकायतों का निश्चित समय सीमा में निवारण करेगा और बच्चों की सुरक्षा करेगा; तथा (तीन) प्रकाशकों की जवाबदेही के तंत्र के माध्यम से डिजिटल मीडिया पर फर्जी समाचारों से लड़ने में मदद करेगा।

टिप्पणियां/सिफारिशें

भाग- दो

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) का नया अधिदेश

1. समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) जनसंचार माध्यमों और संचार के पारंपरिक साधनों के माध्यम से सूचना के प्रवाह को जनता तक पहुँचने में मदद के लिए प्रभावी भूमिका निभाता है। समिति आगे नोट करती है कि केंद्र सरकार ने 9.11.2020 की अपनी अधिसूचना को रद्द कर दिया है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कार्य आवंटन नियम 1961 को संशोधित किया है और इसमें इनके कार्य में "डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया" को शामिल किया गया है। इस संशोधन के साथ एमआईबी के अधिदेश का विस्तार "ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध फिल्म्स और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों" और "समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री वाले ऑनलाइन प्लेटफार्मों" पर हुआ है। समिति को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत और पूर्व आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता के मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2021 के बारे में सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के बारे में पता है। समिति नोट करती है कि इन नियमों को लाने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श किया था और अन्य देशों में विनियामक मामलों का अध्ययन किया था जिसमें यह पाया गया था कि अधिकतर देशों में या तो डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने के लिए संस्थागत तंत्र है या वे इसकी स्थापना की प्रक्रिया में हैं।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि आईटी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता संबंधी मध्यवर्ती दिशा-निर्देश), नियम 2021 नैतिक स्तर पर एक सरल प्रगतिशील संस्थागत तंत्र स्थापित करेंगे जिसमें समाचार प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफार्मों हेतु एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा होगा। यह मानते हुए कि आईटी अधिनियम, 2000 के तहत नए नियम सभी अन्य मीडिया श्रेणी के लिए समान स्तर के लिए एक संस्थागत तंत्र लाएंगे, समिति का विचार है कि अधिदेश के अपडेशन,

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ओटीटी/ सामग्री के लिए नियम तैयार करना जैसी पहलें प्रौद्योगिकी के उद्भव और अभिसरण के साथ समवर्ती होनी चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही वैध और वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जा सके।

फिर भी, सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए, जो लंबे समय से चली आ रही थी, समिति का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण और उचित निगरानी तंत्र विकसित करना काफी लाभकारी होगा, समिति आशा करती है कि मंत्रालय इन नियमों को अक्षरक्ष: लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और एक मजबूत निगरानी तंत्र के साथ इन नियमों के माध्यम से उन्हें दिए गए अधिदेश पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। समिति यह भी आशा करती है की मंत्रालय इन नियमों के संबंध में एक जागरूकता अभियान शुरू करे ताकि नागरिकों को सामग्री के बारे में जानकारी युक्त विकल्प के लिए सशक्त बनाया जा सके, उनकी शिकायतों का निस्तारण निश्चित समय सीमा में किया जा सके और बच्चों/युवाओं को अनावश्यक सामग्री से बचाने, ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया पर झूठे समाचारों की समस्या से लड़ने में मदद की जा सके। समिति इन नियमों की प्रभावकारिता के बारे में अद्यतन जानकारी से अवगत रहना चाहेगी।

<u>समग्र बजटीय विश्लेषण और अनुदानों की मांगे (2021-22)</u>

2. समिति नोट करती है कि 2021-22 के लिए 4071.23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) के बीई की तुलना में लगभग 6.95% कम है जो कि 4375.21 करोड़ रु था। वर्ष 2020-21 के लिए आरई 3650.25 करोड़ रुपये था और वास्तविक उपयोग 2785.36 करोड़ रुपये (16.02.2021 तक) था, जो आरई की तुलना में 76.31% था और बीई आबंटन की तुलना में 63.66% था। समिति ने यह भी नोट किया कि 2021-22 के लिए 4071.23 करोड़ रु में से 563.77 करोड़ रु.632.05 करोड़ रु और 2875.41 करोड़ रु का आवंटन क्रमशः

'केंद्र के स्थापना व्यय', 'केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं' और 'अन्य केंद्रीय व्यय' के लिए किया गया है। यद्यपि, समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान आरई की तुलना में प्रत्येक श्रेणी के तहत कुल व्यय क्रमशः 77.87%, 79.76% और 67.18% था। कम-उपयोग के कारणों के लिए समिति नोट करती है कि 2020-21 के पहले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय और वास्तविक प्रदर्शन प्रभावित हुआ था। तथापि, स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे विभिन्न शीर्षों के तहत निर्धारित अपने वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। समिति इस बात से संतुष्ट है कि 2018-19 और 2019-20 के वर्षों के लिए आरई आवंटन की तुलना में व्यय पैटर्न क्रमशः 97.90% और 99.20% रहा है, और आशा करती है कि यही प्रवृत्ति जारी रहेगी और 2020-21 के लिए शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व पूरी तरह से उपयोग कर ली जाएगी। अब जबकि महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी जा रही है और एमआईबी पर व्यय पर 5% की कोई सीमा नहीं है, समिति मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की सिफारिश करती है।

<u>केंद्र का स्थापना व्यय और अन्य केन्द्रीय व्यय</u>

3. समिति नोट करती है कि मंत्रालय के व्यय तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं अर्थात केंद्र का स्थापना व्यय (इसमें मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और मुख्य सचिवालय का स्थापना व्यय सम्मिलित है), केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और अन्य केंद्रीय व्यय (इसमें केंद्रीय क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों पर किए जाने वाला व्यय सम्मिलित है)। समिति नोट करती है कि 'केंद्र के स्थापना व्यय' के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 563.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए इस श्रेणी के लिए बीई और आरई राशि क्रमशः 554.80 करोड़ रु और 441.82 करोड़ रु थी, जबकि 14.01.2021 तक वास्तविक व्यय 345.03 करोड़ रु था, जो आरई

आवंटन का 77.87% है। समिति ने आगे नोट किया कि 'अन्य केंद्रीय व्यय' के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2875.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2020-21 के दौरान बीई और आरई स्तर पर क्रमशः 3080.41 करोड़ रु और 2861.70 करोड़ रु आवंटित किए गए थे और 14.01.2021 तक वास्तविक व्यय 1922.54 करोड़ रु है, जो आरई का 67.18% है। तथापि, समिति यह जानकर हैरान है कि वर्तमान वर्ष के लिए बीई पिछले वर्ष की आरई के लगभग समान है, हालांकि पिछले साल कोविड -19 के कारण आरई आवंटन कम था। इसलिए, समिति सिफारिश करेगी कि मंत्रालय दोनों श्रेणियों के तहत चालू वर्ष के लिए आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करे और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त राशि के लिए आरई स्तर पर मांग करे।

<u>विगत 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादनता</u>

4. समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) के लिए वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित राशि 632.05 करोड़ रु है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 740 करोड़ रु के बीई आवंटन से कम है। वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 740 करोड़ रुपये की बीई को आरई स्तर पर घटाकर 346.73 करोड़ रु कर दिया गया और जनवरी, 2021 तक केवल 278.16 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो बीई का 37.37% और आरई का 79.76% है। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में से एक अर्थात चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम के लिए 2020-21 के दौरान बीई और आरई क्रमशः 30 करोड़ रु और 3.80 रु था, हालांकि, वास्तविक व्यय शून्य रहा। संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए मंत्रालय ने 2019-20 में प्लान योजनाओं के युक्तिकरण और पुनर्गठन का कार्य किया था जिसे 2020-21 में लागू किया गया। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि उपयोग की स्थिति इसे प्रदर्शित नहीं करती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पिछले साल के प्रदर्शन को देखते हुए, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई थी, में सुधार हो रहा है, समिति ने मंत्रालय

को सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने की सिफारिश की है ताकि दोनों वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2021-22 में पूरे हो सकें।

समिति यह भी नोट करती है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए, मंत्रालय ने 2020 में मैसर्स केपीएमजी के माध्यम से अपनी योजनाओं का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया था। जबकि सूचित किया जा रहा है कि मैसर्स केपीएमजी की प्रारूप रिपोर्ट को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा, समिति मैसर्स केपीएमजी द्वारा रिपोर्ट के कार्यान्वयन और स्थिति के बारे में अवगत होना चाहेगी।

<u>चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना</u>

5. समिति ने नोट किया कि केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) की एक योजना अर्थात चैंपियन सेवा क्षेत्र की योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान बीई और आरई क्रमशः 30 करोड़ रु और 3.80 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय शून्य था। वर्ष 2020-21 के लिए बीई चरण में किया गया आवंटन केवल 1.59 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान शून्य निधि उपयोग के लिए कारण प्रदान करते हुए बताया कि व्यय विभाग (डीओई) ने मंत्रालय की प्रारूप स्थायी समिति (एसएफसी) के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया कि योजना/उप-योजना, चाहे एसएफसी प्रस्ताव सहित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत हो, को इस वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) में प्रारंभ नहीं किया जाएगा।समिति को यह बताया गया कि इस योजना को 20.11.2020 को डीओई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी और इस योजना की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए एसएफसी के समक्ष नोट रखा जाना है। इस कारण से 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन नहीं किया जा सका और 2021-22 के दौरान इसे लिया जाएगा। इसके अलावा, समिति को सूचित किया गया है कि चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के घटकों में (i) विदेशों के साथ ऑडियो विजुअल सह-निर्माण के लिए प्रोत्साहन, (ii) भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना, (iii) जागरूकता का निर्माण और थिएटर

घनत्व में वृद्धि और (iv) ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन करना शामिल है और उसके कारण वर्ष 2021-22 के दौरान घाटे के आवंटन के कारण, क्रम संख्या i, ii और iv पर घटक प्रभावित होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये की निधि का उपयोग जागरूकता पैदा करने और थिएटर घनत्व बढ़ाने और थिएटर स्थापित करने के लिए तैयार उद्यमियों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए किया जाएगा। समिति हैरान है कि इस तरह की गतिविधि सरकारी योजनाओं का हिस्सा है। फिर भी, समिति को चैंपियन सेवा क्षेत्र योजनाओं के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जाए।

समिति भारत में फिल्म क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए मंजूरी पाने में प्रक्रियागत देरी की निंदा करती है, जो भारत को दुनिया भर में फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के लिए एक पसंदीदा शूटिंग स्थान बनाने के साथ-साथ फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करती है। अब जब अनुमोदन की मांग की गई है, समिति को लगता है कि मंत्रालय इस योजना के तहत अपने प्लान को लागू कर सकता है और आरई स्तर पर अधिक निधि की मांग कर सकता है, बशर्ते कि वे योजना के कार्यान्वयन के लिए सारी तैयारी करें। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति तक प्रौद्योगिकी की पहुंच और यहां तक की ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओटीटी प्लेटफार्मों की पहुंच के कारण समिति को लगता है कि मंत्रालय को चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीमों के तीन अन्य घटकों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और केवल थियेटर्स के घनत्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अन्य तीन घटकों के लिए भी एक उपयुक्त कार्य योजना बनानी चाहिए और आरई स्तर पर उनके लिए निधि की मांग की जा सकती है।

<u>सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआर स्टेशन)</u>

6. समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19 2019-20 और 2020-21 के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में बजट विश्लेषण दर्शाता है कि इसका उपयोग काफी कम किया गया है, इतना कम की वर्ष 2018-19 के दौरान यह आरई का 48.4% था और 2020-21 के दौरान यह आरई आवंटन का 64.15 % था। समिति यह भी नोट करती है कि वर्तमान में, देश में 317 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं और यह 27 भाषाओं में प्रसारित होते हैं। समिति यह नोट कर चिंतित है कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि देश की कई लोकप्रिय भाषाओं और बोलियों को अभी भी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा कवर किया जाना है, जिनमें संविधान की कुछ अधिसूचित भाषाएँ जैसे कश्मीरी, बोडो, मैथिली, संस्कृत, संथाली, सिंधी और उर्दू शामिल हैं। यह देखते हुए कि वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय के महत्व वाले क्षेत्रों में से एक तटीय क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई / सीमा क्षेत्रों / आकांक्षी और दूरदराज के जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ नए सीआर स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देना है, समिति चाहती है कि मंत्रालय उन राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करे, जिनके पास कोई सीआर स्टेशन नहीं है और यह सिफारिश करती है कि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और तदनुसार समिति को इसके बारे में अवगत कराया जाए।

<u>सूचना क्षेत्र</u>

<u>भारत @75</u>

7. समिति नोट करती है कि 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा। मंत्रालय समारोहों के हिस्से के रूप में, स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाए जाने के 75 सप्ताह पहले से ही भारत@75 के तहत विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की योजना बना रहा है और फिर स्वतंत्रता दिवस 2022 से 2023 तक वर्ष भर आयोजन

किए जाएंगे। प्रमुख आकर्षणों में स्वतंत्रता संग्राम के 75 एपिसोड दूरदर्शन, विशेष टीवी पर और रेडियो श्रृंखला "भारत तब और अब" दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करती सम्पूर्ण देश में मोबाइल रेल प्रदर्शनी शामिल होंगे।प्रसार भारती ने इस अवसर को मनाने के लिए "अनसुने नायक" कार्यक्रम बनाने हेतु 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है और उन्होंने देश के सभी क्षेत्रों में अनसुने नायकों/युद्धों/ आंदोलनों संबंधी सीरियल के 75 एपिसोड के प्रोडक्शन की योजना बनाई है, इसने भारत के आजादी के बाद के समय के 75 एपिसोड की भी योजना बनाई है, जिसमें इन दशकों के दौरान बड़ी वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को चिह्नित किया जाएगा, जिन्होंने नए भारत के परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। समिति मंत्रालय की पहल की सराहना करती है और इच्छा व्यक्त करती है कि ये धारावाहिक वैश्विक मानकों के हों और राष्ट्र की सच्ची भावना/ उपलब्धियों को दर्शाएं। चूंकि यह एक ऐतिहासिक आयोजन है, मंत्रालय को व्यापक स्तर पर आयोजन करने चाहिए, व्यापक प्रचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो बाद के चरण में अतिरिक्त धन की मांग करनी चाहिए। समिति मंत्रालय/प्रसार भारती को कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभागों / संस्थानों / संगठनों से समर्थन लेने और प्रायोजित करने की सिफारिश करती है। समिति यह भी महसूस करती है कि भारत@75 के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी और कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों, प्रसिद्ध व्यक्तियों/शिक्षाविदों इत्यादि के प्रतिनिधियों से युक्त एक कोर समिति गठित की जानी चाहिए। समिति यह भी चाहेगी कि भारत@75 के तहत परिकल्पित कार्यक्रम और 'भारत@75' के तहत बनाए गए प्रत्येक / कार्यक्रम या श्रृंखला के लिए उपयोग की गई निधि के ब्यौरे से भी समिति को अवगत कराया जाए।

<u>फैक्ट चेक यूनिट</u>

8. समिति नोट करती है कि झूठे समाचारों की चुनौती को दूर करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) में दिसंबर, 2019 में की गई थी। ऐसे एफसीयू को पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वर्ष 2021-22 के लिए सूचना क्षेत्र के अंतर्गत महत्व वाले क्षेत्रों में से एक, झूठे समाचारों से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट का सुदृढ़ीकरण और विस्तार है। समिति को यह बताया गया है कि 8 फरवरी, 2021 को, 9103 मामले थे, जिनमें से 8263 काउंटर / रिप्लाई किए गए थे और 323 'फेक न्यूज' का पर्दाफाश किया गया था। 26 अप्रैल, 2020 और 18 फरवरी, 2021 के बीच, फैक्ट चेक यूनिट को व्हाट्सएप/मेल पर 49,625 प्रश्न मिले हैं और इनमें से कार्रवाई योग्य 16,992 मामलों के उत्तर दिए गए हैं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान पीआईबी के समक्ष 505 मामले आए। समिति नोट करती है कि एफसीयू अपने व्हाट्सएप, ईमेल और वेब पोर्टल के माध्यम से लोगों से शिकायतें प्राप्त करती है और इसके बाद टीम सारे डेटा का आंकलन करती है, जो तथ्यों हेतु प्रारंभिक जांच के लिए इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। तकनीकी सत्यापन के बाद, एक प्रतिक्रिया शिकायतकर्ता को भेजी जाति है या फैक्ट चेक यूनिट के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली जाती है। समिति नोट करती है कि एफसीयू का सिस्टम अभी भी विकसित हो रहा है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से तथ्यों की पुष्टि करने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में समाचार एक चुनौती है। सरकारी नीतियों और योजनाओं के संबंध में गलत सूचना का समाधान करने के लिए किए गए उपायों की सराहना करते हुए, समिति ने मंत्रालय को दोनों केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठोस तंत्र के साथ फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) को विस्तारित/सुदृढ़ करने और अधिक सतर्क रहने तथा प्रादेशिक भाषाओं के कारण आ रही चुनौतियों का भी समाधान करने की सिफारिश की है।

<u>फिल्म क्षेत्र</u>

फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय

9. समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए फिल्म क्षेत्र के तहत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक चार फिल्म मीडिया इकाइयों अर्थात चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई), फिल्म्स डिवीजन (एफडी), नेशनल फिल्म्स आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) और डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म फेस्टिवल (डीएफएफ) का नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) के साथ विलय करना है । मंत्रिमंडल ने 23.12.2020 को इस विलय को मंजूरी दे दी है और मंत्रालय द्वारा की गई विशिष्ट घोषणाओं के अनुसार, विलय प्रक्रिया अगले दो वर्षों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक मीडिया इकाई के तहत निर्धारित लक्ष्य के बारे में, समिति नोट करती है कि विलय प्रक्रिया के कारण मौजूदा गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव के परिचालन के सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए मंत्रालय में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया है और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए लेनदेन सलाहकार(रों) और/या विधिक सलाहकार की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। यह मानते हुए कि इस विलय का उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों की बहुलता को कम करना है, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी संबंधित मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखे और यह सुनिश्चित करे कि किसी को नौकरी से न निकाला जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इन चार मीडिया इकाइयों के विलय से उत्पन्न होने वाले अधिशेष कर्मचारियों को मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों/संगठनों में उनकी योग्यता/अनुभव के अनुसार लाभकारी पुनः तैनाती की जाए, इससे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में स्टाफ की कमी के गंभीर मुद्दे को कुछ हद तक हल किया जा सकेगा। समिति आगे यह आशा करती है कि फिल्म मीडिया इकाइयों को एक प्रबंधन के तहत रखने से, फिल्म सामग्री के निर्माण, प्रचार और संरक्षण में तेजी आएगी और परिणामस्वरूप मौजूदा बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की बेहतर उपयोगिता के साथ विभिन्न गतिविधियों में तादात्म्य आएगा। समिति को मंत्रालय से यह भी अपेक्षा होगी कि वह विलय की जा रही इकाइयों की परिसंपत्तियों के मौद्रिककरण पर भी

विचार करें और इन प्राप्तियों से एनएफडीसी के लिए अधिक आधुनिक, व्यापक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। समिति विलय प्रक्रिया के बारे में अवगत रहना चाहेगी।

<u>विदेशों के साथ फिल्मों का सह-निर्माण</u>

10. समिति नोट करती है कि 2019-20 में रूस और बांग्लादेश के साथ सह-निर्माण समझौते हस्ताक्षरित किए गए थे और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों पर फीचर फिल्म के निर्माण के लिए बांग्लादेश फिल्म विकास निगम और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। फरवरी 2020 में भारत और पुर्तगाल के बीच एक ऑडियो विजुअल सह-निर्माण समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष घोषणाओं में से एक 'बांग्लादेश के साथ मैत्री की सुदृढ़ता है। इस संबंध में, समिति को यह बताया गया है कि 'बंगबंधु' (शेख मुजीबुर रहमान पर जीवनी संबंधी फिल्म) नामक फीचर फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार श्री श्याम बेनेगल द्वारा किया जाना है और 2020 के दौरान भारत बांग्लादेश के सह -निर्माण की निर्माण पूर्व गतिविधियां पूरी कर ली गई थी और जनवरी 2021 में फिल्म की शूटिंग प्रारंभ हो गई थी, जिसके मार्च 2022 तक रिलीज होने के लिए तैयार होने की आशा है। समिति महसूस करती है कि चूंकि भारतीय फिल्म उद्योग का पड़ोसी देशों और जहां भारतीय प्रवासी अच्छी संख्या में हैं, उन शहरों / देशों में अच्छा बाजार है, वहां फिल्मों के सह-निर्माण के लिए ऐसे समझौतों का प्रयोग भारतीय क्षमताओं को दिखाने और देश की छवि बनाने के लिए एक सॉफ्ट पावर के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न देशों के साथ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए की गई पहलों की सराहना करते हुए, समिति यह आग्रह करेगी कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मार्च, 2022 तक समय सीमा के अंदर फिल्म बंगबंधु को रिलीज करें। यद्यपि, समिति कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न बाधाओं को स्वीकार करती है, तथापि सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस परियोजना को समय पर पूरा करे

और यह भी सुनिश्चित करे कि रूस और पुर्तगाल के साथ किए गए सह-निर्माण समझौतों को भी सही ढंग से पूरा किया जाए।

<u>प्रसारण क्षेत्र</u>

<u>प्रसार भारती (बजट आवंटन, आईईबीआर और राजस्व सृजन)</u>

11. समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रसार भारती के तहत बीई, आरई और वास्तविक उपयोग क्रमशः 3259.36 करोड़ रु 2899.00 करोड़ रु और 2175.34 करोड़ रु (16.02.2021 को) था। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रसार भारती द्वारा 1410.00 करोड़ रु आईईबीआर सृजन का अनुमान था। हालांकि, नवंबर, 2020 तक, निवल आईईबीआर सृजन (सावधि जमा पर ब्याज सहित) 759.80 करोड़ रु था और दिसंबर, 2020 तक आईईबीआर के 715.53 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। प्रसार भारती द्वारा निवल आईईबीआर सृजन में लगातार गिरावट के कारणों के लिए, समिति ने नोट किया कि इसका एक कारण यह है कि वर्ष 2020-21 के दौरान उन्हें प्रो बोनो अभियान के लिए डीडी से 356 करोड़ रु और आकाशवाणी से 130 करोड़ रु की आशा थी। समिति को सूचित किया गया है कि राजस्व सृजन के चार भाग हैं- पहला डीडी फ्री डिश और आकाशवाणी टॉवर, दूसरा सरकारी विभागों और मंत्रालयों से विज्ञापन, तीसरा निजी क्षेत्र से वाणिज्यिक विज्ञापन, और चौथा डिजिटल और अभिलेखागार है। तदनुसार, प्रसार भारती ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अन्य डीडी चैनलों की प्रोग्रामिंग को मुद्रीकृत किया है और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों को भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए अभिलेखीय सामग्री की बिक्री और मीडिया पूर्वावलोकन द्वारा अर्जित राजस्व क्रमशः 15,13,022 रु, 8,50,25,759 रु, और 49,88,258 रु था। इसी तरह, यूट्यूबयूट्यूब पर अभिलेखीय सामग्रियों के अपलोड के संबंध में, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए अर्जित राजस्व क्रमशः 51,051 रु 4,79,066 और 12,03,206 रु था।

ओटीटी प्लेटफार्मों पर जाने के लिए डीडी और एआईआर की योजनाओं के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि प्रसार भारती ने अपने विभिन्न आकाशवाणी चैनलों को "एंड्रॉइड" और "आईओएस" मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए "न्यूज़ऑनएयर" एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराया है । प्रसार भारती अपने चैनलों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए भी विचार विमर्श कर रहा है ताकि बड़ी डिजिटल पहुंच हो सके। इसके अलावा डिजिटल दर्शकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न डीडी "यूट्यूब" चैनल भी बनाए गए हैं। समिति ने नोट किया है कि दूरदर्शन के पास राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के कवरेज अधिकार हैं लेकिन जहां तक राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के मौद्रिकीकरण का संबंध है, वर्तमान में अधिकांश कवरेज निशुल्क दिए जाते हैं । समिति समिति राजस्व सृजन के लिए मंत्रालय द्वारा की गई सभी पहलों की प्रशंसा करते हुए महसूस करती है कि मंत्रालय/ प्रसार भारती के पास उपलब्ध सामग्री के मौद्रिकीकरण के लिए और बहुत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिनमेंअन्य बातों के साथ साथ इसके लोकप्रिय कार्यक्रमों चैनलों को ओटीटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उपलब्ध कराना,राष्ट्रीय महत्व के कवरेज के फीड्स को प्राइवेट चैनलों के साथ शेयर करने के लिए शुल्क वसूल करना , प्रो-बोनो कैंपेन को घटाने, पुराने गानों, रिकॉर्ड्स,भाषणों, प्रसार भारती के विशिष्ट पुराने और कीमती फुटेजों के मौद्रिकीकरण आदि शामिल हैं। मंत्रालय विभिन्न मुद्दों पर भारत भर को कवर करने वाले यात्रा वृतांत कार्यक्रम की योजना भी बना सकता है। समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय राजस्व सृजन के लिए अपनी खाली और बेकार पड़ी परिसंपत्तियों का उपयोग करें। समिति मंत्रालय/ प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान आईईबीआर सृजित करने के लिए किए गए नवीन कार्यों और साथ ही मंत्रालय की वास्तविक और पुरातात्विक/बौद्धिक संपत्तियों के मौद्रिकी करण के लिए किए गए प्रयासों से अवगत होना चाहती है।

<u>प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)</u>

12. समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रसार भारती की तीन योजनाओं को एकल लाइन बजट प्रविष्टि अर्थात 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) में विलय कर दिया गया है। वर्तमान में प्रसार भारती के अधीन केवल एक योजना बीआईएनडी है इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19,2019-20,2020-21 के दौरान वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान के संदर्भ में क्रमश: 85.91%, 100% और 90.06% रहा है। वर्ष 2020 21 के दौरान बीआईएनडी योजना के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि संबंधी जानकारी का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि 25 स्थानों पर डिजिटाइजेशन पूरा कर दिया गया है परंतु 54 स्थानों पर डिजिटाइजेशन किया जाना अभी बाकी है मंत्रालय ने बताया है कि महामारी ,जिससे विश्व भर में मनुष्य और सामान के संचलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा,की स्थिति के कारण बीआईएनडी योजना के कार्यान्वयन में कुल कमी रही है। इस तथ्य के मद्देनजर कि अधिकांश प्रसारण उपकरण और सेवाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उनका आयात किया जाता है, खरीदारी में विलंब हुआ। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि इसका चालू परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और यह वर्ष बजट अनुमान 2020 21में आवंटित निधियों के कम उपयोग का कारण है। समिति इस तथ्य से हैरान है कि अधिकांश प्रसारण उपकरण और सेवाएं देश में उपलब्ध नहीं है और मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इनका स्वदेश में निर्माण करने के लिए अंतर मंत्रालय समन्वय करें और इस संबंध में ठोस कार्य योजना तैयार करें समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय बीआईएनडी के अंतर्गतके शेष 54 स्टूडियोज के डिजिटाइजेशन लिए समय सीमा निर्धारित करें और समिति को इसकी सूचना दें ।

<u>दूरदर्शन (डीडी)</u>

13. समिति नोट करती है कि पिछले तीन वर्षों से दूरदर्शन में निधियों का वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन के संबंध में 55.40 प्रतिशत, 88.53 प्रतिशत और 58.29 प्रतिशत रहा। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2021-22 का बजट आवंटन 176 करोड़ रुपये है। समिति ने पाया है कि 2020-21 के दौरान कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं और 2021-22 तक बढ़ाई गई हैं और संशोधित लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है। समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि नौ स्थानों पर टावर सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए आधुनिकीकरण के तहत 2020-21 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को शुरू किया जाना था । हालांकि, 31.12.2020 तक, केवल एक स्थान पर सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा हुआ है और एक स्थान पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार, डीटीएच के विस्तार के तहत, जिसके लिए 4119 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई थी, दिसंबर, 2020 तक का वास्तविक व्यय मात्र 5.40 करोड़ था क्योंकि प्रशासनिक कारणों से देश के दूरस्थ, जनजातीय और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए 120000 डीटीएच सेट खरीदने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा आरई चरण में निधि में भारी कमी कर दिए जाने के कारण दूरदर्शन स्टूडियो के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण का कुछ कार्य पूरा नहीं हो सका। समिति दूरदर्शन की आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर मंत्रालय के इस ढुलमुल निष्पादन से खुश नहीं है, मंत्रालय को जहां भी आवश्यक हो प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधारों के साथ समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए उनके आधुनिकीकरण कार्य को उचित प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है। समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहती है।

<u>डीडी के प्रादेशिक चैनेल</u>

14. समिति नोट करती है कि 36 डीडी चैनलों में से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य केंद्र से 28 डीडी क्षेत्रीय भाषा चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है और सभी डीडी क्षेत्रीय चैनलों को 24X7 बनाना,वर्ष 2021-22 के लिए प्रसारण क्षेत्र के मुख्य बल दिए जाने वाला क्षेत्र है । समिति चिंता के साथ नोट करती है कि कार्य कर रहे 28

डीडी क्षेत्रीय चैनलों में सभी पूर्वोत्तर राज्य कवर नहीं होते और इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के लिए अलग दूरदर्शन चैनल लगाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी विशिष्टता और महत्व के कारण इस सुविधा से वंचित न रहे ।

<u>दूरदर्शन किसान चैनल</u>

15. समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान डीडी किसान चैनल के लिए बीई और आरई चरण में निधियों का आवंटन क्रमश 43.45 करोड़ रुपये और 18.94 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 5.27 करोड़ रुपये था। केवल 27.82% आरई का उपयोग करने के कारणों का संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण कुछ इन-हाउस कार्यक्रमों तैयार नहीं किये जा सके हैं । समिति ने नोट किया है कि डीडी किसान चैनल के अंतर्गत कई आंतरिक और विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, तथापि, मंत्रालय ने दर्शकों की संख्या आदि के संबंध में चैनल का कोई प्रभाव अध्ययन नहीं किया है और किसानों के लिए अपने सुझाव देने के लिए चैनल में ई फीडबैक तंत्र उपलब्ध नहीं है । इसके बजाय, बार्क(बीएआरसी) से डेटा का उपयोग दर्शकों की संख्या का आकलन करने के लिए किया जा रहा है और फीडबैक तंत्र मुख्य रूप से टोल फ्री लाइनों और सोशल मीडिया से प्राप्त प्रतिक्रिया से है।

इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि चैनल को किसानों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के लिए देश के किसानों/नागरिकों से फीडबैक हेतु तंत्र तैयार किया जाए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि डीडी किसानों के मुद्दों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मंत्रालयों के साथ उनकी जानकारी के प्रसार के लिए गठजोड़ कर सकता है। डीडी किसान चैनलों के संबंध में एक अध्ययन भी किया जा सकता है ताकि इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके और इसे किसानों की आवश्यकताओं के

अनुरूप बनाने के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषय-वस्तु में सुधार किया जा सके। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में समिति को अवगत कराया जाए।

<u>आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और एफएम</u>

16. समिति नोट करती है कि देश भर में 485 एआईआर (आकाशवाणी) केंद्रों से विभिन्न आकाशवाणी चैनलों का प्रसारण करने वाले 506 एफएम ट्रांसमीटर और 129 मध्यम तरंग (मीडियम वेव) आकाशवाणी ट्रांसमीटर हैं। चैनलों में प्राथमिक चैनल, स्थानीय रेडियो स्टेशन (एलआरएस), एफएम इंद्रधनुष, एफएम गोल्ड और विविध भारती चैनल शामिल हैं । समिति इस बात की सराहना करती है कि आकाशवाणी देश की 181 बोलियों में प्रसारण के अलावा आठवीं अनुसूची और अंग्रेजी में उल्लिखित 22 भाषाओं में प्रसारण करता समिति नोट करती है कि ग्यारहवीं योजना में एआईआर नेटवर्क के डिजिटलीकरण को मंजूरी दी गई थी जिसे आगे बारहवीं योजना में विस्तारित किया गया था। आकाशवाणी ने अपने 35 हाई पावर डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स से डिजिटल ट्रांसमिशन शुरू किया है और यह देश की 70% आबादी के लिए उपलब्ध है। आकाशवाणी एसडब्ल्यू(शोर्ट वेव) ट्रांसमीटरों से डिजिटल सिग्नल भी प्रसारित कर रहा है जिसे डिजिटल रिसीवर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । समिति ने यह भी नोट किया है कि आकाशवाणी भविष्य की योजना में शोर्ट वेव और एफएम मोड में अपने नेटवर्क के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव कर रही है और इसने डिजिटल मोड में काम करने के लिए 6 डिजिटल रेडी मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है। तथापि समिति यह नोट करके चिंतित है कि 485 आकाशवाणी केंद्रों में से केवल 127 स्टूडियो डिजिटल हैं। समिति ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि 35 हाई पावर डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से डिजिटल ट्रांसमिशन देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या को ही उपलब्ध है। इसलिए समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि पूरे देश में इस डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की पहुंच का

विस्तार हो और सभी एआईआर स्टूडियो को जल्द से जल्द डिजिटल बनाया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाये।

<u>प्रसार भारती में मानव संसाधन</u>

17. समिति अत्यधिक चिंता के साथ नोट करतीहै कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में वर्तमान में क्रमश 10247 और 12086 रिक्तियां हैं। समिति आकाशवाणी और दूरदर्शन में मौजूद भारी रिक्तियों के संबंध में चिंता व्यक्त करती रही है, तथापि, यह नोट किया गया है कि इस संबंध में कई समितियों/लेखा परीक्षा/भर्ती बोर्ड का गठन बिना किसी सार्थक परिणाम के किया गया है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि 2014 में गठित सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। समिति इस तथ्य पर खेद व्यक्त करती है कि आज तक केवल समिति की सिफारिशों की जांच की गई है और कार्यान्वयन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 7 वर्ष बाद भी मंत्रालय को अभी तक उन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, मेसर्स अर्नेस्ट और यंग एलएलपी की मैनपावर ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में यह नोट किया गया है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप से 29.09.20 को स्वीकार किया गया था और रिपोर्ट के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह चिंता का विषय है कि इस रिपोर्ट के लिए भी सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। समिति ने रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय/प्रसार भारती की ओर से की गई शिथिलता की पुरजोर तरीके से निंदा करते हुए मंत्रालय से मानव संसाधन के संबंध में सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने की सिफारिश की है। मेसर्स अर्नेस्ट और यंग एलएलपी की मैनपावर ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में, समिति इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों लागू करने की समयसीमा तथा इसमें बाधाओं के ब्योरे सहित मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में अवगत होने की इच्छा व्यक्त करती है। समिति दिव्यांगों के लिए पिछली चली आ रही रिक्तियों की स्थिति के बारे में भी अवगत होना चाहेगी।

डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी)

18. समिति नोट करती है कि देश भर में 'डिजिटल टेरेस्ट्रियल (स्थलीय) पारेषण' (डीटीटी) के कार्यान्वयन के लिए ट्राई ने2017में एक रोडमैप प्रस्तुत किया था और कहा था कि दिसंबर 2023 तक पूर्ण प्रवासन और एनालॉग स्विच ऑफ के साथ डीटीटी को देश में तीन चरणों में लागू किया जाए। समयसीमा में (एक) चरण 1 (मेट्रो शहर) 31 दिसंबर, 2019 तक (दो) द्वितीय चरण (जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर) 31 दिसंबर, 2021 तक और (तीन) चरण-3 (शेष भारत) 31 दिसंबर, 2023 तक शामिल हैं। वर्तमान में, 23 डीटीटी (19 स्थानों पर) चालू हैं। चार मेट्रो शहरों नामतः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दो डीटीटी ट्रांसमीटर हैं। पहला ट्रांसमीटर 5 डीडी चैनलों को एसडी में और 03 रेडियो चैनलों को रिले कर रहा है जबकि दूसरा ट्रांसमीटर एचडी में 03 डीडी चैनल (एसडी और 01 डीडी नेशनल चैनल में 02 डीडी चैनल) को रिले कर रहा है। अन्य 15 शहरों में, एक डीटीटी ट्रांसमीटर चालू है जो 5 डीडी चैनलों को एसडी में और 03 रेडियो चैनलों को रिले करता है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि ट्राई की सिफारिशों के प्रत्युत्तर में भारत में डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण में निजी संस्थाओं के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 8 अक्टूबर, 2018 को दूरदर्शन के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, समिति को यह बताया गया है कि प्रसार भारती ने 5जी प्रसारण जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल स्थलीय प्रसारण के लिए "डायरेक्ट टू मोबाइल" (डीटीएम) रोडमैप विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। समिति यह भी नोट करती है कि डीटीटी का और विस्तार आवश्यक यूएचएफ स्पेक्ट्रम की उपलब्धता/आवंटन और आने वाले वर्षों में निधियों के आवंटन पर निर्भर करेगा। डीटीटी के संबंध में एमआईबी के जनादेश के मुद्दे पर आगे बोलते हुए सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान सूचित किया था कि व्यय विभाग में कुछ वर्ष पूर्व समीक्षा की गई थी जिसमें विभाग ने एमआईबी से

कहा कि जब तक बिजनेस केस नहीं हो जाता और यह व्यवहार्य नहीं हो जाता तब तक डिजिटल टेरेस्ट्रियल में आगे कोई निवेश न करें।

यह देखते हुए कि डीटीटी प्रौद्योगिकियां टीवी स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग करने, सेवा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने, मल्टीप्लेक्सर के उपयोग के माध्यम से एक ही चैनल बैंडविड्थ के भीतर कई प्रसारण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं, समिति का मानना है कि डीटीटी प्रौद्योगिकी के शामिल होने से कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग और प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए समिति यह भी सिफारिश करती है कि 8 अक्टूबर, 2018 को गठित समन्वय समिति की रिपोर्ट की शीघ्रातिशीघ्र जांच की जाए और देश में डीटीटी के कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।समिति को भारत में डीटीटी के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाए।

<u>केंद्र का स्थापना व्यय</u>

<u>ब्यूरो आफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) (पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी, एसएंडडीडी)</u>

19. समिति नोट करती है कि ब्यूरो आफ आउटरीच के उन अभिकरणों जिन्होंने इसे वर्ष 2019-20 2020-21 के लिए विज्ञापन दिए, के प्रति 103. 95 करोड रुपए के बकाया दावे हैं। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि ऐसे अभिकरणों के प्रति बकाया दावों की वसूली करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें सचिव, सूचना और प्रसारण द्वारा उनके समकक्षों को संबंधित क्लायंट मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बकाया देयों के समाधान के लिए लिखे गए अनेक पत्र भी शामिल हैं और इसके बावजूद अभिकरणों पर भारी बकाया राशि देय है। इसलिए समिति मंत्रालय/बीओसी को सिफारिश करती है कि वह अभिकरणों से देय राशि की वसूली करने और निधि जारी करने के लिए समय सीमा तय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे। मंत्रालय को बकाया राशि शीघ्र जारी करने के लिए मंत्रालयों/विभागों/ अभिकरणों के प्रमुखों के साथ प्रयास करते रहना चाहिए।

समिति का मानना है कि समय पर बकाया धनराशि प्राप्त करने से बीओसी को पर्याप्त संसाधन मिल जाएंगे जिससे वे अपने अधिदेश को पूरा कर सकते हैं। समिति ब्यूरो ऑफ आउटरीच के बकाया दावों ,जो कि 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए 103.95 करोड़ रुपये हैं, की वसूली के लिए उठाए गए कदमों और इनके परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

<u>स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य केंद्रीय व्यय</u>

<u>आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानक योजना में उन्नयन</u>

20. समिति ने नोट किया है कि आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड करने की योजना के तहत आईआईएमसी, नई दिल्ली में सुविधाओं के उन्नयन के लिए इसके बुनियादी ढांचे के विस्तार के द्वारा परिकल्पना की गई थी । हालांकि पर्यावरण के आधार पर भवन निर्माण से संबंधित कुछ आपत्तियों के कारण यह विस्तार नहीं हो सका। हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईआईएमसी को आईआईएमसी, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी है, जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या 28 दिनांक 22.10.2019 में लगाई गई शर्तों के अधीन है। प्रस्तावित नए निर्माण की सिफारिश करते समय सीईसी ने आईआईएमसी को ग्राउंड कवरेज कम करने की सलाह दी। समिति को यह चिंताजनक लगता है कि इतने वर्षों के बाद, योजना को फिर से संशोधित किया गया है और आईआईएमसी को अब विभिन्न प्राधिकरणों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसमें कुछ और समय लग सकता है । समिति ने यह भी नोट किया कि जम्मू में आईआईएमसी का नया परिसर, जो मार्च 2021 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई, अक्टूबर 2021 के अंत तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा अमरावती में आईआईएमसी के वेस्टर्न रीजनल कैंपस के निर्माण की योजना को अभी मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, आइजोल में आईआईएमसी के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर का निर्माण मार्च 2021 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है और संस्थान को नए शैक्षणिक सत्र से यानी अप्रैल 2021 से चालू किया जा सकता है। इसके अलावा, आइजोल में आईआईएमसी के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर का निर्माण मार्च 2021 के

मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है और संस्थान को नए शैक्षणिक सत्र से यानी अप्रैल 2021 से चालू किया जा सकता है। समिति आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड करने और जम्मू, आइजोल और अमरावती में परिसरों के निर्माण में देरी के संबंध में देरी की निंदा करते हुए सिफारिश करती है कि आईआईएमसी की सभी परियोजनाएं/परिसर जो पिछले तीन वर्षों में विलंबित हैं, को जल्द से जल्द और अधिमानत: वर्ष 2021-22 के दौरान पूरा किया जाना चाहिए । समिति को इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>'द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019' की स्थिति</u>

21. सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्यसभा में 12.02.2019 को पुरःस्थापित किया गया था और बाद में 22.02.2019 को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया था। इसके बाद 16-03.2020 को 'द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019' संबंधी नौवां प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत की गई। समिति को यह जानकर खेद है कि उक्त प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत होने के एक वर्ष पश्चात् भी मंत्रालय अभी भी उक्त विधेयक में खंडों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सिफारिशों/टिप्पणियों की जांच कर रहा है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय प्रक्रियागत औपचारिकताओं में तेजी लाए ताकि संशोधित कानून को जल्द से जल्द लाया जा सके। समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराते हुए इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय आज की जरूरतों और बदलती और उभरती प्रौद्योगिकियों के आलोक में संपूर्ण छायांकन अधिनियम 1952 की समग्र समीक्षा करे। इस विषय में की गई कार्रवाई के बारे में समिति को अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
<u>मार्च, 2021</u>
फाल्गुन, 1942 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध- एक

(देखें पैरा सं. 12)

वित्तीय वर्ष 2020-21 से केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में उन योजनाओं का ब्यौरा जिन्हें प्रचालन करने से रोक दिया गया

ब.प्रा. 2020-21 के लिए स्थापना और ओसीई के तहत आवंटन पर युक्तिकरण का प्रभाव-

1. निम्नलिखित स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के रूप में अब संचालित नहीं की जा रही है और उनके कार्यकलाप अब वित्त वर्ष 2020-21 से नियमित स्थापना व्यय के भाग के रूप में है :-

(क) मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी);
(ख) एचआरडी योजना
(ग) फिल्म क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र का सुदृढ़ीकरण;
(ङ) मिशन डिजिटलीकरण; और
(च) प्रसारण विंग का स्वचालन;

2. स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के रूप में अब संचालित नहीं की जा रही है और उनके कार्यकलाप अब वित्त वर्ष 2020-21 से नियमित स्थापना व्यय के भाग के रूप में है :-

(क) आईआईएमसी का उन्नयन;
(ख) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना:
(ग) एफटीआईआई और एसआरएफटीआई के संबंध में फिल्म्स मीडिया के लिए एचआरडी;
(घ) फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना ढांचा विकास कार्यक्रम
(ङ) एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के लिए उत्कृष्टता का एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना।

3. वित्त वर्ष 2020-21 से एनएफएचएम को विकास संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार के साथ मिला दिया गया है।

अनबंध- दो

(देखें पैरा सं. 25)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तीन क्षेत्रों नामत: फिल्म क्षेत्र, सूचना क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती सहित) का ब्यौरा

फिल्म क्षेत्र :	**सूचना क्षेत्र :**	**प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती को छोड़कर)**
(क) इस क्षेत्र के अंतर्गत मंत्रालय के निम्नलिखित माध्यम एककों/फिल्म विंग के अन्य उपबंधों के स्थापना व्यय संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है -: i. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड)सीबीएफसी(; ii. फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण)एफसीएटी(; iii. फिल्म प्रभाग)एफडी(; iv. राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार)एनएफएआई(; v. फिल्म समारोह निदेशालय)डीएफएफ(; vi. चलचित्र संघ के लिए वार्षिक सदस्यता अंशदान)एएमआईए (का भुगतान; और vii. एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख संगठनों की सदस्यता के लिए अंशदान (ख) युक्तिकरण के परिणामस्वरूप फिल्म विंग की निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों को वित्त वर्ष 21-2020से संबंधित मीडिया एककों/स्वायत्तशासी निकायों के स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय में शामिल किया गया है। i. फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम)सीबीएफसी, फिल्म प्रभाग, एनएफएआई, डीएफएफ, एफटीआईआई एवं एसआरएफटीआई :(इन स्कीमों के आवंटन को सीबीएफसी, फिल्म प्रभाग, एनएफएआई और डीएफएफ की 'स्थापना व्यय' तथा एफटीआईआई एवं एसआरएफटीआई की 'अन्य केंद्रीय व्यय'में शिफ्ट किया गया है; ii. एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	)क (इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों में मंत्रालय के मुख्य सचिवालय तथा मंत्रालय के सूचना विंग के मीडिया एककों के स्थापना व्यय को शामिल किया गया है नामत- : i. सचिवालय व्यय; ii. न्यू मीडिया विंग)एनएमडब्ल्यू(; iii. पत्र सूचना कार्यालय)पीआईबी(; iv. लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो)बीओसी(; v. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय)आरएनआई(; vi. प्रकाशन विभाग)डीपीडी(; vii. रोजगार समाचार; और viii. संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम)आईपीडीसी (में योगदान। (ख) युक्तिकरण के परिणामस्वरूप, सूचना क्षेत्र की निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों को वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित मीडिया एककों/स्वायत्तशासी निकायों के स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय में शामिल किया गया है: i. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन:इस स्कीम को आईआईएमसी के 'अन्य केंद्रीय व्यय' में शिफ्ट किया गया है; ii. मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम)एमआईडीपी) (बीओसी, आईआईएमसी, पीआईबी, डीपीडी और आरएनआई:(इस स्कीम के आवंटन को बीओसी, पीआईबी, प्रकाशन विभाग और आरएनआई के 'स्थापना व्यय' तथा आईआईएमसी के 'अन्य केंद्रीय व्यय' में शिफ्ट किया गया है। iii. मानव संसाधन विकास)एचआरडी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम, नीति संबंधी अध्ययन, सेमीनार, मूल्यांकन आदि,	(क) इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों में निम्नलिखित के स्थापना व्यय को शामिल किया जाता है:- i. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र)ईएमएमसी(; ii. प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन; तथा iii. प्रसारण विकास संबंधी एशिया पैसीफिक संस्थान)एआईबीडी (के लिए वार्षिक सदस्यता अंशदान का भुगतान (ख) युक्तिकरण के परिणामस्वरूप, प्रसारण विंग की निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों को वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित मीडिया एककों/स्वायत्तशासी निकायों के स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय में शामिल किया गया है:- i. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र को सुदृढ़ करना)ईएमएमसी -:(इस स्कीम को ईएमएमसी के 'स्थापना व्यय'में शिफ्ट किया गया है; ii. डिजिटाइजेशन मिशन:- इस स्कीम को 'मुख्य सचिवालय की स्थापना व्यय' में शिफ्ट किया गया है; और iii. प्रसारण विंग का स्वचलन-:इस स्कीम को 'मुख्य सचिवालय की स्थापना व्यय' में शिफ्ट किया गया है; iv. केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के तहत 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन' स्कीम को शामिल करने का प्रावधान है। **प्रसार भारती:-** (क) इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों में केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों नामत: प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास

की स्थापना)मुख्य सचिवालय :(इस स्कीम को स्कीम के कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते आईआईएमसी के 'अन्य केंद्रीय व्यय' में शिफ्ट किया गया है; (ग) इसमें फिल्म विंग के केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित स्कीमों पर किए गए व्यय को भी शामिल किया जाता है -: i. फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार)डीसीडीएफसी - *(राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन)एनएफएचएम (स्कीम को वित्त वर्ष 21-2020से डीसीडीएफसी स्कीम के साथ मिला दिया गया है। ii. चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम)सीएसएसएस -:(वित्त वर्ष 20-2019से एक नई स्कीम की शुरूआत की गई है। ये नई स्कीम भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आडियो-विजुअल सेवाओं के साथ दी गई है। (घ) इसमें फिल्म विंग के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकायों के अन्य केंद्रीय व्यय भी शामिल हैं,नामत - : i. बाल चित्र समिति, भारत)सीएफएसआई(; ii. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान)एफटीआईआई(, पुणे तथा iii. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान)एसआरएफटीआई), कोलकाता।	फिल्मी मीडिया के लिए एचआरडी)सीबीएफसी, एफटीआईआई, एसआरएफटीआई (हेतु प्रशिक्षण तथा पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान: इस स्कीम को 'फिल्मी मीडिया के लिए एचआरडी' घटक को छोड़कर मुख्य सचिवालय के'स्थापना व्यय' में शिफ्ट किया गया है। फिल्मी मीडिया के लिए एचआरडी को सीबीएफसी के "स्थापना व्यय" और एफटीआईआई और एसआरएफटीआई के अन्य केंद्रीय व्यय में शिफ्ट किया गया है।)ग (केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 'विकास संचार तथा सूचना प्रचार-प्रसार'स्कीम के तहत कवर करने का प्रावधान है।)घ (इसमें सूचना विंग के अंतर्गत आने वाले स्वायत्तशासी निकायों के अन्य केंद्रीय व्यय को भी शामिल किया जाता है नामत - : i. भारतीय जन संचार संस्थान)आईआईएमसी(; तथा ii. भारतीय प्रेस परिषद)पीसीआई (	(बीआईएनडी) के व्यय को कवर करती है। (ख) इसमें प्रसार भारती के अन्य केंद्रीय व्यय (प्रसार भारती का वेतन और वेतन संबंधी व्यय) को भी शामिल किया जाता है।

अनबंध -तीन)क (

(देखें पैरा सं. 51)

क. वर्ष 21-2020 के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास)बीआईएनडी (के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

भौतिक और वित्तीय लक्ष्य				**(करोड़ रुपये में)**
क्र.सं	**घटकों के नाम**	**बजट प्राक्कलन 2020-21**	**व्यय 2020-21 दिसंबर 2020 तक**	**लक्ष्य**
1	ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटिकरण सहित), संवर्धन और प्रतिस्थापन	9.25	2.58	लंबित सुदृढ़ीकरण कार्य और पूरी की गई परियोजनाओं के लिए लंबित भुगतान। कुर्सिओंग में 50 किलोवाट एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर का कार्यान्वयन।
2	प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन	1.46	0.42	सभी मामलों में लंबित कार्य पूरे होंगे।
3	स्टूडियो / न्यू स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटिकरण	29.66	13.90	1. सर्वर और रेडियो स्टूडियो स्वचालन के एसआईटीसी का आंशिक भुगतान (ऑर्डर दिया गया)। 2. 29 स्थानों पर डिजिटल ऑडियो कंसोल की खरीद। 3. कोकराझार में स्टूडियो का नवीकरण। 4. श्रीनगर में सभागार का कार्य पूरा किया।

4	एफएम विस्तार/ प्रतिस्थापन	56.79	9.99	1. 19 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर के लिए टॉवर का निर्माण। 2. 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर (100) की खरीद। 3. 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (8) की खरीद। 4. नई जगहों पर एफएम ट्रांसमीटर के लिए भवन का निर्माण। 5. परियोजना और लंबित भुगतानों को पूरा करना।
5	संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ करना	28.50	12.22	6 स्थानों पर टावर कार्यों का निर्माण सहित महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर एफएम ट्रांसमीटरों का प्रतिष्ठापन और 3 स्थानों पर 10 किलो वाट टीवी ट्रांसमीटरों और जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर राजौरी में 2x5 किलो वाट टीवी ट्रांसमीटर का प्रतिष्ठापन पूरा किया जाएगा।
6	वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण	0.99	0.95	आकाशवाणी के अधिकांश चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोडेक की खरीद।
7	स्टाफ क्वार्टर सहित सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार	4.80	0.29	रोहतक में स्टूडियो भवन के पुनर्निर्माण और श्रीनगर में छात्रावास आवास को छोड़कर सभी मामलों में लंबित कार्यों को पूरा किया जाएगा, जो अगले साल तक चलेगा
8	ई-गवर्नेस	0.50	0.07	प्रसार भारती कार्यालयों में ई-गवर्नेंस बढ़ाने के लिए उपकरणों की खरीद।
	कुल	**131.95**	**40.41**	

अनबंध -तीन)ख (

(देखें पैरा सं. 51)

ख. वर्ष 21-2020 के दौरान बीआईएनडी स्कीम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>भौतिक उपलब्धियां</th></tr>
<tr><td>1</td><td>निम्नलिखित एफएम ट्रांसमीटर परियोजना चालू की गई:

1. बूंदी में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर पूरी क्षमता से चालू किया गया।
2. 11.11.2020 को हम्बोटिंगला और उरी में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर चालू किया गया।
3. बथनाहा में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर अंतरिम सेट अप पर चालू किया गया।
4. 25.01.2021 को केवडिया कॉलोनी में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर चालू किया गया।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>निम्नलिखितएफएम परियोजनाएं अंतरिम सेट अप पर चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं :
1. 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर गडानिया, नानपाड़ा, नरकटियागंज, इटावा और रतलाम में चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है।
2. गोड्डा (झारखंड) में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से चालू करने के लिए तैयार है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>निम्नलिखित स्टूडियो परियोजना चालू की गई:
25 स्थानों पर स्टूडियो का डिजिटलाइजेशन पूरा किया गया और चालू किया गया।
<u>स्टेशन</u>
<table>
<tr><td>मथुरा</td><td>छतरपुर</td><td>एनएबीएच भुवनेश्वर</td></tr>
<tr><td>आगरा</td><td>जबलपुर</td><td>संबलपुर</td></tr>
<tr><td>कानपुर</td><td>जलगांव</td><td>कोच्चि</td></tr>
<tr><td>चंडीगढ़</td><td>रायपुर</td><td>कोयंबटूर</td></tr>
<tr><td>नजीबाबाद</td><td>अंबिकापुर</td><td>मंगलौर</td></tr>
<tr><td>रामपुर</td><td>भागलपुर</td><td>त्रिशूर</td></tr>
<tr><td>उदयपुर</td><td>भवानीपटना</td><td>तिरुनेलवेली</td></tr>
<tr><td>जैसलमेर</td><td>जमशेदपुर</td><td></td></tr>
<tr><td>ग्वालियर</td><td>जयपोर</td><td></td></tr>
</table>
54 स्थानों पर स्टूडियो के डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है।</td></tr>
</table>

4	हल्द्वानी, कोटपूतली, गुवाहाटी और कोकराझार के लिए 10 किलोवाट (1 + 1) एफएम ट्रांसमीटर के लिए एटी रखा गया है।
5	100 स्थानों के लिए 100 वाट (1 + 1) एफएम ट्रांसमीटर के लिए एटी रखा गया है।
6	जयपुर और राजमुंदरी के लिए एफएम कम्बाइनर के लिए एटी रखा गया है ।
7	भारत-नेपाल सीमा एफएम परियोजनाओं और रामपुर, दाहोद, जसपुर, कुपवाड़ा और गुरेज और कोकराझार के लिए 6-बेएफएम एंटीना के लिए एटी रखा गया है।
8	रामपुर, दाहोद, जसपुर, कुपवाड़ा और गुरेज के लिए 10 किलोवाट (1 + 1) लिक्विड कूल्ड एफएम ट्रांसमीटर के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया गया।
9	रामेश्वरम में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया गया।
10	1 स्थान पर टॉवर मजबूत करने का कार्य पूरा किया गया और 1 स्थान (गंगटोक) पर कार्य प्रगति पर है।
11	1 स्थान पर ऑटो मोड एलपीटी का टॉवर का शेष कार्यप्रगति पर है (आकाशवाणी एफएम के लिए 100 एम टॉवर का निर्माण प्रगति पर है)।
12	7 स्थानों पर अपलिंक पीडीए के प्रतिस्थापन के लिए खरीद आदेश दिया गया है।
13	ईएफपीवैन का आदेश दिया गया है और शीघ्र ही इन्हें प्रदान किए जाने की संभावना है।
14	(3 + 1) आरएफचेनकी एसआईटीसी– उपस्कर चालू किया गया और सर्किट में लिया गया। मौजूदा 2 कम्प्रेस चेन के उन्नयन के लिए उपस्कर की आपूर्ति की गई और इसकी स्थापना की जा रही है।
15	लैपटॉप के साथ टेलीप्रॉम्प्टर, डिजिटल एसपीजी और एचडी वेवफॉर्म मॉनिटर की आपूर्ति की गई है। डिजिटल ऑडियो मिक्सर के लिए खरीद ऑर्डर दिया गया है। स्टूडियो इंटरकॉम सिस्टम के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया गया।
16	मोबाइल न्यूज गैदरिंग यूनिट (बैक पैक) की आपूर्ति की गई।
17	डीडी- भारती और डीडी- इंडिया चैनलों के लिए स्वचालित प्ले आउट सुविधाओं के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। एनआईटी जारी किया गया। निविदाएं प्राप्त हुई हैं और इनका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
18	डीडी के रायपुर, रांची और देहरादून को डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर की आपूर्ति की गई। एचडी एनएलई के लिए, पहले आमंत्रित की गई निविदा को प्रशासनिक कारणों से रद्द करना पड़ा। नई एनआईटी जारी की गई।
19	चंडीगढ़ में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
20	अमृतसर में टॉवर को पूरा करने के लिए शेष कार्य, ट्रांसमीटरों को स्थानांतरित करना और अन्य संबद्ध कार्य प्रगति पर है।

21	राजौरी (डीडी नेशनल एंड डीडी न्यूज) में स्थापित करने के लिए एचपीटी प्राप्त हुआ। संस्थापन का काम चल रहा है।
22	लगभग 2456 घंटे की सामग्री का निर्माण किया गया है/उसकी खरीद की गई है।

अनुबंध- चार

(देखें पैरा सं. 52)

2021- 22 के दौरान बीआईएनडी स्कीम के अंतर्गत प्रसार भारती के प्रस्ताव

आकाशवाणी

क्र.सं.	संघटक	लक्ष्य
1	ट्रांसमीटरों काआधुनिकीकरण (डिजिटलाइजेशन सहित) आवर्धन और प्रतिस्थापन	1. कर्सियांग में एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर की खरीद 2. दिल्ली में एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर पर एनवीआईएस अध्ययन का समापन 3. लखनऊ में सुदृढ़ीकरण कार्य
2	प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, आवर्धन और प्रतिस्थापन	1. एनएबीएम दिल्ली और भुवनेश्वर में डिजिटल कंसोल की आपूर्ति 2. आकाशवाणी नेटवर्क के लिए टेलीमेट्री सिस्टम 3. एनएबीएम में ई-लर्निंग की सुविधा
3	स्टूडियो/न्यू स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	1. श्रीनगर में ऑडिटोरियम का नवीनीकरण 2. 29 स्थानों पर डिजिटल कंसोल की आपूर्ति और कमीशनिंग 3. स्टूडियो रीवा का नवीनीकरण 4. स्टूडियो कोकराझार का नवीनीकरण
4	एफएम विस्तार / प्रतिस्थापन	1.नामसाई में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का कमीशन 2. 100 स्थानों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का कमीशनिंग 3. जसपुरैंडदाहोद में साइट का अधिग्रहण। भवन का काम पूरा करना और प्रमुख उपकरणों की खरीद 4. एसआईटीसी टॉवर, हल्द्वानी, सुल्तानपुर, लुधियाना, इटावा, अल्लापुझा, ऊटी, बर्धमान, धनबाद और क्योंझर में टावर्स की एसआईटीसी 5. विभिन्न परियोजनाओं में सिविल कार्य
5	संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को मजबूत करना	1. भारत-नेपाल एफएम ट्रांसमीटर के लिए 06 स्थलों पर टावर 2. कुपवाड़ा और गुरेज में ट्रांसमीटर और एंटीना 3. भारत-नेपाल एफएम ट्रांसमीटर के लिए 06 स्थलों पर एंटीना।

		4. जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के ट्रांसपोंडरों का डीडब्ल्यू और जोनल उपकरण।
6	वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण	ऑडियो एन्कोडिंग प्रणाली की एसआईटीसी।
7	स्टाफ क्वार्टर सहित सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार	1. श्रीनगर में छात्रावास आवास का कार्य समापन 2. रोहतक में नए स्टूडियो भवन का निर्माण 3. सभागार बीएच दिल्ली का कार्य समापन
8	ई- गवर्नेंस	अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

दूरदर्शन

1	ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटलीकरण सहित), आवर्धन और प्रतिस्थापन	1 स्थान पर टावर को मजबूत करना
2	सैटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, आवर्धन और प्रतिस्थापन	12 स्थानों पर पृथ्वी स्टेशन का आधुनिकीकरण
		चंडीगढ़ में अपलिंक पीडीए का प्रतिस्थापन
3	स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	बैलेंस उपकरण की खरीद अर्थात डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर, पेरिफेरल्स एचडी ग्राफ़िक्स और सीजी प्रणाली।
		डीडी के हैदराबाद में एंड टू एंड फाइल आधारित वर्कफ्लो सुविधा के लिए पायलट प्रोजेक्ट
4	डीटीएच का विस्तार	डीटीएच रिसीव इकाइयों की खरीद - 1,20,000
		120 टीवी चैनलों के लिए डीटीएच प्लेटफार्म का उन्नयन
		पीतमपुरा में सी बैंड डीटीएच पृथ्वी स्टेशन का उन्नयन
5	हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)	डीडी न्यूज और सीपीसी के मौजूदा स्टूडियो का एचडी उन्नयन
		डीडी न्यूज के लिए प्रस्तुति स्टूडियो के अलग

		पीसीआर का निर्माण
		डीडी इंडियाके लिए स्वचालित प्लेआउट सुविधाएं
		डीडी-भारती के लिए स्वचालित प्लेआउट सुविधाएं
6	टीवी चैनलों का विस्तार (एचडी टीवी)	रायपुर, रांची और देहरादून में उत्पादन पश्चात सुविधाओं के लिए उपकरण की खरीद और देहरादून के लिए ईएफपी वैन।
7	स्टाफ क्वार्टर सहित सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और अन्य विविध कार्य	अमृतसर में टॉवर का काम पूरा करने के लिए शेष कार्य, ट्रांसमीटरों और अन्य संबद्ध कार्यों को स्थानांतरित करना
8	संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को मजबूत करना (आकाशवाणीस्कीम)	जम्मू कश्मीर और लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्रों पटनीटॉप, ग्रीन रिड्ज, हिम्बोटिंगला और राजौरी (2 की संख्या में) के सीमावर्ती क्षेत्रों में एचपीटी की स्थापना
9	सामग्री विकास	आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसार भारती नेटवर्क के लिए नई प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देना

अनुबंध- पांच

(देखें पैरा सं. 60)

वर्ष 2020-21 के लिए दूरदर्शन के तहत निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

दूरदर्शन के अंतर्गत 2020-21 के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य					
क्र. सं.	**घटक**	**बजट प्राक्कलन 2020-21 (करोड़ रु. में)**	**दिसम्बर 2020 तक वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)**	**लक्ष्य**	**वर्तमान स्थिति (31-12-2020 तक के अनुसार)**
1.	ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटिकरण सहित), संवर्धन एवं प्रतिस्थापन	0.79	1.76	9 स्थानों पर टावर सुदृढीकरण का कार्य	1 स्थान पर कार्य संपन्न और 1 स्थान पर कार्य प्रगति पर है।
				आरएफ नेटवर्क योजना और अनुकूलन सॉफ्टवेयर प्रणाली की खरीद	आपूर्ति की गई और शुरु करने के अधीन है।
2	सैटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन एवं प्रतिस्थापन	26.22	9.31	7 स्थानों पर अपलिंक पीडीए और 11 स्थानों पर यूपीएस का प्रतिस्थापन	खरीद ऑर्डर दिया गया है।
3.	स्टूडियों का आधुनिकीकरण और डिजिटिकरण	17.26	9.35	2 स्थानों पर स्टूडियों केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए ईएफपी वेन का अधिप्रापण	ईएफपी वेन का ऑर्डर दिया गया है।
4.	डीटीएच का	41.19	5.40	देश के दूरस्थ,	प्रशासनिक कारणों की

	विस्तार			जनजातीय एवं एलडब्ल्यूई क्षेत्र के लिए 1,20,000 डीटीएच सैटों का अधिप्रापण	वजह से निविदा रद्द हुई। पुनःनिविदा शुरु करने के लिए निविदा दस्तावेज की समीक्षा प्रक्रियाधीन है।
				कॉल सेंटर को लीज पर देना।	डीटीएच टोडापुर द्वारा सीमित सुविधाओं के साथ कॉल सेंटर स्थापित और हेल्पलाइन शुरु किया गया।
				डीटीएच प्लेटफार्म का विस्तार	आरएफ चेन (3+1) की एसआईटीसी - उपकरण शुरु किए गए और सर्किट में लिया गया। मौजूदा 2 कंप्रेशन चेन के उन्नयन के लिए खरीद ऑर्डर दिया गया।
5.	हाई डेफिनेशन टीवी (एचडीटीवी)	14.46	7.12	डीडी न्यूज और सीपीसी दिल्ली के मौजूदा स्टूडियों के एचडी उन्नयन के लिए शेष उपकरण का अधिप्रापण	लेपटॉप, डिजिटल एसपीजी एवं एचडी वेवफॉर्म मॉनिटर के साथ टेलिप्रॉम्पटर की आपूर्ति की गई। डिजिटल ऑडियो मिक्सर के लिए खरीद ऑर्डर दिया गया। स्टूडियो इन्टरकॉम प्रणाली के लिए निविदाएं प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के अधीन है।
				न्यूज अनुप्रयोगों के लिए शेष उपकरण की अधिप्रापण	मोबाइल न्यूज गेदरिंग यूनिट (बैकपैक) की आपूर्ति की गई।
				डीडी-भारती और	विनिर्देशों को अन्तिम रूप

				डीडी-इंडिया चैनलों के लिए स्वचलित प्लेआउट सुविधाएं	दिया गया है। एनआईटी जारी किया गया।
6.	टीवी चैनलों का विस्तार	8.05	3.38	24 घंटे के चैनलों के लिए ईएनजी सुविधाएं निर्माण-उपरान्त सुविधाएं, न्यूज निर्माण सुविधाओं के लिए शेष उपकरण का अधिप्रापण	डीडीके रायपुर, रांची एवं देहरादून को डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर की आपूर्ति की गई। एचडी एनएलई के लिए पहले आमंत्रित निविदा को प्रशासनिक कारणों की वजह से रद्द किया गया था। नया एनआईटी जारी किया गया।
7	स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध कार्यों सहित सिविल अवसंरचना का संवर्धन	7.08	0.10	चंडीगढ़ में अतिथि गृह	चंडीगढ़ में अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
				अमृतसर में टावर को पूरा करना, ट्रांसमीटरों को शिफ्ट करना और अन्य संबंधित कार्यों के लिए शेष कार्य।	कार्य प्रगतिधीन है।
	कुल	**115.05**	**36.42**		

अनुबंध- छह

(देखे पैरा सं. 63)

क्षेत्रीय चैनलों सहित दूरदर्शन के चैनलों का ब्यौरा

दूरदर्शन नेटवर्क के चैनल	**संख्या**
सैटेलाइट चैनल 24x7	
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	08
क्षेत्रीय भाषा सैटेलाइटसेवा चैनल (आरएलएसएस) /राज्य नेटवर्क चैनल	28
चैनल की कुल संख्या	**36**

दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल

अखिल भारतीय चैनल (7)	डी डी नेशनल *	डीडी न्यूज *	डीडी स्पोर्ट्स
	डीडी भारती	डीडी उर्दू	डीडी किसान
	डीडी रेट्रो		
क्षेत्रीय चैनल/ राज्य नेटवर्क चैनल (24x7) (28)	डीडी मलयालम	डीडी चंदना	डीडी यदागिरी
	डीडी पोधिगई	डीडी सह्याद्री	डीडी गिरनार
	डीडी ओड़िया	डीडी काशीर	डीडी नॉर्थ ईस्ट
	डीडी बांगला	डीडी पंजाबी	डीडी राजस्थान
	डीडी बिहार	डीडी उत्तर प्रदेश	डीडी मध्य प्रदेश
	डीडी सप्तगिरी	डीडी अरुणप्रभा	डीडी उत्तराखंड
	डीडी झारखंड	डीडी छत्तीसगढ़	
	डीडी हिमाचल प्रदेश	डीडी मेघालय	गोवा
	डीडी हरियाणा	डीडी नागालैंड	त्रिपुरा
	डीडी मिजोरम	डीडी मणिपुर	
अंतर्राष्ट्रीय चैनल (1)	डीडी इंडिया *		

* डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज चैनल भी एचडी में उपलब्ध हैं।

क्र.सं.	चैनलों का नाम	विवरण
1	दूरदर्शन/डीडी नेशनल	सितंबर 1959 में दिल्ली में एक प्रायोगिक सेवा से, विगतवर्षों में दूरदर्शन तेजी से बढ़ा है जिससे वह दुनिया के अग्रणी टीवी संगठनों में से एक बन गया है।
2	डीडी न्यूज़	डीडी मैट्रो को एक 24 घंटे के समाचार चैनल में परिवर्तित करके 3 नवंबर, 2003 को डीडी-न्यूज़ चैनल शुरू किया गया था।
3	डीडी भारती	भारतीय संस्कृति को प्रामाणिकता के साथ संरक्षित करने और इसे व्यापक जनता को पेश करने के लिए डीडी भारती चैनल को जनवरी 2002 में संस्कृति, स्वास्थ्य और बच्चों के लिए एक आला चैनल के रूप में शुरू किया गया था।
4	डीडी उर्दू	डीडी उर्दू 15 अगस्त, 2006 को अस्तित्व में आया और 14 नवंबर 2007 से यह एक 24X7 चैनल बन गया।
5	डीडी इंडिया	दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करके विश्व को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाई। शेरू में इसे डीडी-वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था जिसे 2002 में डीडी-इंडिया नाम दिया गया। इसे अब इसके अंतर्राष्ट्रीय वितरण पर फोकस के साथ एक 24x7 अंग्रेजी समाचार चैनल में परिवर्तित किया जा रहा है।
6	डीडी स्पोर्ट्स	दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल को 18 मार्च 1999 को शुरू किया गया था।
7	डीडी किसान	डीडी किसान को सीपीसी: दूरदर्शन से 26 मई 2015 को शुरू किया गया था। यह भारत के कृषि और उसके किसानों को समर्पित पहला चैनल है।
8	डीडी सह्याद्री	सह्याद्री चैनल ने डीडी-10 के नाम से भारत भर में सैटेलाइट के माध्यम से 15 अगस्त 1994 से मराठी कार्यक्रमों प्रसारित करना शुरू किया। इसका प्रसारण 5

		अप्रैल, 2000 से 24 घंटे का कर दिया गया।
9	डीडी गिरनार	गुजराती में सैटेलाइट क्षेत्रीय भाषा चैनल डीडी-11 1993-1994 के दौरान शुरू किया गया था। क्षेत्रीय सैटेलाइट भाषा सेवा पर 24 घंटे का प्रसारण 01.05.2000 से शुरू हुआ और डीडी- गिरनार 02.10.2007 से इसकी ब्रांड पहचान बन गया।
10	डीडी पोधिगई	चौबीस घंटे प्रसारण के साथ पोंगल दिवस अर्थात 15.01.2001 को क्षेत्रीय भाषा ‘‘तमिल सैटेलाइट चैनल - पोधिगई ने कार्य करना शुरू किया।
11	डीडी यदागिरी	आंध्र प्रदेश के दो राज्यों में विभाजन के बाद, तेलंगाना राज्य को सेवा देने के लिए डीडी के हैदराबाद से प्रसारित होने वाले डीडी चैनल का नाम बदलकर डीडी यदागिरी कर दिया गया।
12	डीडी सप्तगिरी	10 अक्तूबर, 1993 को शुरू किया गया डीडी सप्तगितरी 1 जनवरी, 2000 से से 24x7 प्रसारण के साथ तेलुगू भाषा सैटेलाइट चैनल है। 27.09.2014 को डीडी सप्तगिरी चैनल आंध्र प्रदेश को समर्पित किया गया।
13	डीडीबंगला	20 अगस्त, 1992 को शुरू किया गया, डीडी बांग्ला 1 जनवरी, 2000 से 24 घंटे का चैनल बन गया।
14	डीडी पंजाबी	06.08.1998 को शुरू किया गया, डीडी पंजाबी 05.08.2000 से 24 घंटे का चैनल बन गया।
15	डीडी कशीर	"डीडी कशीर" चैनल 28.08.2000 को शुरू किया गया था। इसे बाद में 15 अगस्त, 2003 से 24 घंटे के चैनल में परिवर्तित कर दिया गया।
16	डीडी-ओडिया	डीडी ओडिया 02.10.1993 को शुरू किया गया था, जिसे बाद में 01.04.2001 को (उत्कल दिवस, ओडिशा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर) 24घंटे का चैनल बना दिया गया।
17	डीडी मलयालम	डीडी मलयालम ने 1985 में अपनी शुरुआत से संपूर्ण केरल राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

18	डीडी चंदना	बेंगलुरू और गुलबर्गा में दूरदर्शन स्टूडियो की सहायता से 15 अगस्त 1994 को शुरू किया गया। डीडी चंदना कन्नड़ भाषा सैटेलाइट चैनल है। यह 2000 में चौबीसों घंटे चलने वाला सैटेलाइट चैनल बन गया।
19	डीडी असम	डीडी नॉर्थ-इस्ट को 01.11.1990 को चालू किया गया था और अंततः इसे 15 अगस्त, 1994 को शुरू किया गया। यह 27 दिसंबर, 2000 से 24 घंटे का चैनल बन गया। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने 4 अगस्त, 2020 को डीडी-असम, असम राज्य के लिए एक 24X7 के चैनल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।
20	डीडी राजस्थान	एक 24X7 हिंदी क्षेत्रीय चैनल, डीडी राजस्थान 1 अगस्त, 2013 से अस्तित्व में आया और इसने औपचारिक रूप से 15 अगस्त, 2013 से कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया गया।
21	डीडी बिहार	डीडी पटना 13 अक्टूबर, 1990 को अस्तित्व में आया और 1 मई, 2013 को इसे 24X7 हिंदी क्षेत्रीय चैनल डीडी बिहार परिवर्तित कर दिया।
22	डीडी उत्तर प्रदेश	एक 24X7 हिंदी क्षेत्रीय चैनल, डीडी उत्तर प्रदेश 16 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया।
23	डीडी मध्य प्रदेश	डीडी के भोपाल ने सैटेलाइट के माध्यम से चौबीसों घंटे की प्रसारण सेवा का शुभारंभ किया और इसे 25 जून 2013 से डीडी मध्य प्रदेश नाम दिया गया था।
24	डीडी अरुण प्रभा	फरवरी 2019
25	डीडी उत्तराखंड	1अप्रैल 2020 से 24x7 सैटेलाइट प्रचालन शुरू हुआ।
26	डीडी झारखंड	
27	डीडी छत्तीसगढ़	
28	डीडी हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2020 में स्थानीय और रिले सामग्री के संयोजन के साथ 24x7 सैटेलाइट प्रसारण शुरू किया।
29	डीडी मेघालय	
30	डीडी गोवा	
31	डीडी हरियाणा	

32	डीडी नागालैंड	
33	डीडी त्रिपुरा	
34	डीडी मिजोरम	
35	डीडी मणिपुर	
36	डीडी रेट्रो	अप्रैल 2020

अनुबंध- सात

(देखें पैरा सं. 70)

2020-21 के दौरान डीडी किसान चैनल के अंतर्गत बनाए गए इन- हाउस कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम और की गई पहलों का ब्यौरा

किसान चैनल में कार्यक्रम

किसान चैनल

(i) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए एक पूर्ण टेलीविजन चैनल (डीडी किसान चैनल) किसानों के समग्र विकास के लिए एक नई पहल के रूप में 26 मई 2015 को शुरू किया गया था। अधिकांश कार्यक्रमों को इन-हाऊस निर्मित किया जाता है और कुछ को आउटसोर्स किया जाता है। कुछ प्रमुख इन-हाऊस कार्यक्रम इस प्रकार हैं: -

(क) चौपाल चर्चा
(ख) किसान समाचार
(ग) गांव किसान
(घ) मंडी ख़बर
(ङ) मौसम ख़बर लाइव (अवधि- 30 मिनट दिन में 3 बार)
(च) हैलो किसान लाइव (एक घंटे का फोन-इन लाइव)
(छ) विचार विमर्श (एक घंटे की पैनल चर्चा)
(ज) छत पर बागवानी
(झ) कैसे हैं आप
(ञ) गुलदस्ता- उत्तर-पूर्वी राज्यों से
(ट) स्वस्थ किसान (एक घंटे का फोन-इन-लाइव, पैनल चर्चा)
(ठ) पहली किरण (नॉर्थ ईस्ट शोकेस)
(ड) कृषि दर्शन (मुख्य कृषि)
(ढ) कृषि परिक्रमा

(ii) **2020-21 के दौरान निर्मित विशेष कार्यक्रम**

बदलते समय के साथ चलने के लिए लगातार प्रयास किया गया है और कृषि आधारित सामग्री को बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। मौजूदा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के साथ बेंचमार्क किया गया है और हाल ही में किसानों और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए कार्यक्रम पेश किए गए हैं। 2020-21 के दौरान निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम और इवेंट प्रसारित किए गए:

(क) केंद्रीय बजट 2020: किसानों और ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य से केंद्रीय बजट 2020 का एक व्यापक कवरेज प्रख्यात अतिथि/विशेषज्ञों के साथ किया गया और किसानों को आमंत्रित किया गया।

(ख) एक विशेष कार्यक्रम " महिला स्वावलंबन की नई पहल" जिसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने छह दूरदर्शन केंद्रों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सैटेलाइट सम्मेलन के माध्यम से सीधी बातचीत की। माननीय मंत्री ने उन 120 महिलाओं से बातचीत की जिन्होंने प्रमुख उपलब्धियां हासिल की थी।

(ग) "आत्मनिर्भर भारत" पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज का निर्माण व्यक्तियों और संस्थानों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था।

(घ) किसानों को कोविड-19 महामारी पर जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रमों और स्पाट्स की सीरीज का निर्माण किया गया।

(ङ) किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए मुख्य सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए "सेवा के 6 वर्ष" पर एक विशेष सप्ताह श्रृंखला का निर्माण किया गया था।

(च) नए कृषि विधान पर किसानों को बताने और शिक्षित करने के लिए एक विशेष सीरीज का निर्माण किया गया था। किसानों को सूचित करने और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए पैनल चर्चा, इंटरैक्टिव क्षेत्र आधारित कार्यक्रम और लघु फिल्मों का निर्माण किया गया।

(iii) **2020-21 के दौरान पहल**

(क) नॉन फिक्शन, फिक्शन और रियलिटी शो जैसी शैलियों में सेल्फ फाइनेंस स्कीम (एसएफसी) के तहत नए कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ख) प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और इफ्को के सहयोग से कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक विशेष कार्यक्रम निर्मित किया जा रहा है।

(ग) आईआईटी कानपुर द्वारा सतत जैविक खेती पर एक विशेष शोध आधारित कार्यक्रम सीरीज का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) औषधीय पौधों पर एक कार्यक्रम सीरीज का निर्माण किया जा रहा है। यह औषधीय पौधों के फायदे और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर अपनी तरह की पहली सीरीज होगी।

विशेष कार्यक्रमों के अलावा, इसे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी अवसंरचना को उन्नत किया जा रहा है। लुक एंड फील और पैकेजिंग के संदर्भ में मूल्य परिवर्धन सभी इन-हाउस कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है।

अनुबंध- आठ

(देखें पैरा सं. 76)

<u>आकाशवाणी के लिए वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित लक्ष्य</u>

क्रमांक	**अंग**	**लक्ष्य**
1	ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटलाइजेशन सहित) आवर्धन और प्रतिस्थापन	1. कर्सियांग में एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर 2. दिल्ली में एसडब्ल्यूट्रांसमीटर 3. 20 किलोवाट टीएक्स मॉल रोड को एचपीटी नंगली में स्थानांतरित करना 4. मास्ट स्ट्रेंथेनिंग का कार्य एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर लंबित भुगतान
2	प्रसारण उपकरणका आधुनिकीकरण, आवर्धन और प्रतिस्थापन	1. एनएबीएम दिल्ली और भुवनेश्वर में डिजिटल कंसोल की आपूर्ति 2. आर एंड डी के सुदृढ़ीकरण के लिए 3. एनएबीएम में ई-लर्निंग की सुविधा
3	स्टूडियो/न्यू स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	1. श्रीनगर में ऑडिटोरियम का नवीनीकरण 2. डिजिटल कंसोल की आपूर्ति 3. स्टूडियो रीवा सिविल कार्य का नवीनीकरण 4. स्टूडियो कोकराझार डीडब्ल्यूऔर उपकरणों का नवीनीकरण
4	एफएम विस्तार/प्रतिस्थापन	1. नामसाई, डीडब्लयू, उपकरण और सिविल कार्य 2. 100 की संख्या में 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर और केबल आदि। 3. जसपुर, रामपुर, दाहोद और रामेश्वरम में विविध कार्य 4. हल्द्वानी, सुल्तानपुर, लुधियाना, इटावा, अल्लापुझा, ऊटी, बर्धमान, धनबाद और क्योंझर में टावर्स की एसआईटीसी 5. विभिन्न परियोजनाओं में सिविल कार्य
5	संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को मजबूत करना	1. भारत-नेपाल एफएम ट्रांसमीटर के लिए 06 स्थलों पर टावर। 2. कुपवाड़ा और गुरेज में ट्रांसमीटर और एंटीना 3. भारत- एफएम ट्रांसमीटर के लिए 06 स्थलों पर एंटीना। 4. जम्मू कश्मीर ट्रांसमीटर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए डीडब्ल्यू और जोनल उपकरणों

6	वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण	ऑडियो एन्कोडिंग प्रणाली की एसआईटीसी।
7	स्टाफ क्वार्टर सहित सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार	1. सिविल वर्क हॉस्टल आवास श्रीनगर 2. रोहतक में भवन निर्माण कार्य 3. ऑडिटोरियम बीएच दिल्ली
8	ई- गवर्नेंस	अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है।

अनुबंध- नौ

(देखें पैरा सं. 96)

<u>ट्राई द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को डीटीटी पर दी गई सिफारिशों का ब्यौरा</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने दिनांक 31.01.2017 को "भारत में डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों" पर अनुशंसाए जारी की थी। सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(i) प्राधिकरण समयबद्ध तरीके से पूरे देश में डीटीटी सेवाओं को शुरू करने की सिफारिश करता है;

(ii) सार्वजनिक सेवा ब्रॉडकास्टर के साथ निजी प्लेयरों को भी डीटीटी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए

(iii) सरकार द्वारा इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिये जाने के बाद प्राधिकरण द्वारा निजी डीटीटी ऑपरेटरों की अर्हता शर्तें, निजी प्लेयरों के प्रवेश के लिए लाइसेंस की शर्तों और अन्य तौर-तरीके तैयार किये जाएंगे।

(iv) एमएफएन में मुख्य ट्रांसमीटर और एसएफएन में गैप फिलर वाले हाइब्रिड मोड में देश में डीटीटी सेवाओं का कार्यान्वयन। यह स्थानीय कंटेंट के साथ-साथ सेवाओं के समृद्ध बुके की व्यवस्था में सहायक होगा।

(v) सार्वजनिक ब्राडकॉस्टर को किसी स्थान पर अधिकतम तीन ट्रांसमीटर (8 मेगाहर्ट्ज X 3) संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें से एक (8 मेगाहर्ट्ज) का उपयोग विशेष रूप से मोबाइल टीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए किया जा सकता है।

(vi) निजी ब्रॉडकास्टर को स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अधीन किसी स्थान पर अधिकतम चार ट्रांसमीटर (8 मेगाहर्ट्ज X 4) संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

(vii) स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अनुसार अधिकतम डीटीटी प्रदाताओं की संख्या पाँच (एक सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर और चार निजी ब्रॉडकास्टर) तक सीमित की जा सकती है।

(viii) दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी और अन्य तकनीकी एजेंसी जैसे बीईसीआईएल के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय समयबद्ध रीति में डीटीटी सेवाओं को रोल आउट करने के लिए व्यापक फ्रीक्वेंसी की योजना बना सकता है। ऐसे कार्य को

छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के डिजिटाइजेशन और डीटीटी सेवाओं की शुरूआत के रोडमैप की योजना बनाई जा सकती है और इसे कार्यान्वित किया जा सकता है।

(ix) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद प्राधिकरण द्वारा डीटीटी ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम के आबंटन, नीलामी के लिए फ्रीक्वेंसी स्लॉट, रिजर्व मूल्य आदि के संबंध में निबंधन और शर्तें आदि प्रदान किए जाएंगे।

(x) स्पेक्ट्रम का आबंटन समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि बैंड IV और बैंड V में अतिरिक्त और अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्रभावी उपयोग के लिए रखा जा सके।

(xi) ट्रांसमिशन नेटवर्क मॉडल देश में डीटीटी सेवा के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त मॉडल है।

(xii) इस संबंध में सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के बाद प्राधिकरण, अवसंरचना को साझा करने और कार्यान्वयन के अन्य तौर-तरीकों के बारे में विस्तृत दिशानिर्देशों प्रकाशित करेगा।.

(xiii) डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन को दिसम्बर 2023 तक पूरे माइग्रेशन और एनालॉग स्विच ऑफ के साथ देश में तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा सकता है।

(xiv) चरण-वार डीटीटी माइग्रेशन और एनालॉग स्विच-ऑफ निम्नलिखित निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार किया जा सकता है:

चरण	**समय-सीमा**
चरण-I (महानगर)	31 दिसम्बर, 2019
चरण-II (जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	31 दिसम्बर, 2021
चरण -III (शेष भारत)	31 दिसम्बर, 2023

(xv) एनालॉग स्विच ऑफ से पहले एनालॉग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन के लिए सिमुलकास्ट अवधि के रूप में तीन महीने का न्यूनतम ओवरलैप प्रदान किया जाना चाहिए।

(xvi) एक सहायक पारितंत्र के निर्माण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

मंत्रालय के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय डीटीटी शिकायत डिवाइसों को उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार कर सकता है।

(xvii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक मिशन मोड परियोजना के रूप में डीटीटी के कार्यान्वयन के संचालन के लिए एक सहायक परिवेश के सृजन और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है।

*****

टिप्पणियां/सिफारिशें

भाग- II

<u>सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) का नया अधिदेश</u>

1. समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) जनसंचार माध्यमों और संचार के पारंपरिक साधनों के माध्यम से सूचना के प्रवाह को जनता तक पहुँचने में मदद के लिए प्रभावी भूमिका निभाता है। समिति आगे नोट करती है कि केंद्र सरकार ने 9.11.2020 की अपनी अधिसूचना को रद्द कर दिया है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कार्य आवंटन नियम 1961 को संशोधित किया है और इसमें इनके कार्य में "डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया" को शामिल किया गया है। इस संशोधन के साथ एमआईबी के अधिदेश का विस्तार "ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध फिल्म्स और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों" और "समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री वाले ऑनलाइन प्लेटफार्मों" पर हुआ है। समिति को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत और पूर्व आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता के मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2021 के बारे में सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के बारे में पता है। समिति नोट करती है कि इन नियमों को लाने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श किया था और अन्य देशों में विनियामक मामलों का अध्ययन किया था जिसमें यह पाया गया था कि अधिकतर देशों में या तो डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने के लिए संस्थागत तंत्र है या वे इसकी स्थापना की प्रक्रिया में हैं।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि आईटी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता संबंधी मध्यवर्ती दिशा-निर्देश), नियम 2021 नैतिक स्तर पर एक सरल प्रगतिशील संस्थागत तंत्र स्थापित करेंगे जिसमें समाचार प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफार्मों हेतु एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा होगा। यह मानते हुए कि आईटी अधिनियम, 2000 के तहत नए नियम सभी अन्य मीडिया श्रेणी के लिए समान स्तर के लिए एक संस्थागत तंत्र लाएंगे, समिति का विचार है कि अधिदेश के अपडेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ओटीटी/ सामग्री के लिए नियम तैयार करना जैसी पहलें प्रौद्योगिकी के उद्भव और अभिसरण के साथ समवर्ती होनी चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही वैध और वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जा सके।

फिर भी, सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए, जो लंबे समय से चली आ रही थी, समिति का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण और उचित निगरानी तंत्र विकसित करना काफी लाभकारी होगा, समिति आशा करती है कि मंत्रालय इन नियमों को अक्षरक्ष: लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और एक मजबूत निगरानी तंत्र के साथ इन नियमों के माध्यम से उन्हें दिए गए अधिदेश पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। समिति यह भी आशा करती है की मंत्रालय इन नियमों के संबंध में एक जागरूकता अभियान शुरू करे ताकि नागरिकों को सामग्री के बारे में जानकारी युक्त विकल्प के लिए सशक्त बनाया जा सके, उनकी शिकायतों का निस्तारण निश्चित समय सीमा में किया जा सके और बच्चों / युवाओं को अनावश्यक सामग्री से बचाने, ऑनलाइन / डिजिटल मीडिया पर झूठे समाचारों की समस्या से लड़ने में मदद की जा सके। समिति इन नियमों की प्रभावकारिता के बारे में अद्यतन जानकारी से अवगत रहना चाहेगी।

समग्र बजटीय विश्लेषण और अनुदानों की मांगे (2021-22)

2. समिति नोट करती है कि 2021-22 के लिए 4071.23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) के बीई की तुलना में लगभग 6.95% कम है जो कि 4375.21 करोड़ रु था। वर्ष 2020-21 के लिए आरई 3650.25 करोड़ रुपये था और वास्तविक उपयोग 2785.36 करोड़ रुपये (16.02.2021 तक) था, जो आरई की तुलना में 76.31% था और बीई आबंटन की तुलना में 63.66% था। समिति ने यह भी नोट किया कि 2021-22 के लिए 4071.23 करोड़ रु में से 563.77 करोड़ रु.632.05 करोड़ रु और 2875.41 करोड़ रु का आवंटन क्रमशः 'केंद्र के स्थापना व्यय', 'केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं' और 'अन्य केंद्रीय व्यय' के लिए किया गया है। यद्यपि, समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान आरई की तुलना में प्रत्येक श्रेणी के तहत कुल व्यय क्रमशः 77.87%, 79.76% और 67.18% था। कम-उपयोग के कारणों के लिए समिति नोट करती है कि 2020-21 के पहले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय और वास्तविक प्रदर्शन प्रभावित हुआ था। तथापि, स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे विभिन्न शीर्षों के तहत निर्धारित अपने वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। समिति इस बात से संतुष्ट है कि 2018-19 और 2019-20 के वर्षों के लिए आरई आवंटन की तुलना में व्यय पैटर्न क्रमशः 97.90% और 99.20% रहा है, और आशा करती है कि यही प्रवृत्ति जारी रहेगी और 2020-21 के लिए शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व पूरी तरह से उपयोग कर ली जाएगी। अब जबकि महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी जा रही है और

एमआईबी पर व्यय पर 5% की कोई सीमा नहीं है, समिति मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की सिफारिश करती है।

<u>केंद्र का स्थापना व्यय और अन्य केन्द्रीय व्यय</u>

3. समिति नोट करती है कि मंत्रालय के व्यय तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं अर्थात केंद्र का स्थापना व्यय (इसमें मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और मुख्य सचिवालय का स्थापना व्यय सम्मिलित है), केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और अन्य केंद्रीय व्यय (इसमें केंद्रीय क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों पर किए जाने वाला व्यय सम्मिलित है)। समिति नोट करती है कि 'केंद्र के स्थापना व्यय' के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 563.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए इस श्रेणी के लिए बीई और आरई राशि क्रमशः 554.80 करोड़ रु और 441.82 करोड़ रु थी, जबकि 14.01.2021 तक वास्तविक व्यय 345.03 करोड़ रु था, जो आरई आवंटन का 77.87% है। समिति ने आगे नोट किया कि 'अन्य केंद्रीय व्यय' के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2875.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2020-21 के दौरान बीई और आरई स्तर पर क्रमशः 3080.41 करोड़ रु और 2861.70 करोड़ रु आवंटित किए गए थे और 14.01.2021 तक वास्तविक व्यय 1922.54 करोड़ रु है, जो आरई का 67.18% है। तथापि, समिति यह जानकर हैरान है कि वर्तमान वर्ष के लिए बीई पिछले वर्ष की आरई के लगभग समान है, हालांकि पिछले साल कोविड -19 के कारण आरई आवंटन कम था। इसलिए, समिति सिफारिश करेगी कि मंत्रालय दोनों श्रेणियों के तहत चालू वर्ष के लिए आवंटित बजट का पूरी तरह से

उपयोग करे और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त राशि के लिए आरई स्तर पर मांग करे।

<u>विगत 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादनता</u>

4. समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) के लिए वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित राशि 632.05 करोड़ रु है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 740 करोड़ रु के बीई आवंटन से कम है। वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 740 करोड़ रुपये की बीई को आरई स्तर पर घटाकर 346.73 करोड़ रु कर दिया गया और जनवरी, 2021 तक केवल 278.16 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो बीई का 37.37% और आरई का 79.76% है। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में से एक अर्थात चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम के लिए 2020-21 के दौरान बीई और आरई क्रमशः 30 करोड़ रु और 3.80 रु था, हालांकि, वास्तविक व्यय शून्य रहा। संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए मंत्रालय ने 2019-20 में प्लान योजनाओं के युक्तिकरण और पुनर्गठन का कार्य किया था जिसे 2020-21 में लागू किया गया। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि उपयोग की स्थिति इसे प्रदर्शित नहीं करती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पिछले साल के प्रदर्शन को देखते हुए, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई थी, में सुधार हो रहा है, समिति ने मंत्रालय को सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने की सिफारिश की है ताकि दोनों वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2021-22 में पूरे हो सकें।

समिति यह भी नोट करती है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए, मंत्रालय ने 2020 में मैसर्स केपीएमजी के माध्यम से अपनी योजनाओं का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया था। जबकि सूचित किया जा रहा है कि मैसर्स केपीएमजी की प्रारूप रिपोर्ट को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा, समिति मैसर्स केपीएमजी द्वारा रिपोर्ट के कार्यान्वयन और स्थिति के बारे में अवगत होना चाहेगी।

<u>चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना</u>

5. समिति ने नोट किया कि केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) की एक योजना अर्थात चैंपियन सेवा क्षेत्र की योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान बीई और आरई क्रमशः 30 करोड़ रु और 3.80 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय शून्य था। वर्ष 2020-21 के लिए बीई चरण में किया गया आवंटन केवल 1.59 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान शून्य निधि उपयोग के लिए कारण प्रदान करते हुए बताया कि व्यय विभाग (डीओई) ने मंत्रालय की प्रारूप स्थायी समिति (एसएफसी) के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया कि योजना/उप-योजना, चाहे एसएफसी प्रस्ताव सहित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत हो, को इस वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) में प्रारंभ नहीं किया जाएगा।समिति को यह बताया गया कि इस योजना को 20.11.2020 को डीओई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी और इस योजना की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए एसएफसी के समक्ष नोट रखा जाना है। इस कारण से 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन नहीं किया जा सका और 2021-22 के दौरान इसे लिया जाएगा। इसके अलावा, समिति को सूचित किया गया है कि चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के

घटकों में (i) विदेशों के साथ ऑडियो विजुअल सह-निर्माण के लिए प्रोत्साहन, (ii) भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना, (iii) जागरूकता का निर्माण और थिएटर घनत्व में वृद्धि और (iv) ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन करना शामिल है और उसके कारण वर्ष 2021-22 के दौरान घाटे के आवंटन के कारण, क्रम संख्या i, ii और iv पर घटक प्रभावित होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये की निधि का उपयोग जागरूकता पैदा करने और थिएटर घनत्व बढ़ाने और थिएटर स्थापित करने के लिए तैयार उद्यमियों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए किया जाएगा। समिति हैरान है कि इस तरह की गतिविधि सरकारी योजनाओं का हिस्सा है। फिर भी, समिति को चैंपियन सेवा क्षेत्र योजनाओं के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जाए।

समिति भारत में फिल्म क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए मंजूरी पाने में प्रक्रियागत देरी की निंदा करती है, जो भारत को दुनिया भर में फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के लिए एक पसंदीदा शूटिंग स्थान बनाने के साथ-साथ फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करती है। अब जब अनुमोदन की मांग की गई है, समिति को लगता है कि मंत्रालय इस योजना के तहत अपने प्लान को लागू कर सकता है और आरई स्तर पर अधिक निधि की मांग कर सकता है, बशर्ते कि वे योजना के कार्यान्वयन के लिए सारी तैयारी करें। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति तक प्रौद्योगिकी की पहुंच और यहां तक की ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओटीटी प्लेटफार्मों की पहुंच के कारण समिति को लगता है कि मंत्रालय को चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीमों के तीन अन्य घटकों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और केवल थियेटर्स के घनत्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने

के बजाय, अन्य तीन घटकों के लिए भी एक उपयुक्त कार्य योजना बनानी चाहिए और आरई स्तर पर उनके लिए निधि की मांग की जा सकती है।

<u>सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआर स्टेशन)</u>

6. समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19 2019-20 और 2020-21 के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में बजट विश्लेषण दर्शाता है कि इसका उपयोग काफी कम किया गया है, इतना कम की वर्ष 2018-19 के दौरान यह आरई का 48.4% था और 2020-21 के दौरान यह आरई आवंटन का 64.15 % था। समिति यह भी नोट करती है कि वर्तमान में, देश में 317 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं और यह 27 भाषाओं में प्रसारित होते हैं। समिति यह नोट कर चिंतित है कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि देश की कई लोकप्रिय भाषाओं और बोलियों को अभी भी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा कवर किया जाना है, जिनमें संविधान की कुछ अधिसूचित भाषाएँ जैसे कश्मीरी, बोडो, मैथिली, संस्कृत, संथाली, सिंधी और उर्दू शामिल हैं। यह देखते हुए कि वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय के महत्व वाले क्षेत्रों में से एक तटीय क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई / सीमा क्षेत्रों / आकांक्षी और दूरदराज के जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ नए सीआर स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देना है, समिति चाहती है कि मंत्रालय उन राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करे, जिनके पास कोई सीआर स्टेशन नहीं है और यह सिफारिश करती है कि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के

भीतर पूरा किया जाना चाहिए और तदनुसार समिति को इसके बारे में अवगत कराया जाए।

<u>सूचना क्षेत्र</u>

<u>भारत @75</u>

7. समिति नोट करती है कि 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा। मंत्रालय समारोहों के हिस्से के रूप में, स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाए जाने के 75 सप्ताह पहले से ही भारत@75 के तहत विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की योजना बना रहा है और फिर स्वतंत्रता दिवस 2022 से 2023 तक वर्ष भर आयोजन किए जाएंगे। प्रमुख आकर्षणों में स्वतंत्रता संग्राम के 75 एपिसोड दूरदर्शन, विशेष टीवी पर और रेडियो श्रृंखला "भारत तब और अब" दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करती सम्पूर्ण देश में मोबाइल रेल प्रदर्शनी शामिल होंगे।प्रसार भारती ने इस अवसर को मनाने के लिए "अनसुने नायक" कार्यक्रम बनाने हेतु 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है और उन्होंने देश के सभी क्षेत्रों में अनसुने नायकों/युद्धों/ आंदोलनों संबंधी सीरियल के 75 एपिसोड के प्रोडक्शन की योजना बनाई है, इसने भारत के आजादी के बाद के समय के 75 एपिसोड की भी योजना बनाई है, जिसमें इन दशकों के दौरान बड़ी वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को चिह्नित किया जाएगा, जिन्होंने नए भारत के परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। समिति मंत्रालय की पहल की सराहना करती है और इच्छा व्यक्त करती है कि ये धारावाहिक वैश्विक मानकों के हों और राष्ट्र की सच्ची भावना/ उपलब्धियों को

दर्शाएं। चूंकि यह एक ऐतिहासिक आयोजन है, मंत्रालय को व्यापक स्तर पर आयोजन करने चाहिए, व्यापक प्रचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो बाद के चरण में अतिरिक्त धन की मांग करनी चाहिए। समिति मंत्रालय/प्रसार भारती को कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभागों / संस्थानों / संगठनों से समर्थन लेने और प्रायोजित करने की सिफारिश करती है। समिति यह भी महसूस करती है कि भारत@75 के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी और कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों, प्रसिद्ध व्यक्तियों/शिक्षाविदों इत्यादि के प्रतिनिधियों से युक्त एक कोर समिति गठित की जानी चाहिए। समिति यह भी चाहेगी कि भारत@75 के तहत परिकल्पित कार्यक्रम और 'भारत@75' के तहत बनाए गए प्रत्येक / कार्यक्रम या श्रृंखला के लिए उपयोग की गई निधि के ब्यौरे से भी समिति को अवगत कराया जाए।

<u>फैक्ट चेक यूनिट</u>

8. समिति नोट करती है कि झूठे समाचारों की चुनौती को दूर करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) में दिसंबर, 2019 में की गई थी। ऐसे एफसीयू को पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वर्ष 2021-22 के लिए सूचना क्षेत्र के अंतर्गत महत्व वाले क्षेत्रों में से एक, झूठे समाचारों से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट का सुदृढ़ीकरण और विस्तार है। समिति को यह बताया गया है कि 8 फरवरी, 2021 को, 9103 मामले थे, जिनमें से 8263 काउंटर / रिप्लाई किए गए थे और 323 'फेक न्यूज' का पर्दाफाश किया गया था। 26 अप्रैल, 2020 और 18 फरवरी, 2021 के बीच, फैक्ट चेक यूनिट को व्हाट्सएप/मेल पर 49,625 प्रश्न मिले हैं और इनमें से कार्रवाई योग्य 16,992

मामलों के उत्तर दिए गए हैं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान पीआईबी के समक्ष 505 मामले आए। समिति नोट करती है कि एफसीयू अपने व्हाट्सएप, ईमेल और वेब पोर्टल के माध्यम से लोगों से शिकायतें प्राप्त करती है और इसके बाद टीम सारे डेटा का आंकलन करती है, जो तथ्यों हेतु प्रारंभिक जांच के लिए इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। तकनीकी सत्यापन के बाद, एक प्रतिक्रिया शिकायतकर्ता को भेजी जाति है या फैक्ट चेक यूनिट के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली जाती है। समिति नोट करती है कि एफसीयू का सिस्टम अभी भी विकसित हो रहा है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से तथ्यों की पुष्टि करने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में समाचार एक चुनौती है। सरकारी नीतियों और योजनाओं के संबंध में गलत सूचना का समाधान करने के लिए किए गए उपायों की सराहना करते हुए, समिति ने मंत्रालय को दोनों केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठोस तंत्र के साथ फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) को विस्तारित/सुदृढ़ करने और अधिक सतर्क रहने तथा प्रादेशिक भाषाओं के कारण आ रही चुनौतियों का भी समाधान करने की सिफारिश की है।

<u>फिल्म क्षेत्र</u>

<u>फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय</u>

9. समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए फिल्म क्षेत्र के तहत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक चार फिल्म मीडिया इकाइयों अर्थात चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई), फिल्म्स डिवीजन (एफडी), नेशनल फिल्म्स आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) और डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म फेस्टिवल (डीएफएफ) का नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) के साथ विलय करना है । मंत्रिमंडल ने 23.12.2020 को इस विलय को मंजूरी दे दी है और

मंत्रालय द्वारा की गई विशिष्ट घोषणाओं के अनुसार, विलय प्रक्रिया अगले दो वर्षों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक मीडिया इकाई के तहत निर्धारित लक्ष्य के बारे में, समिति नोट करती है कि विलय प्रक्रिया के कारण मौजूदा गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव के परिचालन के सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए मंत्रालय में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया है और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए लेनदेन सलाहकार(रों) और/या विधिक सलाहकार की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। यह मानते हुए कि इस विलय का उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों की बहुलता को कम करना है, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी संबंधित मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखे और यह सुनिश्चित करे कि किसी को नौकरी से न निकाला जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इन चार मीडिया इकाइयों के विलय से उत्पन्न होने वाले अधिशेष कर्मचारियों को मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों/संगठनों में उनकी योग्यता/अनुभव के अनुसार लाभकारी पुनः तैनाती की जाए, इससे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में स्टाफ की कमी के गंभीर मुद्दे को कुछ हद तक हल किया जा सकेगा। समिति आगे यह आशा करती है कि फिल्म मीडिया इकाइयों को एक प्रबंधन के तहत रखने से, फिल्म सामग्री के निर्माण, प्रचार और संरक्षण में तेजी आएगी और परिणामस्वरूप मौजूदा बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की बेहतर उपयोगिता के साथ विभिन्न गतिविधियों में तादात्म्य आएगा। समिति को मंत्रालय से यह भी अपेक्षा होगी कि वह विलय की जा रही इकाइयों की परिसंपत्तियों के मौद्रिककरण पर भी विचार करें और इन प्राप्तियों से एनएफडीसी के लिए अधिक आधुनिक, व्यापक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। समिति विलय प्रक्रिया के बारे में अवगत रहना चाहेगी।

<u>विदेशों के साथ फिल्मों का सह-निर्माण</u>

10. समिति नोट करती है कि 2019-20 में रूस और बांग्लादेश के साथ सह-निर्माण समझौते हस्ताक्षरित किए गए थे और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों पर फीचर फिल्म के निर्माण के लिए बांग्लादेश फिल्म विकास निगम और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। फरवरी 2020 में भारत और पुर्तगाल के बीच एक ऑडियो विजुअल सह-निर्माण समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष घोषणाओं में से एक 'बांग्लादेश के साथ मैत्री की सुदृढ़ता है। इस संबंध में, समिति को यह बताया गया है कि 'बंगबंधु' (शेख मुजीबुर रहमान पर जीवनी संबंधी फिल्म) नामक फीचर फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार श्री श्याम बेनेगल द्वारा किया जाना है और 2020 के दौरान भारत बांग्लादेश के सह -निर्माण की निर्माण पूर्व गतिविधियां पूरी कर ली गई थी और जनवरी 2021 में फिल्म की शूटिंग प्रारंभ हो गई थी, जिसके मार्च 2022 तक रिलीज होने के लिए तैयार होने की आशा है। समिति महसूस करती है कि चूंकि भारतीय फिल्म उद्योग का पड़ोसी देशों और जहां भारतीय प्रवासी अच्छी संख्या में हैं, उन शहरों / देशों में अच्छा बाजार है, वहां फिल्मों के सह-निर्माण के लिए ऐसे समझौतों का प्रयोग भारतीय क्षमताओं को दिखाने और देश की छवि बनाने के लिए एक सॉफ्ट पावर के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न देशों के साथ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए की गई पहलों की सराहना करते हुए, समिति यह आग्रह करेगी कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मार्च, 2022 तक समय सीमा के अंदर फिल्म बंगबंधु को रिलीज करें। यद्यपि, समिति कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न बाधाओं को स्वीकार करती है, तथापि सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस परियोजना को समय पर पूरा करे और

यह भी सुनिश्चित करे कि रूस और पुर्तगाल के साथ किए गए सह-निर्माण समझौतों को भी सही ढंग से पूरा किया जाए।

<u>प्रसारण क्षेत्र</u>

<u>प्रसार भारती (बजट आवंटन, आईईबीआर और राजस्व सृजन)</u>

11. समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रसार भारती के तहत बीई, आरई और वास्तविक उपयोग क्रमशः 3259.36 करोड़ रु 2899.00 करोड़ रु और 2175.34 करोड़ रु (16.02.2021 को) था। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रसार भारती द्वारा 1410.00 करोड़ रु आईईबीआर सृजन का अनुमान था। हालांकि, नवंबर, 2020 तक, निवल आईईबीआर सृजन (सावधि जमा पर ब्याज सहित) 759.80 करोड़ रु था और दिसंबर, 2020 तक आईईबीआर के 715.53 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। प्रसार भारती द्वारा निवल आईईबीआर सृजन में लगातार गिरावट के कारणों के लिए, समिति ने नोट किया कि इसका एक कारण यह है कि वर्ष 2020-21 के दौरान उन्हें प्रो बोनो अभियान के लिए डीडी से 356 करोड़ रु और आकाशवाणी से 130 करोड़ रु की आशा थी। समिति को सूचित किया गया है कि राजस्व सृजन के चार भाग हैं- पहला डीडी फ्री डिश और आकाशवाणी टॉवर, दूसरा सरकारी विभागों और मंत्रालयों से विज्ञापन, तीसरा निजी क्षेत्र से वाणिज्यिक विज्ञापन, और चौथा डिजिटल और अभिलेखागार है। तदनुसार, प्रसार भारती ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अन्य डीडी चैनलों की प्रोग्रामिंग को मुद्रीकृत किया है और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों को भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए अभिलेखीय सामग्री की बिक्री और मीडिया पूर्वावलोकन द्वारा अर्जित राजस्व

क्रमशः 15,13,022 रु, 8,50,25,759 रु, और 49,88,258 रु था। इसी तरह, यूट्यूबयूट्यूब पर अभिलेखीय सामग्रियों के अपलोड के संबंध में, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए अर्जित राजस्व क्रमशः 51,051 रु 4,79,066 और 12,03,206 रु था।

ओटीटी प्लेटफार्मों पर जाने के लिए डीडी और एआईआर की योजनाओं के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि प्रसार भारती ने अपने विभिन्न आकाशवाणी चैनलों को "एंड्रॉइड" और "आईओएस" मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए "न्यूज़ऑनएयर" एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराया है । प्रसार भारती अपने चैनलों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए भी विचार विमर्श कर रहा है ताकि बड़ी डिजिटल पहुंच हो सके । इसके अलावा डिजिटल दर्शकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न डीडी "यूट्यूब" चैनल भी बनाए गए हैं। समिति ने नोट किया है कि दूरदर्शन के पास राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के कवरेज अधिकार हैं लेकिन जहां तक राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के मौद्रिकीकरण का संबंध है, वर्तमान में अधिकांश कवरेज निशुल्क दिए जाते हैं । समिति समिति राजस्व सृजन के लिए मंत्रालय द्वारा की गई सभी पहलों की प्रशंसा करते हुए महसूस करती है कि मंत्रालय/ प्रसार भारती के पास उपलब्ध सामग्री के मौद्रिकीकरण के लिए और बहुत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिनमेंअन्य बातों के साथ साथ इसके लोकप्रिय कार्यक्रमों चैनलों को ओटीटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उपलब्ध कराना,राष्ट्रीय महत्व के कवरेज के फीड्स को प्राइवेट चैनलों के साथ शेयर करने के लिए शुल्क वसूल करना , प्रो-बोनो कैंपेन को घटाने, पुराने गानों, रिकॉर्ड्स,भाषणों, प्रसार भारती के विशिष्ट पुराने और कीमती फुटेजों के मौद्रिकीकरण आदि शामिल हैं। मंत्रालय विभिन्न मुद्दों पर भारत भर को कवर करने वाले यात्रा वृतांत कार्यक्रम की योजना भी बना सकता है। समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय राजस्व सृजन के लिए अपनी खाली और बेकार पड़ी परिसंपत्तियों का

उपयोग करें। समिति मंत्रालय/ प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान आईईबीआर सृजित करने के लिए किए गए नवीन कार्यों और साथ ही मंत्रालय की वास्तविक और पुरातात्विक/बौद्धिक संपत्तियों के मौद्रिकी करण के लिए किए गए प्रयासों से अवगत होना चाहती है।

<u>प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)</u>

12. समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रसार भारती की तीन योजनाओं को एकल लाइन बजट प्रविष्टि अर्थात 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) में विलय कर दिया गया है। वर्तमान में प्रसार भारती के अधीन केवल एक योजना बीआईएनडी है इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19,2019-20,2020-21 के दौरान वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान के संदर्भ में क्रमश: 85.91%, 100% और 90.06% रहा है। वर्ष 2020 21 के दौरान बीआईएनडी योजना के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि संबंधी जानकारी का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि 25 स्थानों पर डिजिटाइजेशन पूरा कर दिया गया है परंतु 54 स्थानों पर डिजिटाइजेशन किया जाना अभी बाकी है मंत्रालय ने बताया है कि महामारी ,जिससे विश्व भर में मनुष्य और सामान के संचलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा,की स्थिति के कारण बीआईएनडी योजना के कार्यान्वयन में कुल कमी रही है। इस तथ्य के मद्देनजर कि अधिकांश प्रसारण उपकरण और सेवाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उनका आयात किया जाता है, खरीदारी में विलंब हुआ। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि इसका चालू परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और यह वर्ष बजट अनुमान 2020 21में आवंटित निधियों के कम उपयोग का कारण है। समिति इस तथ्य से हैरान है कि अधिकांश प्रसारण उपकरण और सेवाएं देश में उपलब्ध नहीं है और मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इनका स्वदेश में निर्माण करने के लिए अंतर मंत्रालय समन्वय करें और इस संबंध में ठोस कार्य योजना तैयार करें समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय बीआईएनडी के अंतर्गतके शेष 54 स्टूडियोज के डिजिटाइजेशन लिए समय सीमा निर्धारित करें और समिति को इसकी सूचना दें ।

<u>दूरदर्शन (डीडी)</u>

13. समिति नोट करती है कि पिछले तीन वर्षों से दूरदर्शन में निधियों का वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन के संबंध में 55.40 प्रतिशत, 88.53 प्रतिशत और 58.29 प्रतिशत रहा। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2021-22 का बजट आवंटन 176 करोड़ रुपये है। समिति ने पाया है कि 2020-21 के दौरान कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं और 2021-22 तक बढ़ाई गई हैं और संशोधित लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है। समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि नौ स्थानों पर टावर सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए आधुनिकीकरण के तहत 2020-21 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को शुरू किया जाना था । हालांकि, 31.12.2020 तक, केवल एक स्थान पर सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा हुआ है और एक स्थान पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार, डीटीएच के विस्तार के तहत, जिसके लिए 4119 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई थी, दिसंबर, 2020 तक का वास्तविक व्यय मात्र 5.40 करोड़ था क्योंकि प्रशासनिक कारणों से देश के दूरस्थ, जनजातीय और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए 120000 डीटीएच सेट खरीदने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा आरई चरण में निधि में भारी कमी कर दिए जाने के कारण दूरदर्शन स्टूडियो के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण का कुछ कार्य पूरा नहीं हो सका। समिति दूरदर्शन की आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर मंत्रालय

के इस ढुलमुल निष्पादन से खुश नहीं है, मंत्रालय को जहां भी आवश्यक हो प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधारों के साथ समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए उनके आधुनिकीकरण कार्य को उचित प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है । समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहती है ।

<u>डीडी के प्रादेशिक चैनेल</u>

14. समिति नोट करती है कि 36 डीडी चैनलों में से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य केंद्र से 28 डीडी क्षेत्रीय भाषा चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है और सभी डीडी क्षेत्रीय चैनलों को 24X7 बनाना,वर्ष 2021-22 के लिए प्रसारण क्षेत्र के मुख्य बल दिए जाने वाला क्षेत्र है । समिति चिंता के साथ नोट करती है कि कार्य कर रहे 28 डीडी क्षेत्रीय चैनलों में सभी पूर्वोत्तर राज्य कवर नहीं होते और इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के लिए अलग दूरदर्शन चैनल लगाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी विशिष्टता और महत्व के कारण इस सुविधा से वंचित न रहे ।

<u>दूरदर्शन किसान चैनल</u>

15. समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान डीडी किसान चैनल के लिए बीई और आरई चरण में निधियों का आवंटन क्रमश 43.45 करोड़ रुपये और 18.94 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 5.27 करोड़ रुपये था। केवल 27.82% आरई का उपयोग करने के कारणों का संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण कुछ इन-हाउस कार्यक्रमों तैयार नहीं किये जा सके हैं । समिति ने नोट किया है कि डीडी किसान चैनल के अंतर्गत कई आंतरिक और विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, तथापि, मंत्रालय ने

दर्शकों की संख्या आदि के संबंध में चैनल का कोई प्रभाव अध्ययन नहीं किया है और किसानों के लिए अपने सुझाव देने के लिए चैनल में ई फीडबैक तंत्र उपलब्ध नहीं है । इसके बजाय, बार्क(बीएआरसी) से डेटा का उपयोग दर्शकों की संख्या का आकलन करने के लिए किया जा रहा है और फीडबैक तंत्र मुख्य रूप से टोल फ्री लाइनों और सोशल मीडिया से प्राप्त प्रतिक्रिया से है । इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि चैनल को किसानों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के लिए देश के किसानों/नागरिकों से फीडबैक हेतु तंत्र तैयार किया जाए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि डीडी किसानों के मुद्दों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मंत्रालयों के साथ उनकी जानकारी के प्रसार के लिए गठजोड़ कर सकता है । डीडी किसान चैनलों के संबंध में एक अध्ययन भी किया जा सकता है ताकि इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके और इसे किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषय-वस्तु में सुधार किया जा सके। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में समिति को अवगत कराया जाए।

<u>आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और एफएम</u>

16. समिति नोट करती है कि देश भर में 485 एआईआर (आकाशवाणी) केंद्रों से विभिन्न आकाशवाणी चैनलों का प्रसारण करने वाले 506 एफएम ट्रांसमीटर और 129 मध्यम तरंग (मीडियम वेव) आकाशवाणी ट्रांसमीटर हैं। चैनलों में प्राथमिक चैनल, स्थानीय रेडियो स्टेशन (एलआरएस), एफएम इंद्रधनुष, एफएम गोल्ड और विविध भारती चैनल शामिल हैं । समिति इस बात की सराहना करती है कि आकाशवाणी देश की 181 बोलियों में प्रसारण के अलावा आठवीं अनुसूची और अंग्रेजी में उल्लिखित 22 भाषाओं में प्रसारण करता समिति नोट करती

है कि ग्यारहवीं योजना में एआईआर नेटवर्क के डिजिटलीकरण को मंजूरी दी गई थी जिसे आगे बारहवीं योजना में विस्तारित किया गया था । आकाशवाणी ने अपने 35 हाई पावर डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स से डिजिटल ट्रांसमिशन शुरू किया है और यह देश की 70% आबादी के लिए उपलब्ध है। आकाशवाणी एसडब्ल्यू(शोर्ट वेव) ट्रांसमीटरों से डिजिटल सिग्नल भी प्रसारित कर रहा है जिसे डिजिटल रिसीवर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । समिति ने यह भी नोट किया है कि आकाशवाणी भविष्य की योजना में शोर्ट वेव और एफएम मोड में अपने नेटवर्क के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव कर रही है और इसने डिजिटल मोड में काम करने के लिए 6 डिजिटल रेडी मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है । तथापि समिति यह नोट करके चिंतित है कि 485 आकाशवाणी केंद्रों में से केवल 127 स्टूडियो डिजिटल हैं। समिति ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि 35 हाई पावर डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से डिजिटल ट्रांसमिशन देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या को ही उपलब्ध है। इसलिए समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि पूरे देश में इस डिजिटाइज्ड मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की पहुंच का विस्तार हो और सभी एआईआर स्टूडियो को जल्द से जल्द डिजिटल बनाया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाये

<u>प्रसार भारती में मानव संसाधन</u>

17. समिति अत्यधिक चिंता के साथ नोट करतीहै कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में वर्तमान में क्रमश 10247 और 12086 रिक्तियां हैं। समिति आकाशवाणी और दूरदर्शन में मौजूद भारी रिक्तियों के संबंध में चिंता व्यक्त करती रही है, तथापि, यह नोट किया गया है कि इस संबंध में कई समितियों/लेखा परीक्षा/भर्ती बोर्ड का

गठन बिना किसी सार्थक परिणाम के किया गया है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि 2014 में गठित सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। समिति इस तथ्य पर खेद व्यक्त करती है कि आज तक केवल समिति की सिफारिशों की जांच की गई है और कार्यान्वयन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 7 वर्ष बाद भी मंत्रालय को अभी तक उन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, मेसर्स अर्नेस्ट और यंग एलएलपी की मैनपावर ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में यह नोट किया गया है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप से 29.09.20 को स्वीकार किया गया था और रिपोर्ट के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह चिंता का विषय है कि इस रिपोर्ट के लिए भी सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। समिति ने रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय/प्रसार भारती की ओर से की गई शिथिलता की पुरजोर तरीके से निंदा करते हुए मंत्रालय से मानव संसाधन के संबंध में सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने की सिफारिश की है। मेसर्स अर्नेस्ट और यंग एलएलपी की मैनपावर ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में, समिति इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों लागू करने की समयसीमा तथा इसमें बाधाओं के ब्योरे सहित मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में अवगत होने की इच्छा व्यक्त करती है । समिति दिव्यांगों के लिए पिछली चली आ रही रिक्तियों की स्थिति के बारे में भी अवगत होना चाहेगी।

<u>डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी)</u>

18. समिति नोट करती है कि देश भर में 'डिजिटल टेरेस्ट्रियल (स्थलीय) पारेषण' (डीटीटी) के कार्यान्वयन के लिए ट्राई ने2017में एक रोडमैप प्रस्तुत किया था और कहा था कि दिसंबर 2023 तक पूर्ण प्रवासन और एनालॉग स्विच ऑफ के साथ डीटीटी को देश में तीन चरणों में लागू किया जाए । समयसीमा में (एक) चरण 1 (मेट्रो शहर) 31 दिसंबर, 2019 तक (दो) द्वितीय चरण (जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर) 31 दिसंबर, 2021 तक और (तीन) चरण-3 (शेष भारत) 31 दिसंबर, 2023 तक शामिल हैं। वर्तमान में, 23 डीटीटी (19 स्थानों पर) चालू हैं। चार मेट्रो शहरों नामतः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दो डीटीटी ट्रांसमीटर हैं। पहला ट्रांसमीटर 5 डीडी चैनलों को एसडी में और 03 रेडियो चैनलों को रिले कर रहा है जबकि दूसरा ट्रांसमीटर एचडी में 03 डीडी चैनल (एसडी और 01 डीडी नेशनल चैनल में 02 डीडी चैनल) को रिले कर रहा है। अन्य 15 शहरों में, एक डीटीटी ट्रांसमीटर चालू है जो 5 डीडी चैनलों को एसडी में और 03 रेडियो चैनलों को रिले करता है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि ट्राई की सिफारिशों के प्रत्युत्तर में भारत में डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण में निजी संस्थाओं के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 8 अक्टूबर, 2018 को दूरदर्शन के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, समिति को यह बताया गया है कि प्रसार भारती ने 5जी प्रसारण जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल स्थलीय प्रसारण के लिए "डायरेक्ट टू मोबाइल" (डीटीएम) रोडमैप विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है । समिति यह भी नोट करती है कि डीटीटी का और विस्तार आवश्यक यूएचएफ स्पेक्ट्रम की उपलब्धता/आवंटन और आने वाले वर्षों में निधियों के आवंटन पर निर्भर करेगा । डीटीटी के संबंध में एमआईबी के जनादेश के मुद्दे पर आगे बोलते हुए सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान सूचित किया था कि व्यय

विभाग में कुछ वर्ष पूर्व समीक्षा की गई थी जिसमें विभाग ने एमआईबी से कहा कि जब तक बिजनेस केस नहीं हो जाता और यह व्यवहार्य नहीं हो जाता तब तक डिजिटल टेरेस्ट्रियल में आगे कोई निवेश न करें । यह देखते हुए कि डीटीटी प्रौद्योगिकियां टीवी स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग करने, सेवा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने, मल्टीप्लेक्सर के उपयोग के माध्यम से एक ही चैनल बैंडविड्थ के भीतर कई प्रसारण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं, समिति का मानना है कि डीटीटी प्रौद्योगिकी के शामिल होने से कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग और प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी । इसलिए समिति यह भी सिफारिश करती है कि 8 अक्टूबर 2018 को गठित समन्वय समिति की रिपोर्ट की शीघ्रातिशीघ्र जांच की जाए और देश में डीटीटी के कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।समिति को भारत में डीटीटी के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाए।

<u>केंद्र का स्थापना व्यय</u>

<u>ब्यूरो आफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी)(पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी, एस&डीडी)</u>

19. समिति नोट करती है कि ब्यूरो आफ आउटरीच के उन अभिकरणों जिन्होंने इसे वर्ष 2019-20 2020-21 के लिए विज्ञापन दिए, के प्रति 103. 95 करोड रुपए के बकाया दावे हैं। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि ऐसे अभिकरणों के प्रति बकाया दावों की वसूली करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें सचिव, सूचना और प्रसारण द्वारा उनके समकक्षों को संबंधित क्लायंट मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बकाया देयों के समाधान के लिए लिखे गए अनेक पत्र भी शामिल हैं और इसके बावजूद अभिकरणों पर भारी बकाया राशि देय है। इसलिए समिति

मंत्रालय/बीओसी को सिफारिश करती है कि वह अभिकरणों से देय राशि की वसूली करने और निधि जारी करने के लिए समय सीमा तय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे। मंत्रालय को बकाया राशि शीघ्र जारी करने के लिए मंत्रालयों/विभागों/ अभिकरणों के प्रमुखों के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। समिति का मानना है कि समय पर बकाया धनराशि प्राप्त करने से बीओसी को पर्याप्त संसाधन मिल जाएंगे जिससे वे अपने अधिदेश को पूरा कर सकते हैं । समिति ब्यूरो ऑफ आउटरीच के बकाया दावों ,जो कि 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए 103.95 करोड़ रुपये हैं, की वसूली के लिए उठाए गए कदमों और इनके परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

<u>स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य केंद्रीय व्यय</u>

<u>आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानक योजना में उन्नयन</u>

20. समिति ने नोट किया है कि आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड करने की योजना के तहत आईआईएमसी, नई दिल्ली में सुविधाओं के उन्नयन के लिए इसके बुनियादी ढांचे के विस्तार के द्वारा परिकल्पना की गई थी । हालांकि पर्यावरण के आधार पर भवन निर्माण से संबंधित कुछ आपत्तियों के कारण यह विस्तार नहीं हो सका। हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईआईएमसी को आईआईएमसी, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी है, जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या 28 दिनांक 22.10.2019 में लगाई गई शर्तों के अधीन है। प्रस्तावित नए निर्माण की सिफारिश करते समय सीईसी ने आईआईएमसी को ग्राउंड कवरेज कम करने की सलाह दी। समिति को यह चिंताजनक लगता है कि

इतने वर्षों के बाद, योजना को फिर से संशोधित किया गया है और आईआईएमसी को अब विभिन्न प्राधिकरणों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसमें कुछ और समय लग सकता है । समिति ने यह भी नोट किया कि जम्मू में आईआईएमसी का नया परिसर, जो मार्च 2021 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई, अक्टूबर 2021 के अंत तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा अमरावती में आईआईएमसी के वेस्टर्न रीजनल कैंपस के निर्माण की योजना को अभी मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, आइजोल में आईआईएमसी के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर का निर्माण मार्च 2021 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है और संस्थान को नए शैक्षणिक सत्र से यानी अप्रैल 2021 से चालू किया जा सकता है। इसके अलावा, आइजोल में आईआईएमसी के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर का निर्माण मार्च 2021 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है और संस्थान को नए शैक्षणिक सत्र से यानी अप्रैल 2021 से चालू किया जा सकता है। समिति आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड करने और जम्मू, आइजोल और अमरावती में परिसरों के निर्माण में देरी के संबंध में देरी की निंदा करते हुए सिफारिश करती है कि आईआईएमसी की सभी परियोजनाएं/परिसर जो पिछले तीन वर्षों में विलंबित हैं, को जल्द से जल्द और अधिमानत: वर्ष 2021-22 के दौरान पूरा किया जाना चाहिए । समिति को इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>'द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019' की स्थिति</u>

21. सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्यसभा में 12.02.2019 को पुरःस्थापित किया गया था और बाद में 22.02.2019 को

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया था। इसके बाद 16-03.2020 को 'द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019' संबंधी नौवां प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत की गई। समिति को यह जानकर खेद है कि उक्त प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत होने के एक वर्ष पश्चात् भी मंत्रालय अभी भी उक्त विधेयक में खंडों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सिफारिशों/टिप्पणियों की जांच कर रहा है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय प्रक्रियागत औपचारिकताओं में तेजी लाए ताकि संशोधित कानून को जल्द से जल्द लाया जा सके।समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराते हुए इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय आज की जरूरतों और बदलती और उभरती प्रौद्योगिकियों के आलोक में संपूर्ण छायांकन अधिनियम 1952 की समग्र समीक्षा करे । इस विषय में की गई कार्रवाई के बारे में समिति को अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली; **<u>8 मार्च, 2021</u>** **17 फाल्गुन, 1942 (शक)**	**डॉ. शशि थरूर,** **सभापति,** **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**